राजस्थान विधान सभा

तीसवीं बैठक, दिनांक–२२ अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर २० मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ९५८ (११८ सी. एम.)

श्री हनवन्तसिंह––क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:––

(१) क्या जैसलमेर जिले को तारीख २८ फरवरी से भंग कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि जैसलमेर जिला सन् १९४९ में एक विज्ञप्ति द्वारा बनाया गया था ?

(३) सन् १९४९ में जब जिला बनाया गया उस वक्त किन किन बातों को मद्दे नजर रखते हुए वनाया गया था ?

(४) सन् १९५३ में भंग करते वक्त कौन कौन सी बातों का खयाल रखते हुए भंग किया गया ?

(५) क्या जैसलमेर की जनता ने कोई मेमोरेन्डम श्री मुख्य मंत्री को इस जिले को नहीं तोड़ने के बारे में पेश किया था ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या ९५८ के सब क्लाज १, २, ३, ४, और ५ का एक साथ उत्तर देदूं तो ठीक होगा। बात यह है कि फरवरी २८, सन् १९५३ से जैसलमेर जिले को भंग करने की आज्ञा प्रकाशित की गई लेकिन उसके साथ ही साथ यह निश्चय किया गया कि जैसलमेर में एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। वहां वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम कर रहा है और इस लिहाज से प्रेक्टिकली रेवेन्यू साइड और मजिस्टीरियल साइड (magisterial side) दोनों पूरी हो जाती हैं। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है वहां एस. पी. रहता ही है। जहां तक गाड़ियों का ताल्लुक है वहां एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस. पी. के पास गाडियां रहेंगी ही। जैसा पहले था उसी तरह जैसलमेर अभी भी प्रेक्टिकली डिस्ट्रिक्ट है। अभी भी वहां एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिश्नल कलेक्टर है। जो तहसील भंग की गई हैं उनको वापिस

श्री अध्यक्ष--नोमिनल्ली (nominally) टूट गया है ।

(विराम)

Next Shri Hans Raj.

प्रश्न संख्या ६५१ (१३५/सी. एम.)

श्री हंसराज अटिया--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जो लोग पेन्शन याफ्ता हैं क्या उनको समय पर पेन्शन मिल रही है ?

(ख) अगर हां, तो जो लोग वक्त पर न मिलने की शिकायत कर रहे हैं वे क्यों कर रहे हैं?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री):--यह सत्य है कि रिटायर्ड शुदा कर्मचारियों को पेन्शन मिलने में कुछ देरी अवश्य हुई है । उसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

१. रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा पेन्शन की दरख्वास्त देरी से पेश करना (नियमों के मुताबिक ऐसी पेन्शन की दरख्वास्त रिटायरमेन्ट की तारीख से पहले ही दी जानी चाहिये) ।

२. इस सम्बन्ध में आवश्यक कागजात (व्यक्तिगत सर्विस रेकॉर्ड, सर्विस रोल इत्यादि) सम्बन्धित विभागों से महकमा हिसाब में देरी से पहुंचना, जिसके फल स्वरुप पी. पी. ओ. जारी होने में देर होना ।

३. सर्विस रेकार्डो में सर्विस का पूरा ब्योरा न होना इत्यादि--इस सम्बन्ध में सरकार पहले से ही सतर्क है । सर्विस की जांच व सर्विस में ब्रेक को जोड़ने इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ रियायतें पहले से ही मंजूर कर दी गई हैं ।

(श्री नरसिंह कछवाहा और श्री चन्दनमल वैद के उप मंन्त्री पद की शपथ लेकर आने और ट्रेजरी बेन्च पर आकर बैठने पर विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

इस काम के लिए महकमा हिसाब का खास अफसर भी तैनात कर दिया गया है जिसका कार्य विभागों, महकमा हिसाब व सचिवालय के महकमों में जाकर पेन्शन के केसेज को जल्दी निकलवाने का ही है । हेडस आफ डिपार्टमेन्टस् (Heads of Departments) तथा जिले के अधिकारियों को यह भी आदेश दिये गए हैं कि अपने जिले में वे पेन्शन-सप्ताह मनावें जिसमें केवल पेन्शन के कागजात की तकमील करके महकमा हिसाब में भिजवाने का ही काम किया जावे ।

उपरोक्त कारणों से स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो गया है । अगर किसी खास केस में बहुत देरी हुई है तो ऐसे केसेज सरकार के ध्यान में आने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री हरिदेव जोशी--क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने काफी दर्ख्वास्तें दीं और कुछ मर भी गये, पर फिर भी पेंशनें नहीं मिलीं उनको ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे ऐसी सूचना तो नहीं मिली कि मर गये, पर काफी देरी हुई है ऐसी सूचना मिली है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार को यह भी सूचना मिली है कि राजस्थान को बने चार वर्ष हुए हैं तब से अब तक भी उनको पेंशने नहीं मिली हैं?

श्री जयनारायण व्यास— हो सकता है।

श्री जसवन्तसिंह— तो फिर सरकार इनकी फिकर नहीं करती ?

श्री जयनारायण व्यास— सरकार को फिकर है इसीलिए तो स्पेशल अफसर मुकर्रर किया है। वह खास तौर से पेंशनों के दिलवाने के मामले ही देखेगा । अब तक दिक्कत सरकार के सामने यह थी कि राजस्थान बनने से पहले भिन्न भिन्न रियासतों में पेंशन के बहुत से अलग अलग नियम थे, अलग अलग कानून थे और उनके अपने अपने अलग अलग रिवाज थे; उन सब नियमों को बाद में कान्सोलिडेट (consolidate) किया गया । उनको समझने में समय लगा और इनको समझने में न सिर्फ महकमे को बल्कि पेंशनें लेने वालों को भी काफी दिक्कतें हुई हैं, जैसे कि महकमे की खानापूरी के लिए जरूरी होती हैं । इसलिये अबतक ये देरी हुई है । पर अब चूंकि इसके लिये खास अफसर ही नियुक्त कर दिया गया है इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं आवेगी ।

श्री जसवन्तसिंह—इसके लिये यह जो चार वर्षों का समय गुजरा, यह काफी नहीं था ?

श्री जयनारायण व्यास—इन चार वर्षों के समय में पेंशनें दी गई हैं । पर इस समय में कुछ गल्तियां थीं, अलग अलग रिवाज थे जिनको समझने में देरी जरूर हुई है ।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या सरकार यह समझती है कि इन गल्तियों को समझने में भी ४ वर्ष काफी नहीं हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—ये गल्तियां जो हैं, चलती आ रही गल्तियों में से हैं । इसके लिये पुराने मन्त्री और फाइनेन्स मिनिस्टर भी जिम्मेदार हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह समझा जावे कि चार वर्ष तक हमारे मन्त्री महोदय इन गल्तियों को नहीं समझ सके । उनको अगर चार वर्ष तक तनख्वाह नहीं मिले तो क्या नोबत आती, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी की ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अर्ज किया था कि बहुत सी गल्तियां कानून की खामियों की वजह से थीं, जिनको समझने में देर जरूर लगी; जिसके लिए सम्बन्धित मन्त्री और फाइनेन्स मन्त्री भी जिम्मेदार हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—अब और कितना समय लगने वाला है ?

Page No.4

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं और इस बीच अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेन्सीज़ नोटिस में लाई जावेंगी तो उन पर तुरन्त कदम उठाया जावेगा ।

श्री जसवन्तसिंह—कदम आगे बढ़ने के लिये उठाये जावेंगे या पीछे हटने के लिए ?

श्री जयनारायण व्यास—जल्दी जल्दी चलने के लिये ।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Kesri Singh. Question No. 960.

प्रश्न संख्या ६६०

श्री केसरीसिंह—क्या खाद्यमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) इस साल गल्ले का भाव गुजिश्ता के मुकाबिले में कितना कम है ?

(२) क्या कारण है कि इस साल गल्ले की निर्ख साल गुजिश्ता के मुकाबले में कम हुई है ?

(३) इसके कारण जनता को लाभ हुआ या नुकसान ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा है ।

(२) फसल का अच्छा होना ही एक मात्र कारण है ।

(३) जनता को इससे फायदा ही हुआ है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार की गलत नीति इन भावों के कम होने का कारण नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार की अच्छी नीति इसका कारण है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि इससे मार्केटिंग और स्टॉकिस्टों को फायदा पहुंचता है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, सरकार को जितना अनाज लेना होता है वह किसानों और व्यापारियों का खयाल रख कर ही लेती है और फिर दर नियमानुसार मुकर्रर करती है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पिछली साल सरकार ने जो लेवी मुकर्रर की थी उसमें से कितनी वसूल की गई और कितनी बाकी है ? क्या कुछ बाकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां बाकी है । कहीं थोड़ी और कहीं बहुत थोड़ी बाकी रह गयी है । करीब करीब हमारे कोटे जितना तो हम वसूल कर चुके हैं । जहां थोड़ी बाकी रह गयी है उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

Page No.5

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेवी किस हिसाब से तजवीज की गई थी? मुझे ऐसी सूचना मिली है कि ४० परसेन्ट की वसूल की गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—बिल्कुल गलत है। ६० प्रतिशत तजवीज की गई थी और इसी हिसाब से वसूल की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—अभी जो लेवी बाकी है वह कब तक वसूल की जावेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—लगभग सभी जगह से लेवी वसूल की जा चुकी है। अगर कहीं बची होगी तो वह भी वसूल की जावेगी।

श्री छीतरमल—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कन्ट्रोल रेट से बाजार में नाज का भाव सस्ता है और इससे किसानों को बडा नुकसान हो रहा है, सरकारी नाज का भी नुकसान हो रहा है?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सरकार की कुशल नीति है।

श्री छीतरमल—क्या जनता के नुकसान को ही माननीय मन्त्री महोदय कुशल नीति बतलाते हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—जनता का कोई नुकसान ही नहीं है, बल्कि चारों ओर से फायदा ही फायदा है।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री सज्जनसिंह—क्या मन्त्री, सिंचाई विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

नैनवा कस्बे व आस पास की बढ़ी हुई बेकारी को दूर करने तथा लोगों के जीवन निर्वाह के लिए अन्न खरीदने की क्षमता प्रदान करने की दृष्टि से पाई बालापुरा बंध के काम को इस वर्ष शुरू करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे?

श्री भोगीलाल पंड्या—पाई बालापुरा के काम के लिए इस साल बजट में कोई रकम नहीं रक्खी जा सकी है परन्तु यह योजना विचाराधीन है और तखमीना बनाया जा चुका है। रुपया मिलने पर शुरू किया जा सकता है।

श्री सज्जनसिंह—क्या यह सही है कि इस तखमीने की स्वीकृति के लिए मन्त्री महोदय दो साल हो गये प्रयत्न कर रहे हैं और जब माइनर इरिगेशन के लिए इतना रुपया मिल चुका है और एस्टीमेट तैयार है तो इस काम को हाथ में क्यों नहीं लिया जा रहा है?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इस काम पर प्रति एकड़ १७५) रुपया खर्च होगा जब कि इनसे छोटे छोटे कामों पर प्रति एकड़ ५०) रुपया

[श्री भोगीलाल पंड्या]
खर्च आता है। इसलिये इसको पहले नहीं लिया गया है। पर यह योजना विचाराधीन अवश्य है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६२

श्री सज्जनसिंह--क्या मन्त्री, स्वायत शासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे--

(१) क्या सरकार गोठड़ा, तहसील डिन्डौली, जिला बूंदी में कोई पंचायत कायम करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामकरण जोशी--गोठड़ा तहसील डिन्डौली जिला बूंदी में पंचायत स्थापित करने की रूपरेखा बनवाई जा चुकी है और आशा है कि आगामी माह तक सरकार गोठड़ा में पृथक पंचायत स्थापित करने का आदेश दे देगी।

श्री छीतरमल--तो अब तक यह ग्राम किस पंचायत में सम्मिलित था ?

श्री रामकरण जोशी--अब तक यह ग्राम कोटड़ा पंचायत में था।

श्री छीतरमल--गोठड़ा में कोई पंचायत ही नहीं है।

श्री रामकरण जोशी--यह ग्राम गोगरा पंचायत में था।

श्री छीतरमल--गोगरा नाम का कोई ग्राम नहीं है, न पंचायत ही है।

श्री रामकरण जोशी--मैं समझता हूं कि मेरे पास यही सूचना है। यह सही नहीं है तो किसी और ग्राम के बारे में होगा।

श्री जसवन्तसिंह--तो क्या यह समझा जाय कि माननीय मन्त्रीजी को गलत सूचना मिलती है जिसके आधार पर वे यह बयान दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--Subject to the correction है

श्री रामकरण जोशी--वहां के रहने वाले तो आप खुद ही हैं। आप कहीं ज्यादा सही सूचना दे सकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह--जवाब तो आप दीजिये, मिनिस्टर आप हैं।

श्री रामकरण जोशी--इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि यह गांव पंचायत में है बाहर नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या इस मामले की जांच के लिए कोई इन्क्वायरी कमीशन (enquiry commission) नियुक्त किया जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी--इसका कल जवाब दे दिया जावेगा ।

प्रश्न संख्या ६३

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे-

(अ) क्या राजस्थान में खेतिहर मजदूरों की सरकार द्वारा गणना हुई है ?

(ब) यदि हां, तो राजस्थान में किस किस डिविजन में कितने कितने खेतिहर मजदूर हैं ?

(स) यदि गणना नहीं हुई है तो सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी--(अ) सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों की गणना नहीं हुई है ।

(ब) गणना करना सम्भव नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेलिया-क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों की आर्थिक व्यवस्था की भी जांच की है ?

श्री रामकरण जोशी-मैं समझता हूं कि यह सवाल दूसरा है और इसका ताल्लुक भी दूसरे विभाग से है।

श्री गुरुदयालसिंह-क्या सरकार को यह मालूम है कि इन मजदूरों में कितने ही भूमिहर भी हैं जिनकी दशा बड़ी शोचनीय है ।

श्री रामकरण जोशी-सरकार इसको देख रही है और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि दूसरी राज्य सरकारों ने इस प्रकार की गणना करवा ली है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि यह गणना राजस्थान में सही नहीं हो सकती । दूसरी सरकारों ने, जिन्होंने गणना करवाई है, शायद वह सही नहीं करवाई जा सकी होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या माननीय मन्त्री महोदय के कहने का यह आशय है कि दूसरी सरकारों ने जो गणना करवाई है वह राजस्थान सरकार की दृष्टि में सही नहीं है ।

श्री रामकरण जोशी-मेरे कहने का यह आशय कदापि नहीं है । मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान की हालत ऐसी है कि यहां खेतिहर निश्चित रूप से मजदूरी नहीं करता । कभी निर्वाह के लिए आवश्यकता

[श्री रामकरण जोशी]

पड़ती है तो मजदूरी कर लेता है और जब बरसात आदि अच्छी होती है और फसल ठीक होने की गुंजाइश देखता है तो खेतिहर मजदूरी नहीं करता । तो इस तरह से निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह खेतिहर मजदूर ही हैं । वह कभी किसी काम में मजदूरी पर लग जाता है और कभी किसी काम पर, इसलिए यह नामुमकिन है कि उनकी निश्चित गणना की जा सके ।

श्री **कंवरलाल जेलिया**–तो भारत सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आदेश आया है ?

श्री **रामकरण जोशी**—नहीं आया है ।

श्री **कंवरलाल जेलिया**–मेरा निवेदन यह है कि खेतिहर मजदूरों की स्थिति की जांच करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए भारत सरकार ने कोई प्रश्नावली राजस्थान सरकार के पास भेजी है ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखने वाला है, इसका जवाब वहीं से मिलेगा । भूमिहीन किसानों का ताल्लुक लेबर विभाग से नहीं है ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ९६४ श्री मानसिंह ।

प्रश्न संख्या ९६४

श्री **मानसिंह (विभाजन संख्या ९७)**—Will the Minister In-charge Co-operation be pleased to answer :—

(*i*) Is there any man named Suraj Narain working in the Department who was dismissed by the Chief Justice of former Jaipur State ?

(*ii*) If so what are the reasons for keeping a dismissed hand ?

श्री **अमृतलाल यादव**—१. जी हां ।

२. श्री सूरज नारायण को जयपुर राज्य के न्याय विभाग से उसकी अयोग्यता तथा आलस्य के कारण पृथक किया गया था । तत्पश्चात् उसने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में नौकरी करली और अध्यक्ष, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, की इस सिफारिश पर कि उसने वहां बहुत योग्यता तथा कार्य कुशलता से कार्य किया उसको जयपुर राज्य में ग्राम सुधार केन्द्र में नायब तहसीलदार के पद पर अस्थाई रूप से तत्कालीन राजस्व मंत्री महोदय की स्वीकृति से ले लिया गया । उसके बाद उसकी मयाद बढ़ती गई और अब राजस्थान जन सेवा आयोग (पी. एस. सी.) द्वारा उसकी नियुक्ति निरीक्षक, ग्राम सुधार के पद पर करदी गई है ।

Page No.9

श्री मानसिंह (६७)—जिसकी तहत इसको डिसमिस किया गया था वह बात क्या पी.एस.सी. के सामने रखी गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव—पी. एस. सी. के सामने सब बातें रखी जाती हैं। यह बात भी रखी गई है।

श्री मानसिंह—मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या माननीय मन्त्री महोदय को पक्का मालूम है कि यह बात पी. एस. सी. के सम्मुख रखी गई है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! पक्की और कच्ची की बात नहीं है।

श्री मानसिंह—मैं कहता हूं साहब कि इनका कथन रोंग (wrong) है।

श्री अध्यक्ष—May be wrong. You have another remedy.

(Shri Man Singh and one other member from Opposition stand).

Order ! The member who has tabled the question has a prior right to ask the supplementary. If he waives his right, then other members can do so.

श्री भैरूसिंह—करप्शन (corruption) को प्रोत्साहन देने की बात सरकार कर रही है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री भैरूसिंह—जो स्वयं ही अपने आपको नहीं सुधार सका वह ग्राम सुधार क्या कर सकेगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिस आदमी को एक बार बर्खास्त कर दिया गया उसको अगर किसी स्पेसिफिक केस (specific case) में रख लिया गया तो सरकार के सामने और भी केसेज लाये जायं तो क्या सरकार उनके केसेज को रिकन्सिडर (reconsider) करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे केसेज मैरिट्स पर कन्सिडर किये जाते हैं और पी. एस. सी. को खास तौर से रेफर (refer) किये जाते हैं। अगर मेरिट्स में कोई केस समझ में आता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये तो उस पर कन्सिडर किया जाता है।

श्री मानसिंह महार—गवर्नमेन्ट ने उनको किस वजह से डिसमिस किया ?

श्री अध्यक्ष—This is a separate question. The intention of the Hon'ble Member was only to draw the attention of the House to the fact that even a dismissed hand was kept in Government employment. That has been done. For what reasons he was dismissed, that is not relevant.

श्री मानसिंह—ग्राम-सुधार विभाग में रखने के बाद उनके बारे में रिश्वत वगैरह की शिकायत सरकार के पास आई है ?

Page No.10

श्री अमृतलाल यादव—नहीं, अच्छी रिपोर्ट आई है।

श्री मानसिंह—इनके बारे में एन्टी करप्शन विभाग ने कुछ इन्क्वायरी की या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—मैंने पहले ही कह दिया कि इनके बारे में कोई शिकायत नहीं आई।

श्री मानसिंह—क्या इस पर्टिक्युलर (particular) मामले में आपको लिखा गया या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—आपने इसी पर्टिक्युलर (particular) मामले में लिखा है और वही तो आपने प्रश्न पूछा है।

श्री मानसिंह—ग्राम सुधार में उनकी नियुक्ति के बाद उनके बारे में कोई शिकायतें सरकार के सामने आई है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने कहा कोई शिकायत नहीं आई।

श्री मानसिंह—क्या ग्राम सुधार विभाग में नियुक्ति के बाद इनकी शिकायतों का रेकार्ड और सी. आई. डी. की रिपोर्ट सहित और एन्टी करप्शन विभाग की रिपोर्ट आपके पास भेजी गई या नहीं।

श्री अमृतलाल यादव—इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक (specific) शिकायत नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—He asks whther he has placed certain complaints before you or not ? That is his question.

श्री मानसिंह—जो कम्पलेन्ट की गई थी क्या आपने उसकी जांच की है ?

श्री अमृतलाल यादव—जो कम्पलेन्ट आपके द्वारा की गई थी उसके संबन्ध में जांच करने के बाद मालूम हुआ कि वे वेग (vague) तथा तथ्यहीन थीं, इसलिये गवर्नमेन्ट ने उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री सुगनचन्द—क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भैंसरोड तहसील में भैंसों की चराई वसूल होती है ?

(२) यदि हां, तो जहां चरनोट है और जहां हमेशा से चरती हैं उसी जगह चरने पर भी चराई वसूल की जाती है ?

(३) सन् १९५२ में कितनी चराई वसूल हुई है ?

(४) क्या सरकार इस चराई को खतम कराने का इरादा रखती है ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सन् १९५१–५२ में तीन हजार पांच सौ पच्चीस रुपये छः आने चराई काबिल वसूली थी जिसमें से एक हजार एक सौ सित्योतर रुपये वसूल हुए। शेष चराई की रकम दो हजार तीन सौ अड़तालिस रुपये छः आने मुआफ हो जाने से वसूल नहीं हुए।

(४) सरकार को इससे सालाना तीन हजार पांच सौ रुपये की आमदनी होती है। इस समय चराई खत्म करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री मानसिंह महार—जब भैंसरोड में भैंसों की चराई ली जायगी तो और कहां छोड़ा जायगा।

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर! आॅर्डर!

श्री सुगनचन्द—पुराने राजस्थान के वक्त एक विज्ञप्ति निकली थी जिसके अनुसार चराई लेने और न लेने के विषय में कुछ नियम थे; क्या उसी के अनुसार भैंसरोड में चराई ली जाती है?

श्री अमृतलाल यादव—विज्ञप्ति सारे राजस्थान के लिए नहीं थी, विशेष जगहों के लिए विशेष परिस्थितियों में थी। भैंसरोडगढ़ तहसील में भी काफी चराई की रकम माफ की गई।

श्री सुगनचन्द—पहले चराई वसूल होती थी तो काफी सुविधायें वन विभाग की ओर से मिलती थीं। आज वे सुविधायें बन्द हैं और चराई वसूल होती है, इसका कारण क्या है?

श्री अमृतलाल यादव—सुविधायें सदा स्थायी नहीं रहतीं। जिनको सुविधायें मिलती हैं समय आने पर वे गायब भी हो जाती है। जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार सुविधायें दी जाती हैं।

श्री सुगनचन्द—पहले जो सुविधायें दी गई हैं क्या वे खत्म होती जा रही हैं या वे नियम बराबर लागू हैं?

श्री अमृतलाल यादव—तहसील भैंसरोडगढ़ के लिये जो सुविधायें जारी है फिलहाल उन्हें बन्द करने का सवाल सरकार के सामने नहीं है।

श्री लालूराम—जिस जगह खेतों की मेड़ पर चराई होती है क्या वहां भी चराई वसूल की जाती है?

श्री अमृतलाल यादव—मेडों पर चराई वसूल नहीं की जाती है।

श्री लालूराम—क्या सरकार के पास यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आयगी तो सरकार जांच करने के लिए तैयार है?

श्री अमृतलाल यादव—अवश्य।

श्री सुगनचन्द--ग्राम भैंसरोड में मेड़ों की चराई छोड़ दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ! ऑर्डर !!

प्रश्न संख्या ६६६

श्री हनवन्तसिंह--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व रियासत जैसलमेर में जो मुलाजिम थे उनको अभीतक पेन्शन नहीं मिली है ?

(२) अगर मिली तो कितनों को मिली और अभी तक कितनों को बाकी है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--१. यह सत्य नहीं है कि भूतपूर्व रियासत जैसलमेर में जो कर्मचारी थे उनको अभी तक पेन्शन नहीं मिली।

२. जैसलमेर के ११० रिटायर्ड (अ)--कर्मचारियों में से ३० को (Anticipatory) पेन्शन व ग्रेच्युटी देने की मंजूरी हो चुकी है। परन्तु अभी तक केवल १० को पेन्शन व ग्रेच्युटी मिलने लगी है। बाकी को पेन्शन व ग्रेच्युटी Anticipatory इसलिये नहीं मिली है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कागजात (Service Records) सम्बन्धित विभागों से महकमा हिसाब में नहीं पहुंचे हैं जिनके आने पर पी० पी० ओ० जारी कर दिये जावेंगे।

(ब) बाकी कर्मचारियों को Anticipatory pension gratuity जारी करने से पहले इस विषय में व्यक्तिगत रिकार्ड (Service Roll and Service Book) सम्बन्धित विभागों से मंगाये जा रहे हैं जिन के आने पर पी० पी० ओ० जारी कर दिये जावेंगे।

श्री हनवन्तसिंह (डि० नं० ५०)--यह कब तक आने की उम्मीद है।

श्री जयनारायण व्यास--वैसे इसका निश्चित समय तो बतलाया नहीं, फिर भी शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये। लेकिन भूतपूर्व जैसलमेर रियासत में पेन्शन के रेग्युलर रूल्स नहीं थे और दूसरी बात इसलिये यह मंजूर करनी पड़ी कि २५ जुलाई, १९५० के मुताबिक उनको भी एक सिस्टम से पेन्शन मिलनी चाहिये। इसके अलावा ट्रेजरी के दफ्तर में और कलेक्टरी में रिकार्ड नहीं मिल रहा है।

तीसरी बात जो पगार-पत्र जैसलमेर में मिला करते थे उन पगार-पत्रों के आधार पर जांच पड़ताल करके पेन्शन तय की जा रही है। जरूरी हुआ तो उसके लिये १-२ क्लर्क जैसलमेर ट्रेजरी के एकाउन्ट्स आफिस में लगाये जायेंगे और जल्दी से जल्दी पेन्शन का हिसाब-किताब साफ हो जाय और पेन्शन जैसी भी हालत में हो मिलने लग जाय, यह व्यवस्था की जायगी।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री सन्तोषसिंह--क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

१. राजस्थान में ऐसे आफिसरों की संख्या कितनी है जो काम तो छोटे ग्रेड में कर रहे हैं मगर उनकी तनख्वाह उनके मौजूदा काम से बहुत अधिक मिल रही है ?

२. उनके क्या क्या नाम हैं ? किस किस ग्रेड व पोस्ट पर अभी कहां कहां पर काम कर रहे हैं और अभी किन २ को कितनी २ तनख्वाह मिल रही है ?

[श्री सन्तोषसिंह]

३. अगर सरकार के पास अधिक वेतन पाने वाले योग्य ऑफिसर है जो इस वक्त छोटे ग्रेड पर काम कर रहे हैं तो फिर उस हालत में नई ऊंची जगह न रख कर नये ऑफिसर अधिक वेतन के क्यों लिये जाते हैं ?

४. क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में मर्जर (merger) होने के पहले जो छोटी छोटी स्टेट्स थीं उनके ऑफिसरों को जो उस वक्त बहुत ही कम वेतन पा रहे थे और मर्जर के वक्त उन स्टेटों ने उनको उनकी योग्यता से भी दस गुणा अधिक वेतन बढ़ा दियां और वही वेतन अब राजस्थान गवर्नमेन्ट को देना पड़ता है ?

५. क्या सरकार अब ऐसे ऑफिसरों व कर्मचारियों की योग्यतानुसार उनके वेतन को फिर से रिवाइज़ (revise) करके किफायत करने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—१. उन ऑफिसरों को एकीकरण के परिणाम से ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया है जिनकी वेतन दरें उन पदों की वेतन दरों से कम है और जिन्हें वे इकाई में धारण किये हुए थे। वेतन दरें कम करने के लिये सम्बन्धित नियमों के अनुसार अपनी पुरानी वेतन दरें रखने का आश्वासन दिया गया है। ऐसा उस आश्वासन के अनुसरण में किया गया है जो कि राजस्थान के निर्माण होने के समय दिया गया था। ऐसे ऑफिसरों की संख्या कितनी है यह सूचना इस समय तत्काल प्राप्त नहीं हो सकी।

२. यह सूचना अभी प्राप्त नहीं है।

३. और ४. इस प्रश्न के भाग "एक" के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

५. ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया।

६. भाग ५ के लिये दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

७. सिविल लिस्ट कीमत पर मिलने वाला प्रकाशन है जो सरकारी मुद्रणालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६६८

श्री **अध्यक्ष**—श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६९

श्री **धर्मपाल**—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में आदिवासियों की संख्या कितनी है और क्या उदयपुर-भीलवाड़ा के अलावा भी कहीं इनकी आबादी पाई जाती है ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि बीकानेर डिविजन में नायक, भील जाति के लोग काफी संख्या में बसते हैं ?

(३) नायकों को भीलों की श्रेणी में मिलाये जाने के लिये सरकार के पास गंगानगर जिले से कोई प्रार्थना-पत्र आये हैं और सरकार उनके लिये क्या कदम उठा रही है ?

Page No.14

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग उत्थान मन्त्री)—(१) सन् १९५१ की जन गणना सूची में आदिवासियों (जिसमें साधारणत: भील, खाती, मीणा, इत्यादि शामिल हैं) के नाम से जन गणना नहीं बतलाई गई है। यह लोग उदयपुर और भीलवाड़ा के अतिरिक्त भी राजस्थान के अन्य भागों में पाये जाते हैं।

(२) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(३) कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को इस सम्बन्ध में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार नायकों को इसमें शुमार करने के लिये तैयार है।

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग उत्थान मंत्री)—यदि इसके लिये उनका कोई प्रतिनिधित्व आयेगा तो विचार करने के लिये सरकार सोच सकती है।

श्री धर्मपाल—क्या सरकार उनको भीलों के बराबर समझती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया है, न ही कोई चर्चा आई है तो मैं इस बारे में कैसे क्या कह सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ९७०

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में खेतीहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितना वेतन तय किया है ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—(क) हां।

(ख) (१) प्रत्येक पुरुष कृषि मजदूर को १) रुपया प्रतिदिन उस क्षेत्र की समस्त सुविधाओं के अनुसार।

(२) प्रत्येक स्त्री कृषि मजदूर को १४ आने प्रति दिवस, उस क्षेत्र की समस्त सुविधाओं के अनुसार।

(३) प्रत्येक बालक कृषि मजदूर को १५ वर्ष की उम्र से कम हो तो १० आने प्रति दिवस उस क्षेत्र की समस्त सुविधाओं के अनुसार।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस नियम का पालन कराने के लिये क्या सरकार के कोई अधिकारी नियत हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इन नियमों का पालन कराने के लिये और उसकी देख-रेख का काम तहसीलदारों को सुपुर्द करने के विषय में सरकार सोच रही है और कृषि मजदूरों की

Page No.15

[श्री रामकरण जोशी]
मजदूरी नियत करदी है, यह बात जरूर है। जो कोई भी मजदूर इससे कम तनख्वाहों पर राजी नहीं होता है और कोई इससे कम तनख्वाह पर काम लेना चाहता है तो वह नहीं ले सकता है। इसकी व्यवस्था कुछ समय में पूरे तौर पर हो सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मजदूरी जो नियत की गई है तो क्या वह सरकार ने जांच करने के बाद मुकर्रर की थी ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—जी हां, यह जांच करने के बाद ही मुकर्रर की थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उसके लिये सरकार ने कोई कमेटी नियुक्त की थी ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—जी हां। उसके लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी जिसने सारे राजस्थान में ४६ गांवों का दौरा किया। वहां के मजदूरों के बीच रह कर उनसे मालूम करके उस आधार पर यह तय किये गये हैं। उस कमेटी ने राजस्थान के हरेक हिस्से की जांच की है। राजस्थान में खेत पर काम करने वाले विभिन्न मजदूरों को उन्होंने जांच की। उदयपुर का हिस्सा ऐसा है जहां रुपये से भी कम में काम करने को लोग तैयार हैं किन्तु बीकानेर के हिस्से में २) रुपये रोज पर भी मजदूर मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिये यह बीच के दर तय किये गये हैं। कोई भी जगह पुरुष कृषि मजदूर को सवा रुपये से कम, स्त्री मजदूर को १४ आने से कम लेने के लिये मजबूर नहीं कर सकता है।

प्रश्न संख्या ६७१

श्री कंवरलाल जैलिया—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या खेतिहर मजदूरों को राहत देने के लिये सरकार कोई कानून बनाने के लिये कदम उठाने वाली है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—खेतिहर मजदूरों को राहत देने के लिये न्यूनतम मजदूरी कानून तो सरकार ने लगाया है लेकिन इसके साथ ही साथ खास तौर से सरकार यह सोच रही है कि मजदूरों को अलग हटा कर किसान बनाया जाय।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार खेतिहर मजदूरों की उन्नति के लिए कोई डिप्टी मिनिस्टर नियुक्त कर रही है।

श्री अध्यक्ष—Don't misuse your rights by way of taunts.

प्रश्न संख्या ९७२

श्री सुगनचन्द—क्या मन्त्री, वन विभाग, निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कुआ खेड़ा रेन्ज में बोराव के नाकेदार ने खुले जंगल से गुड़ पकाने के लिये झाड़-धुवाली लाने पर दो रुपया फी गाड़ी वसूल किये हैं ?

(२) यदि हां, तो किस आधार पर यह टैक्स लिया गया है ?

(३) जिस नाकेदार ने यह गलती की है क्या उस पर एक्शन लिया जायगा और यह मामला सही साबित होने पर उसे सजा भी दी जावेगी ?

(४) संबन्धित रेन्ज ऑफिसर ने इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—

(१) यह सही है कि गुड़ पकाने के लिये जंगल अशयाय लाने पर काश्तकारान् से छः आने, आठ आने और दो रुपये की दर से महसूल वसूल किया गया है ।

(२) यह टैक्स सरकार के द्वारा स्वीकृत राजस्व-पत्र के अनुसार लिया गया है ।

(३) अपराधी सिद्ध होने पर सजा दी जाती है ।

(४) टैक्स वसूली में नाकेदार की ओर से कोई गलती नहीं पाई गई ।

(५) रेंज ऑफिसर की जांच से कोई खिलाफवर्जी राजस्व-पत्र में नहीं पाई गई ।

श्री सुगनचन्द—वहां खुले जंगल से लाई हुई लकड़ी का भी २) रुपया वसूल किया गया है ।

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—राजस्व-पत्र के अन्दर जो रेट्स मुकर्रर हैं उनके मुताबिक किया गया है ।

श्री सुगनचन्द—नहीं । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो खुले जंगल से लाने पर लकड़ी पर ६ आना या ८ आना लिया जाता है तो खुली चीज लाने में उससे २) रुपये वसूल किया गया है ।

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—मैंने आपसे अर्ज किया है कि जो रेट्स ममनुआ और गैर ममनुआ लकड़ी के ६ आना, ८ आना और दो रुपये हैं और इसके खिलाफ अगर ज्यादा वसूल किया गया हो तो ऐसे केसेज माननीय सदस्य बतायेंगे तब उसकी जांच की जा सकती है ।

प्रश्न संख्या ९७३

श्री महादेव प्रसाद—क्या पुनर्वास मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(क) पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों की जमीनों को देने के लिये क्या परिपाटी अपनाई गई है ?

Page No.17

[श्री महादेव प्रसाद]

(ख) झुंझुनूं व सीकर जिले में कितने भूमिहीन हरिजनों को जमीनें दी गई हैं ?

(ग) क्या जमीन देते समय यह भी जांच की जाती है कि ऐसे जमीन लेने वाले भूमिहीन हैं या भूमि मालिक हैं ?

(घ) यदि हां, तो भूमि मालिकों को जमीने क्यों दी गई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मंत्री)—(क) प्रथम ऐसी जमीनों को कस्टोडियन इवेक्यू प्रोपर्टी अपने कब्जे में लेता है और तत्पश्चात् इवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट की तहत उनका निबटारा करता है। ऐसी भूमि यथासंभव भूमिहीन शरणार्थियों को अथवा उन व्यक्तियों को दी गई है जिनके पास गुजारे के लायक जमीन नहीं थी। जहां तक कोई शरणार्थी लेने नहीं आता वहां किसी भी आर्थी को दे दी जाती है।

(ख) झुंझुनूं में ५१ हरिजनों को ऐसी जमीने दी गई हैं। सीकर में पाकिस्तान गये हुये मुसलमानों की कोई भूमि ही न थी जिसके देने का प्रश्न उठता।

(ग) हां।

(घ) वर्तमान डिप्टी कस्टोडियन जहां तक मुमकिन होता है भूमिहीन अथवा कम भूमि वाले प्रार्थियों को ही भूमि देता है, किन्तु जहां कोई ऐसा प्रार्थी नहीं आता वहां किसी भी व्यक्ति को ऐसी जमीन देदी जाती है जिससे जमीन खाली न पड़ी रह जाय।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ऐसी जमीनें सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मंत्री)—जी नहीं। ऐसी जमीनों की अगर कोई शिकायत है तो सरकार उसकी जांच करेगी।

श्री जसवन्तसिंह—अगर पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों की जमीनें बोनाफाइड सेल (bonafide sale) पर कहीं बेच दी गई हैं तो क्या उस पर दुबारा रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष—That is void under the Law.

श्री जसवन्तसिंह—I can give instances.

श्री अध्यक्ष—But you cannot ask a legal question.

श्री जसवन्तसिंह—This is not a legal question.

श्री अध्यक्ष—It is void under the Evacuee Law.

श्री जसवन्तसिंह—But our great Department is doing this.

श्री अध्यक्ष—The law is there and it will be void. You cannot ask the opinion of the Minister on a point of law.

श्री जसवन्तसिंह—I am not asking the opinion of the Minister on a point of law. What I am asking is this कि क्या यह सच है कि जहां बोनाफाइड सेल हो गया है उस क्वेश्चन को दुबारा फिर सरकार की ओर से उठाया जा रहा है।

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मंत्री)—माननीय सदस्य ने जो फरमाया है कि वह जमीन बेच दी है तो कानून उसका मौजूद है कि जमीन कस्टोडियन की होती है वह बेच नहीं सकता है। अगर किसी ने बेचा है तो आप अगर उसको बतलायेंगे तो उस पर वाजिब कार्यवाही की जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि बोनाफाइड सेल (bonafide sale) हो चुका है। रीजनल कस्टोडियन ने यह बात मान ली है, लेकिन अलवर हेड क्वार्टर पर बीकानेर से यह मामला दुबारा लिया जा रहा है।

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मन्त्री)—कायदे के मुताबिक उसका एक प्रोसेस (process) है। एक्ट के मुताबिक सब कार्यवाही होती है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—तय शुदा मामलों में ऐसा क्यों होता है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मंत्री)—डिप्टी कस्टोडियन से कस्टोडियन और कस्टोडियन जनरल तक इसकी अपील और इस पर रिवीजन हुआ ही करते हैं।

प्रश्न संख्या १७४

श्री तेजमल बापना—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा में भोपालगंज बसाते समय उसकी आमदनी भीलवाड़ा में ही लगाने के लिये क्या कोई "भोपालगंज फण्ड" कायम किया गया था ?

(२) कितनी रकम उसमें कुल जमा हुई और उसमें से किस किस काम के लिये कितना कितना रुपया कब कब खर्च किया गया ?

(३) क्या अब भी इस फन्ड में करीब दो लाख रुपया जमा है ?

(४) क्या नागरिकों की यह पुरजोर मांग है कि वह रुपया वाटर वर्क्स के लिये खर्च किया जाय जिसकी कि सख्त आवश्यकता है ?

(५) सरकार को यह रुपया वाटरवर्क्स में लगाने में क्या कोई एतराज है ? यदि नहीं, तो कब तक यह संभव हो सकेगा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—१. सम्वत् १९८२ में भीलवाड़ा में एक मंडी भोपालगंज बसाने के लिये मेवाड़ सरकार ने एक नई योजना स्वीकार की थी और इसी के अंतर्गत भोपालगंज फन्ड सम्वत १९८५ में खोला गया था । लिखित रूप में यह कहीं नहीं मिलता की इस फन्ड की आमदनी भीलवाड़ा में ही लगानी चाहिये; मगर अभिप्राय यही प्रतीत होता है क्योंकि काफी आमदनी यहीं पर सड़क, अस्पताल, पेशाबघर, कुए आदि बनवाने में ही लगाई गई ।

२. फॉर्मर राजस्थान सरकार से जो लेखा उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार इस फंड में रु० २,२९,९१३।८।९ जमा हुए । इसमें से रु० ९२,२३३।१।० निर्माण विभाग तथा कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा व्यय हुआ । विगतवार व्यय इस समय उपलब्ध नहीं है । हां, यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह व्यय सड़कें, अस्पताल, पेशाबघर, कुए तथा टट्टियां इत्यादि बनवाने में ही प्रधानतया खर्च हुआ है ।

३. ३०-९-४९ को इस फंड में अध्यक्ष, महकमा हिसाब के अनुसार रु० १,३७,६८० ७ आने ६ पाई तथा कलेक्टर भीलवाड़ा के अनुसार रुपया १,०९,५४६।१।० थीं । अन्तर के मिलाने के लिये कार्यवाही जारी है । इस फंड में से जनवरी, १९५३ तक कोई व्यय नहीं हुआ ।

४. हां, भीलवाड़ा निवासियों की यह मांग है कि पानी की पूर्णतया व्यवस्था की जाये । मगर यह मांग कहीं नहीं कि इसके निमित्त व्यय इसी फंड में से किया जावे ।

५. सरकार, जल योजना प्रस्तुत होने पर, विचार करेगी ।

श्री तेजमल बापना—किस काम में यह रुपया खर्च किये जाने की योजना सरकार के सामने है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा है यह फंड किस काम में खर्च होना चाहिये यह लिखित रेकर्ड तो नहीं मिलता । पर जिन मदों में खर्च हुआ है वह मद में बता चुका हूं । जल–योजना के लिये जो बात कही तो जिस वक्त जल–योजना प्रस्तुत होगी उस समय सरकार इसमें भी खर्च करने के बारे में विचार करेगी । भीलवाड़ा के निवासी अगर दूसरे सार्वजनिक कामों में इस फंड को खर्च करने की योजना भेजेंगे तो सरकार उन कामों पर भी इस पैसे को खर्च करने पर विचार करेगी ।

प्रश्न संख्या ९७५

श्री केसरीसिंह (डि० नं० ७५)—क्या मंत्री सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) पाटन में डीजल पंप कब से लगा है और इसके लगाने में सरकार को कितना सर्फा करना पड़ा है ?

(आ) इस पम्प से कितने एकड़ में सिंचाई की जा सकती है ?

(इ) अभी तक कितने खातेदारों ने पानी लेना शुरू कर दिया है ?

(ई) इससे सरकार को सालाना क्या आमद होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--(अ) पाटन में डीजल पंप सन् १९५२ के शुरू में लगाने का काम आरम्भ किया था, परन्तु रुपये की स्वीकृति न होने के कारण अधूरा पड़ा है ।

(आ) इस पम्प की स्कीम पूरी होने पर लगभग ७०० एकड़ की सिंचाई हो सकेगी ।

(इ) चूंकि काम पूरा नहीं हुआ है इसलिये पानी देने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ई) अभी कोई आमदनी नहीं होती है ।

श्री केसरीसिंह—काम पूरा नहीं होने से क्या मतलब है, पंप नहीं लगे, कुए नहीं खुदे या क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने बताया कि इसके लिये भारत सरकार से रुपया मिलता है । जिनके लिये रुपया मिल गया है वहां काम पूरा कर दिया गया है और जिनके लिये मांग की है और रुपया नहीं मिला है वहां वह रुपया मिलने पर काम पूरा किया जायगा ।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सच है कि पंप लग चुके हैं, पर जनता पानी लेने के लिये तैयार नहीं है?

श्री भोगीलाल पंड्या--जनता की मांग पर ही पम्प लगाये गये हैं और अगर वहां की जनता पानी लेने को तैयार नहीं है तो वे पंप दूसरी जगह लगाये जायेंगे ।

श्री केसरीसिंह—पानी की रेट क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—२०) रुपया फी एकड़ ।

प्रश्न संख्या १७६

श्री एच. के. व्यास–Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that the Inspector and Purchase Officer, Hindaun caught Firms Chandrabhan Bhagchand and Devilal Ramchand, while indulging in cheating and evading Food Control Order?

(*b*) Is it a fact that the case was handed over to the police on 14-9-1952 ?

(*c*) Is it a fact that no action has yet been taken ?

(*d*) Is it a fact that one of the firms is owned by Shri Ridhi Chand Paliwal, a member of the Assembly ?

(*e*) Is it a fact that this Inspector and Purchase Officer have been transferred from there even before completion of the case ?

(*f*) Is it a fact that this transfer is contrary to the General Circular issued by the C.C.S. dated 25-1-1952 ?

(*g*) It is a fact that this transfer was ordered disregarding contrary reports of the S.D.O., Collector and D.S.O. ?

[श्री एच. के. व्यास]

(*h*) What action does the Government propose to take to undo the wrong, done to this Inspector and Purchase Officer?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(१) हां ।

(२) हां ।

(३) यह बात नहीं है । मुकदमा एस. डी. ओ., हिन्डौन की अदालत में चलाया गया था, नतीजा अभी मालूम नहीं ।

(४) हां ।

(५) यह गलत है । केस की जरूरी तहकीकात के बाद ट्रांसफर किया गया है ।

(६) नहीं सी. सी. एस. का सर्क्युलर यह है कि जब तक अफसर अपनी तहकीकात पूरी न करलें, जहां तक बन पड़े उनका ट्रान्सफर न किया जावे । जब केस पुलिस को दे दिया गया तो अफसर के ट्रान्सफर में कोई रुकावट नहीं रही ।

(७) उस अफसर का ट्रान्सफर जयपुर हैड क्वार्टर पर इसलिये किया गया था कि गल्ले क. खरीददारी का काम हिन्डौन में बहुत कम रह गयाथा और जहां उनकी जरूरत नहीं रह गईथी । हैड क्वार्टर्स में काम बहुत ज्यादा था और काम करने वालों की कमी थी । डी. एस. ओ. या एस. डी. ओ. ने यह गलत समझा कि ट्रान्सफर शिकायत पर या सजा ही के लिये किया गया है, इसलिये उनकी ट्रान्सफर न करने की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया ।

(८) क्योंकि जयपुर बदली करने में इस अफसर पर कोई सख्ती या गलती नहीं हुई इसलिये उसको ठीक करने का सवाल नहीं उठता ।

श्री **एच. के. व्यास**—क्या माननीय मन्त्री इस बात का जवाब देंगे कि उनकी ट्रान्सफर होने से पहले केस पुट अप (Case put up) कर दिया गया था या बाद में ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैं बता चुका हूं कि पहले ।

श्री **एच. के. व्यास**—क्या यह सच नहीं है कि केस उनकी ट्रान्सफर होने के बाद पुट अप किया गया ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैं बता चुका हूं कि पहले ।

प्रश्न संख्या १५७

श्री **सरदारसिंह (डि० नं० १३७)**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि जिला बोर्डों के कर्मचारियों के लिये मोटर खरीदी गई है ?

Page No.22

[श्री सरदारसिंह]

(ख) क्या सरकार को यह इल्म है कि इन मोटरों का कर्मचारियों द्वारा अपने खानगी कामों में दुरुपयोग किया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) हां ।

(ख) नहीं ।

श्री सरदारसिंह—उन मोटरों की संख्या कितनी है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल नोटिस चाहता है ।

श्री एच. के. व्यास—क्या इस सदन में इस सिलसिले की शिकायत की गई थी ?

श्री रामकरण जोशी—सदन में तो ऐसी शिकायतें भी की जाती हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं होता ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी भी ऐसे जवाब देते हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं होता ?

श्री रामकरण जोशी—मैं तो ऐसे जवाब नहीं देता ।

प्रश्न संख्या ६७८

श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त-शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जिला बोर्डों के सदस्य सदैव मनोनीत किये जाते रहेंगे या इनका कभी चुनाव भी होगा ?

(ख) अगर होगा, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—जिला बोर्डों के सदस्यों को आगे सदैव मनोनीत नहीं किया जायगा, बल्कि इनका चुनाव होगा जब कि राजस्थान जिला बोर्ड बिल धारासभा द्वारा कानून के रूप में पास कर दिया जावेगा। उक्त बिल सदन के सामने उपस्थित है ।

श्री सरदारसिंह—क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि उणियारा के कितने सदस्य बोर्ड में हैं ।

श्री रामकरण जोशी—मुझे इस समय मालूम नहीं ।

श्री सरदारसिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य सज़ायाफ्ता है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सब बातें आप पूछ लें फिर मैं आपको बता दूंगा ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या यह सच है कि दांता रामगढ़ की ओर से कोई सदस्य नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—यह मुझे मालूम नहीं है, आप मालूम कराइये ।

Page No.23

प्रश्न संख्या ६७६

श्री महादेव प्रसाद—क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(क) राजस्थान से पाकिस्तान गये हुये मुसलमानों के खेतों की भूमि का लगान लेने में क्या परिपाटी अपनाई गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि अब तक उन जमीनों का लगान जागीरदार लोग भी लेते हैं ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीनें, बोली लगा कर २०) रुपया प्रति बीघा के हिसाब से जागीरदारों द्वारा बिक्री की गई थीं ?

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान से पाकिस्तान गये हुये मुसलमानों के खेती की भूमि का लगान भारत सरकार की आज्ञानुसार लिया जाता है। हर आज्ञा के अनुसार—

(१) जो जमीनें शरणार्थियों को दी जाती हैं उनकी मालगुजारी का दुगुना और अन्य लोन जो पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों को देने पड़ते थे, वसूल किये जाते हैं।

(२) जो जमीनें स्थानीय निवासियों को दी जाती हैं उनका वह मुनाफा, किराया जो पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों को उनके काश्तकार देते थे या दुगुना मालगुजारी और अन्य लोन जो उन मुसलमानों को देने पड़ते थे, दोनों में से जो भी अधिक हों, वसूल किये जाते हैं।

अलवर और भरतपुर में संकटकालीन और पुनर्स्थापन संबंधी स्थितियों के कारण प्रथम तीन वर्ष के लिये केवल मालगुजारी और उक्त टैक्स ही वसूल किये गये हैं और सन् १६५१ की खरीफ के बजाय दुगुनी मालगुजारी के १-१/४ मालगुजारी ही वसूल की जा रही है।

शेखावाटी के कुछ जागीरदारों के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि वे पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों की भूमि का लगान वसूल कर रहे हैं, जांच की जा रही है। ये जमीनें अभी तक निष्क्रमणार्थी संपत्ति संरक्षक के कब्जे में नहीं आई हैं।

कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट शेखावाटी और बीकानेर के जागीरदारों के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

श्री महादेव प्रसाद—उन जमीनों का लगान अभी भी जागीरदार लोग लेते हैं, क्या यह अन्याय नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि इस संबंध में जांच की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई रेकार्ड है ?

श्री अमृतलाल यादव—हां, है।

Page No.24

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--जांच कब तक शुरू हो जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव--प्रतिशीघ्र ।

श्री महादेव प्रसाद--जागीरदारों ने जो जमीनें काश्तकारों को दे दी हैं क्या वे जमीनें उनसे वापिस ली जावेंगी ?

श्री अमृतलाल यादव--यह सब जैसा मैंने अभी आपको बतलाया कि जांच हो रही है उसमें आ जाता है। जिनको अनुचित रूप से जमीनें बेच दी गई हैं या दे दी गई हैं, इस संबंध में जांच हो रही है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--जांच कौन कर रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव--जांच कस्टोडियन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ९८०

श्री हंसराज जटिया--क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) धौलपुर युनिट (जिला भरतपुर) में कोई नवीन बांध की योजना है ?

(ख) अगर है, तो क्या ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या--धौलपुर युनिट, जिला भरतपुर में नवीन बांध की योजना पार्वती इरिगेशन प्रोजेक्ट की है । इसका अनुमानित खर्चा ८८ लाख रुपया है और ३५००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

श्री हंसराज--पार्वती इरिगेशन प्रोजेक्ट के अलावा भी कोई इरिगेशन की योजना सरकार के सामने है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--नवीन बांध की योजना पार्वती के अलावा निम्नलिखित एक्सटेन्शन और इम्प्रूवमेन्ट के काम माइनर इरिगेशन वर्क्स में लिये गये हैं :--

(१) रामसागर के नाल जिसका तखमीना ४३,०००) रु० का है, व ३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई में वृद्धि होगी ।

(२) उर्मिला सागर के नाल जिसका तखमीना २७,८५०) रु० का है, व ३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की वृद्धि होगी ।

Page No.25

प्रश्न संख्या ६८१

श्री अध्यक्ष— श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८२

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या वन विभाग के मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर में नाहरी के नाके वन महोत्सव के सिलसिले में कितने पेड़ लगाये गये थे ?

(ख) इसमें सरकार का कितना खर्च हुआ ?

(ग) अब वहां कितने पेड़ जिन्दा हैं ?

(घ) क्या सरकार ने उत्सव मनाने के पश्चात् उन पेड़ों की कभी देख-भाल भी की है ?

(ङ) यदि की तो वहां के पेड़ क्यों सूख गये; और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) जयपुर में नाका नाहरी के रेतीले भाग में सन् १६४८-४६ में कुछ नलों में पानी के बहाव द्वारा बहती हुई धरती को कटने से बचाने के लिये बांध बांधे गये। साथ साथ घास भी लगाई गई। पूरे भाग पर कुछ असें के लिये चराई से बंद भी किया गया, कि वहां जानवरों के खुरों से धरती कट कर बह न सके और घास अच्छी तरह उग सके। यह प्रयोग काफी सफल हुआ और इस प्रयोग को दिखाने के लिये चंद प्रतिष्ठित सज्जनों को बुलाकर उनके द्वारा सन् १६४८-४६ के वन-महोत्सव के अवसर पर कुछ पेड़ लगवाये गये।

(ख) लगभग पांच सौ रुपये का खर्चा हुआ।

(ग) नाका नाहरी का भाग शहर की मवेशियों के लिये चरागाह है किन्तु इस प्रयोग के पूरा होने तक मवेशियों की चराई बंद करने की कोशिश करने पर भी लोग वहां जबरन् मवेशी छोड़ देते थ इसलिये जो पेड़ लगाये वे पनप नहीं पाये।

(घ) वृक्षों की देखभाल की गई किन्तु वर्षा के अभाव के कारण पेड़ नहीं रह सके।

(ङ) इसका उत्तर (घ) में आ गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या सरकार को यह पता नहीं था कि जानवर.......

श्री अमृतलाल यादव—सरकार को मालूम था। वे रोके गये और वहां सेवार लगाई गई।

श्री जसवन्तसिंह—अभी आपने बताया कि वृक्ष लगाने में ५००) रुपये खर्च हुए। इसमें से कितने रुपये वास्तव में वृक्ष लगाने पर खर्च हुए और कितने रुपये तस्वीरें खिचवाने आदि में खर्च हुए ? क्या सरकार इसको बतलाने की कृपा करेगी ?

Page No.26

श्री अमृतलाल यादव—इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका अलग अलग हिसाब नहीं रखते। आप किसी भी काम को लीजिये, आप कहीं जाइये या जमा होते हैं तो उस संबन्ध में जो जो खर्च होता है वह सब उसी में आता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जितने वृक्ष लगाये गये उनमें से कितने जिन्दे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यदि आप वहां पर मवेशियों का चरना बन्द कर दें तो वृक्ष खड़े रह सकते हैं।

एक सदस्य—अभी तक सरकार ने कहां कहां वृक्ष लगाये और उनमें से कितने जिन्दे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह दूसरा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा।

श्री एच. के. व्यास—क्या पेड़ लगाने के पहले इस बात को ध्यान में रखा जाता है या नहीं कि आया यह स्थान उपयुक्त है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—जहां मिट्टी नदी के बहाव से कट रही हो उसको रोकने के लिये वृक्ष लगाना उपयोगी होता है। मगर हमारे कुछ विभिन्न पार्टी के लोग अपने स्वार्थ के लिये गाय, भैंस आदि चरने के लिये छोड़ देते हैं इस वजह से वे पनप नहीं पाते।

श्री एच. के. व्यास—क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि वृक्ष लगाने से पहले यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई थी कि वहां चराई के लिये जमीन रहना उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !!

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next

प्रश्न संख्या ६८३.

श्री हंसराज आर्य—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि भरतपुर में आबपाशी की रेट कम है और धौलपुर में ज्यादा ?

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भरतपुर में सैलाबी आबपाशी होती है, यानी बाढ आने पर एक दफा ही पानी दिया जाता है और धौलपुर में बाकायदा आबपाशी के लिये पानी दिया जाता है, यानि तीन-चार दफा व इसी कारण से दोनों रेटों में अन्तर है।

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि धौलपुर में आबपाशी की रेट यू.पी. से तीन गुना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि यहां पानी भी तीन-चार दफे दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ६-४

श्री हनवंतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) जैसलमेर व बाप तहसीलों में किन किन गांवों में पानी खारा है ?

(२) जैसलमेर व बाप तहसीलों में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर पीने का पानी दूर से लाया जाता है ?

(३) क्या सरकार, जिन गांवों में खारा पानी है वहां टांके बना कर इस कष्ट को दूर करने के बारे में सोचती है ?

(४) यदि उत्तर हां में है, तो सरकार ने क्या कोई स्कीम बनाई है ?

(५) जिन गांवों में लोग पानी दूर से लाकर पीते हैं क्या उनके लिये भी सरकार प्रयत्नशील है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) जब तक पंचायतें स्थापित नहीं हो जातीं इसकी जानकारी स्वायत्त शासन विभाग में मिलना दुर्लभ है।

(२) इसका उत्तर (१) में आ चुका है।

(३) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायतों के द्वारा पंचायत क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को हल करने की व्यवस्था है। ज्योंही पंचायतें स्थापित हो जायगी उक्त योजनानुसार कार्य हो जायगा।

(४) इसका उत्तर (३) में दिया जा चुका है।

(५) उत्तर (३) के अनुसार प्रयत्न शील है।

प्रश्न संख्या ६८५ (७२ आर. आर. एम.)

श्री मुगनचन्द जैन—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़ जिले में बस्सी जागीरदार के कब्जे में कितना जंगल है ?

(२) क्या उस जंगल में घास तथा लकड़ी काफी तादाद में कटा कर वह मनमानी तौर पर बेचता है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि ऐसा करने से वहां के काश्तकारों को लकड़ी तथा घास की काफी कठिनाई रहती है और वहां जो खुला जंगल है वह काश्तकारों के लिये काफी नहीं है ?

[श्री सुगनचन्द जैन]

(४) क्या सरकार डिमार्केशन लाइन (demarcation line) को हटा कर खुला जंगल वहां की पूर्ति के अनुसार खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—(१) ठिकाना बस्सी के जागीरदार के कब्जे में कोई जंगल नहीं है, अलबत्ता रिजर्व फोरेस्ट घुंघारिया में ठिकाने का बीड़ घास नामी घुघारिया रकबा ६८४ बीघा है जिसमें ठिकाना घास कटवाता है ।

(२) इस रिजर्व फोरेस्ट का फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसकी खण्ड २ के अनुसार ठिकाना बस्सी का अधिकार बीड़ घुघारिया रकबा ६८४ बीघा पर माना गया और उसमें की पैदावार अपने प्रयोग में लेने के अधिकार ठिकाने को है । उक्त अधिकार के तहत ठिकाना इस बीड़ में से घास कटवाता है । जहां तक मालूम हुआ है जागीरदार बीड़ में से घास पांती द्वारा जनता बस्सी से कटवाते हैं ।

(३) ठिकाना बस्सी के काश्तकारान को घास की कोई कठिनाई नहीं रहती बल्कि पांच साल के कटे हुए कूप्स के अतिरिक्त तमाम जंगलों में पशुओं को चरने दिया जाता है । लकड़ी की कठिनाई भी इसलिये नहीं है कि वहां की जनता को सूखी लकड़ी सर बोझ द्वारा इन जंगलों से फ्री लाने दी जाती है । जो लोग ऊंट अथवा गाड़ी द्वारा सूखी लकड़ी लाने की इच्छा रखता है उसको राजस्व-पत्र अनुसार महसूल अदा करने पर सूखी लकड़ी लाने दी जाती है । सूखे जंगलों में मनमाने तरीके से कटाई करने व कटाई होने के बाद उनमें पशुओं के चराई पर कोई नियंत्रण न रहने के कारण छोड़े हुए खुले जंगल नष्ट हो चुके हैं इसलिये मुमकिन है कि खुले जंगल उनके लिये काफी न हों ।

(४) डिमार्केशन लाइन यदि हटा भी दी जाय तो ये भी खुले जंगल दो-चार सालों में नष्ट हो जावेंगे और समस्या फिर वैसी ही बनी रहेगी ।

श्री सुगन चन्द—क्या वहां के काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें मिलती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—जिस वक्त डिमार्केशन किया गया था उस समय गांव वालों के उज्रात सुन कर ही काफी जंगल उनके लिये सुरक्षित रखा गया था । वे उसको काट पीट कर अब डिमार्केशन लाइन को आगे बढ़वाना चाहते हैं । सरकार इस प्रकार की कार्यवाही अब करने के लिये तैयार नहीं है । जो डिमार्केशन लाइन तय की गई थी वह वाजिब है ।

श्री सुगन चन्द—आप अभी जब चित्तौड़ पधारे थे तो काफी तादाद में किसानों का डेपुटेशन आपसे मिला था और उन्होंने सारी की सारी शिकायतें आपके सामने रखी थीं । क्या आप उनकी शिकायतों पर उनकी तकलीफों को दूर नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—शिकायत यह लेकर आये थे कि डिमार्केशन लाइन को हटा कर दो मील का रकबा उनको एलॉट कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करूं,

[श्री अमृतलाल यादव]
कि इस प्रकार डिमार्केशन लाइन को अगर तोड़ा जायगा और रकबा एलॉट किया जायगा तो यह संभव नहीं हो सकता है क्योंकि आगे फिर इसी प्रकार की शिकायतें आवेंगी। इसके अलावा और जो शिकायते थीं दूसरी किस्म की थीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री संतोषसिंह।

प्रश्न संख्या ६८६ (९५ एल. एस. जी. एम.)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार ने वीकली होलिडे एक्ट (Weekly Holiday Act) जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा में ही लागू किया है? बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर इत्यादि स्थानों पर वह क्यों नहीं लागू किया गया है?

(ख) क्या ये स्थान व्यापार और उद्योग के लिहाज से भीलवाड़े से भी किसी प्रकार कम महत्व रखते हैं?

(ग) क्या सरकार इस ओर जल्द ध्यान देगी?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) वीकली होलिडे एक्ट उन्हीं स्थानों के लिये लागू किया था जहां पर कि उक्त विभाग की तरफ के लेबर ऑफिसर्स के हैडक्वार्टर्स हैं। इस दृष्टि से भीलवाड़ा में भी लेबर ऑफिसर का दफ्तर है और वह अपने दूसरे कामों के साथ साथ इस काम की भी देख रेख रखता है।

(ख) इससे दूसरे स्थानों का महत्व कम नहीं होता।

(ग) सरकार सारे राजस्थान में उक्त एक्ट का पालन करवाने की इच्छा रखती है और सभी जगह देख रेख की जिम्मेदारी स्थानीय तहसीलदारों को देने का विचार कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार कब तक निर्णय करने का विचार रखती है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—सरकार की इच्छा तो यही है कि जल्दी इसका निर्णय हो जाय। अभी अभी लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी।

श्री अध्यक्ष—The question hour is over. Next, Shri Bhola Nath.

राजस्थान निर्मित तम्बाकू फुटकर विक्रय नियमन विधेयक, १९५३.

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to regulate the retail sale of manuactured tobacoo be extended upto the 20th April, 1953.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to grant extension ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान हुई ।

स्थगन प्रस्ताव

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव रखा था । उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—You will look into it. That has been adjudicated.

प्राक्कलन तथा जन-लेखा समितियों के सम्बन्ध में निर्णय

श्री जसवन्तसिंह—Mr. Speaker, Sir, there is one more question before today's work starts.

अभी थोड़े दिनों पहले दो कमेटियों का चुनाव हुआ था । एक तो एस्टिमेट्स कमेटी का और दूसरा पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी का । इन कमेटियों का चुनाव हो गया है और आज तक ओफिशियली (officially) सुनने में नहीं आया है । क्या इन कमेटियों की काम करने की इच्छा है ? कब और क्या करेंगी ? इसका चेयरमेन कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष—It is receiving my notice, because the first thing for that is the nomination of the Chairman of these Committees. But you will hear it very soon ?

विधान कार्य

राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त विधेयक, १९५२ पर खण्डशः विचार विमर्श

श्री अध्यक्ष *Clause* 2.—There are three amendments on Clause 2 by Shri Bhim Singh, Shri Bhairon Singh and Shri Abani Kumar. We take the clause as moved and also the relevant amendments. Shri Bhim Singh.

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज २ के सब-क्लॉज (३) में एमेन्डमेन्ट रखा है । मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

The words 'and includes a thekedar or ijaredar' be deleted from the third line.

लैण्ड होल्डर्स की जो डेफिनिशन दी गई है वह इस प्रकार है :—

"'Land holders means the person to whom rent is, or, but for contract, express or implied, would be, payable and includes a thekedar or an ijaredar ;"

ठेकेदार और इजारेदार इन दोनों शब्दों को डिलीट करने के लिये अर्ज करने का मेरा तात्पर्य यह है कि "लैण्ड होल्डर्स" वे आदमी हैं जो कि अलग अलग तरीकों से लैण्ड होल्ड करते हैं । एक कायदा

[श्री भीमसिंह]

कार हैं, एक जागीरदार है और एक माफीदार है और इस सेक्शन के अन्तर्गत ठेकेदार और इजारेदार आज के प्रेक्टिस में राजस्थान के अन्दर एक दूसरी पोजिशन (position) रखते हैं। इजारेदार वे लोग होते हैं जहां पर किसी लेण्ड होल्डर ने अपनी जमीन के सुधार करने की नियत से कोई कूआ बनवा दिया है या कुछ अपना हिस्सा कूआ बनवाने में लगा दिया है या दूसरे आदमी ने अपने कूए बनवाने के लिये कुछ शर्तें मुकर्रर की हैं कि हम इतना अनाज इजारे के रूप में देते रहेंगे। ऐसे इजारे कुछ रबी की फसल के लिये होते हैं और कुछ खरीफ की फसल के लिये। कुछ इजारे परमानेन्ट भी होते हैं। खास कर भोमियों के इलाकों में यह देखा गया है कि भोमियां ने काश्तकारों के लिये कूए बनवा दिये, काश्तकारों ने मेहनत की और कूआ बनाया है और बनाते वक्त पुख्ता लिखावट आपस में हो जाती है कि इतने सालों के अन्दर इतना अनाज इजारे के रूप में देते रहेंगे। कई केसेज में ऐसा होता है कि समय की पाबन्दी नहीं होती है, करीब करीब परमानेन्ट सैटलमेण्ट होता है। ऐसी हालत में जिन भोमियों के साथ जिस शख्स ने एग्रीमेन्ट किया है उसे इजारेदारी कहते हैं। वह करीब करीब सेटल्ड होती है, परमानेन्ट होती है और ऐसी हालत में उसे लेन्ड होल्डर नहीं कह सकते क्योंकि वह तो इजारे पर जमीन लेता है। अगर इनको लेन्ड होल्डर्स का रूप दे दिया जाय और जो ऑलरेडी (already) लैन्ड होल्डर्स हैं या थे और यदि दोनों को मिला दिया गया तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और इसलिये मैं खासतौर पर माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये शब्द कहां से लिये गये हैं। अपने यहां जो टिनेन्सी बिल ड्राफ्ट हुआ है उसमें लेन्ड होल्डर और टिनेन्ट्स दोनों अलग अलग आ जाते हैं।

इसलिये अपने राजस्थान टीनेन्सी बिल से तो यह चीज मुझे मन्जूर है। पर यह हिस्सा यू. पी. टीनेन्सी बिल से लिया गया है। लैन्ड होल्डर्स की डेफिनिशन से यह बात साफ दृष्टिगोचर होती है।

पॉवर्स का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वह इसलिये कि जिस खातेदार का अपना कॉन्ट्राक्ट (Contract) खतम हो गया है उस हालत में या उसके प्रोप्राइटरी राइट्स के खतम हो जाने की सूरत में वह भी खतम हो जाता है। पर हमारे इस समेरी सैटलमेण्ट में इसको बाद में बढ़ा दिया गया है। यह किसी भी मंशा से बढ़ा दिया गया हो। इन दोनों चीजों को मिला दिया गया है, ऐसा मैं समझता हूं।

खास तौर से मेरा कहना है कि जो खातेदार हैं वे लैण्ड होल्डर टीनेन्ट की डेफिनिशन में नहीं आते हैं। इजारेदार या ठेकेदार के लिये डेफिनिशन अलग ही होनी चाहिये थी। इनकी दूसरी पोजीशन है। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Bhaironsingh.

(अनुपस्थित)

Shri Abni Kumar.

श्री अवनिकुमार—मेरा जो प्रोपोजल (Proposal) है वह अनसेटल्ड लैन्ड की डेफिनिशन के बारे में है।

छपे हुए संशोधन को पढ़ने से पता चला कि यह गलत छप गया है। जैसे कि "Or completed in respect of such land holding or area." के स्थान पर मैंने सिर्फ "Or completed" का deletion रखा था; यह संशोधन पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—We can take it as that.

श्री अवनिकुमार (जारी)—अगर इसको डिलीट नहीं किया जावेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होने की संभावना है।

इस खण्ड के अनुसार यह कहा गया है कि अनसेटल्ड (unsettled) क्षेत्र वह होगा जहां रेगुलर सर्वे रेकार्ड और सैटलमेन्ट ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है या शुरू भी होगया है तो खतम नहीं हुआ है। जहां यह पोजीशन है वह जमीन या एरिया भी अनसेटल्ड की केटेगरी (category) में आ जाता है।

जैसा कि कल माननीय मन्त्रीजी इन्चार्ज ने कहा था कि जहां रेगुलर सेटलमेन्ट शुरू हो गया है वहीं समेरी सैटलमेन्ट की कार्यवाही नहीं की जावेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। जहां रेगुलर सेटलमेन्ट की कार्यवाही की जा चुकी है या हो रही है वहां समेरी सैटलमेन्ट की कार्यवाही नहीं होगी, यह मन्त्री महोदय ने कहा था। इसलिये मेरी राय में यह शब्द हटा दिये जावें, नहीं तो डुप्लीकेशन (duplication) हो जावेगा। ऐसी सूरत में अगर यह शब्द रह जाता है तो किसी भी इलाके में आधा काम तो रेगुलर सेटलमेन्ट के आधार पर होगा और आधा काम समेरी सैटलमेन्ट के आधार पर होगा। यह वांछनीय नहीं है।

इसी चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री अवनीकुमार का मूल प्रस्ताव देखने के पश्चात्)

I have looked into your original notice of amendment. What is indicated in this is correct. It says that in section 2 (xi), the words "or completed in respect of such land, holding or area" be deleted.

श्री अवनिकुमार—Then it is a mistake of the office. I gave it in office for typing

श्री अध्यक्ष—It is written in your own hand. No room for complaint.

श्री अवनिकुमार—I am sorry.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इस क्लॉज पर ३ अमेण्डमेन्ट मूव किये गये हैं—

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

इजारेदार और ठेकेदार शब्द को हटाने के बारे में पहला जो अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अलग अलग तरह से लगान वसूल करने का एक सिलसिला चला आ रहा है और इजारेदार और ठेकेदार जो हैं उनको लैन्ड होल्डर्स नहीं समझ कर कुछ और समझा जावे, यह उचित नहीं मालूम होता।

इजारेदार प्रथा जिन इलाकों में है वह पहले किन्हीं आधारों पर कायम की गई हो, पर आज जब कि उन ही आधारों में दूसरी जगह परिवर्तन किये जा रहे हैं और काफी अन्तर उनमें आ गया है तो इनमें परिवर्तन न किया जावे यह चीज उचित नहीं मालूम होती। जिस वक्त इजारे कायम किये वहां लगान लेने के तरीके भी दूसरे थे। तो उन्हीं तरीकों के आधार पर कॉन्ट्राक्ट पर ये इजारे आज भी बन्धे हुए रहें, मैं यह उचित नहीं मानता। दूसरे इसी तरह के फैक्टर्स तो सैटल्ड हो जायें और ये अनसैटल्ड रहें तो यह भी उचित नहीं होता।

जितने किसान हैं उन सबको समान रूप से सैटलमेन्ट की सुविधायें मिलनी चाहिये और जो लाभ इस सैटलमेन्ट से उनको पहुंचना चाहिये वह सब को समान रूप से पहुंचना चाहिये। और इसी दृष्टि से राजस्थान के अन्दर इजारेदार और ठेकेदार को जो प्रथा है उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनिशन में इन्हीं शब्दों में लिया गया है। इसलिये मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

'Completed' शब्द को डिलीट करने की दूसरी जो बात कही गई है इसके सम्बन्ध में भी मैं कह देना चाहता हूं कि जहां रेगुलर सैटलमेन्ट ऑपरेशन्स चल रहे हैं उनको बन्द करके समेरी सेटलमेन्ट चालू करने का हम इरादा नहीं रखते। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर उसे दोहरा देना उचित समझता हूं कि कुछ इलाका ऐसा है जहां पर रेगुलर सैटलमेन्ट का एक हिस्सा पार कर लिया गया है, सर्वे कर लिया गया है, सर्किल रेंट तय कर दिया गया है। वहां इस "काम्प्लीटेड" शब्द को हटाने में दिक्कत आवेगी। इसका मतलब यह है कि सर्वे करके एक स्टेज पर वहां सैटलमेन्ट पहुंच गया है। वहां सर्वे सैटलमेन्ट से काम पूरा करके ठीक कर दिया जावे।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझ लेंगे। इन शब्दों को हटा देंगे तो किसी भी कार्यवाही करने में रुकावट पैदा हो जावेगी। इसके विपरीत इन शब्दों के रहने से जहां आवश्यकता हो वहीं इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी इरादे से ये शब्द रखे गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, सैटलमेन्ट से लोगों को जिस प्रकार सुविधायें प्राप्त होती हैं और उनकी दिक्कतें दूर होती हैं वही हम करना चाहते हैं और समान रूप से इस सैटलमेन्ट से मिलने वाली सुविधायें सबको मिलें, वैसे ही सुझाव आपको भी देने चाहियें; यह मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने इन संशोधनों को मूव किया है वे इन्हें वापिस ले लेंगे।

श्री भीमसिंह--मैं अपना संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं।

Page No.34

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री भीमसिंहजी अपना संशोधन वापिस लेलें।

(आज्ञा प्रदान हुई)

वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री भीमसिंह—सदन की आज्ञा से मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अवनिकुमार—मैं जवाब में कुछ कहना चाहता हूं :

मैंने पहले जैसा कहा था कि जहां आधा काम रेगुलर सैटलमेन्ट की कार्यवाही के आधार पर होगा वहां समेरी सेटिलमेण्ट शुरू कर दी गई तो इसमें दिक्कत आवेगी। जवाब में आश्वासन दिया गया था कि जहां रेगलर सैटलमेन्ट की कार्यवाही चल रही है वहां समेरी सैटलमेन्ट करने की कोई मंशा नहीं है। पर ऐसी हालत में अगर ये शब्द हटाये नहीं जाते हैं तो दूसरी बात जो मैं मन्त्रीजी महोदय से पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या इस तरह से रेगुलर व समेरी सैटलमेन्ट की कार्यवाही के डुप्लीकेट होने की संभावना नहीं रह जावेगी ?

एक तरफ तो आप समेरी सैटलमेन्ट करने जावेंगे और दूसरी ओर वहां रेगलर सैटलमेन्ट की कार्यवाही होती रहेगी। इस रेगुलर सैटलमेन्ट की कार्यवाही के चालू होने पर रेकॉर्ड तैयार होते हैं, रेट तय किया जाता है और बाद में परचे भी बंट जाते हैं और इसमें समय लगना स्वाभाविक भी है। तो इस तरह से जहां रेगुलर सैटलमेन्ट की कार्यवाही शुरू हो गई है वहां समेरी सैटलमेन्ट की कार्यवाही से क्या फायदा सरकार को होगा ? इस पर विचार कर लें मन्त्री महोदय। इन शब्दों को ऐसे ही रख दिया तो कांफी गड़बड़ी की गुंजाइश रह जावेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष—You want to press ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक भोमियों के इलाकों का संबन्ध है उस मामले को बारबार इसके साथ जोड़ने से कोई लाभ नहीं। कहीं इस तरह की परिस्थिति हो जाय, उस इलाके की सुविधा के लिये इस कानून में इस क्लॉज का रहना जरूरी है इसलिये इसकी गुन्जाइश रखना उचित प्रतीत होता है।

श्री अवनिकुमार—मैं अपने संशोधन को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री अवनिकुमार अपने संशोधन को वापिस लें।

(आज्ञा प्रदान हुई)

आज्ञा दी गई।

श्री अवनिकुमार—I withdraw my amendment.

Page No.35

श्री अध्यक्ष--So, the question is that Clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

(विराम)

Then we come to Clause 2. There is an amendment to Clause 3 by Shri Abani Kumar.

श्री अवनिकुमार--It does not seem necessary to move this amendment.

श्री अध्यक्ष--So, the question is that Clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

(सदन में कोरम पूरा न होते देख कर)

I will dajourn the House if there is no quorm.

(राज पक्ष के सदस्यों का सदन में प्रवेश)

Now we come to Clause 4. Shri Abani Kumar.

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--संशोधन इस प्रकार है "The words 'duly qualified, be added before the words 'settlement officer occuring in line four of this clause.

माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन के उपस्थित करने से मेरा सिर्फ यह आशय है कि जो अफ़सर सेटिलमेन्ट करने के लिए मुकर्रर किये जायं वे क्वालिफाइड हों और सेटलमेंट की ट्रेनिंग हासिल किये हुए हों। यदि ऐसी हालत रही तो सेटलमेन्ट पूरा नहीं होने की संभावना है। इसलिए संशोधन को पेश किया है। आशा है माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं समजता हूं कि कानून के अन्दर क्वालिफ़िकेशन आदि को डालना आवश्यक नहीं होता। यह तो डिपार्टमेन्ट का काम है कि वह कार्य को देखते हुए, काम ठीक ढंग से हो। यह तो सारा काम सरकारी विभाग पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। इन बातों को कानून के अन्दर लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती प्रतीत होती है। मैं समझता हूं कि श्री मुखर्जी यह अमेन्डमेन्ट सीरियसली (Seriously) नहीं रखा है इसलिये उनसे आशा करता हूं कि वे इस अमेन्डमेन्ट को विथड्रा करेंगे

श्री अवनिकुमार--I beg leave to withdraw my amendment.

Page No.36

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdraal?

(अनुमति प्रदान हुई।)

Leave is granted.

श्री अवनिकुमार—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 5. Shri Bhim Singh.

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"The following be added after sub-clause (1)(v) of Clause 5 :—

"Exception-In case of dispute between the landlord and tenant, the land shall be measured and the settlement officer will decide the dispute in accordance with this measurement."

कुछ तरीके इसमें बताये गये हैं जिनके अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जायेंगे। इसके नीचे जाकर इसका (बी) पार्ट दिया गया है। उसमें यह है कि ऊपर के तरीके से अगर सेटलमेन्ट ऑफिसर होल्डिंग एरिया डिटरमिन (determine) करने में असमर्थ है तो वह मिलजुल कर तय कर ले, जैसा कि इसके सब-क्लॉज (२) में आया है। अगर सेटलमेन्ट ऑफिसर सारे एरिया को डिटरमिन करने में असमर्थ है तो उसकी मरजी पर छोड़ दिया गया है।

"Settlement Officer may cause the same to be surveyed by the chain".

यह सेटिलमेन्ट ऑफिसर पर छोड़ दिया गया है। अपनी सहूलियत से इस तरह से मालूम नहीं कर सकता। बहुत सी जगह ऐसा हो गया कि किसी एरिया में डिस्प्यूट (dispute) हो और लेन्डलॉर्ड के बीच डिस्प्यूट हो तो वह कहे कि असल एरिया इतना है। उसको सेटलमेन्ट अफसर चाहे तो नपवाये और चाहे तो न नपवाये। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि चेन से नपवाने का का कार्य जरूर होना चाहिये।

जिससे किसी को यह मालूम न हो कि मेरे साथ धांधली हुई या मेरे साथ ज्यादती हुई है। इसलिये इस लिहाज से शायद मिनिस्टर महोदय मेरे अमेन्डमेन्ट पर विचार करते कि डिस्प्यूट बहुत सी जगह हो सकते हैं जब कि आप समेरी सेटलमेन्ट ही कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके भी हो सकते हैं कि डिस्प्यूट नहीं भी होंगे तो ऊपर दिये हुये तरीके से काम होगा। इसलिये मैंने जो संशोधन क्लॉज (१) में रखा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

(श्री भीमसिंह)

अगर मेरा संशोधन मन्जर कर लिया जायगा तो यह क्लॉज इस तरह से पढ़ा जायगा ।

"5 (i)(v) partly on one and partly on the other or others of the above basis.

Exception.—In case of dispute between the landlord and tenant, the land shall be measured and the Settlement Officer will decide the dispute in accordance with this measurement"

इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है ताकि किसी को यह महसूस न हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है ।

तीसरा संशोधन क्लॉज ५ के सबक्लॉज (४) के अन्दर है वह इस प्रकार है "The words or otherwise' be deleted in seventh line." पजेशन के डिस्प्यट को सेटलमेन्ट ऑफीसर डिसाइड करे, उसके लिए यह तरीका दिया गया है; उसके लिए सब क्लॉज चार इस प्रकार है:—

"(4) If the Settlement Officer is unable to satisfy himself as to which party to a dispute is in possession or if it is shown that possession of the disputed land or holding has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupant thereof he shall after ascertaining by summary enquiry or otherwise make an entry in the record of rights in favour of the person best entitled to possession or the person to dispossessed as the case may be ."

इसमें मुझे ऐतराज है कि समेरी इन्क्वायरी के बाद "otherwise" जो शब्द रखा गया है यह एक ऐसा वेग (vague) शब्द है जिसके बहुत से मायने लगाये जा सकते हैं। अगर सेटलमेन्ट ऑफीसर किसी गांव से गुजर रहा है और किसी भी आदमी को खेत पर खड़ा हुआ देख लिया और चलते हुए उससे पूछ लिया कि यह किसका खेत है और उसने जवाब दिया कि यह अमुक का खेत है तो वह ऑफीसर उस व्यक्ति के कहने से यह कह सकता है कि मैंने मालूम कर लिया और मुझे इससे तसल्ली है । इस-तरह से वह किसी दूसरे के हक में फैसला दे सकता है । यह भी हो सकता है कि सेटलमेन्ट ऑफीसर का कोई चपरासी है और उसको किसी ने अपने यहां खाने का निमन्त्रण दे दिया ।उसके यहां खाना खाने की वजह से भी वह चपरासी अपने साहब से कह दे कि यह खेत तो अमुक आदमी का है और उस पर सेटलमेन्ट ऑफ़िसर कह सकता है कि मैंने कोन्फिडेन्शियली जांच करली है, तहकीकात करली है, मुझे तसल्ली है कि यह खेत अमुक आदमी का है, तुम्हारा नहीं है । इस तरह से इससे इस 'otherwise' शब्द के होने से यह क्लॉज वेग (vague) हो जाता है जिसके अन्तर्गत न मालूम कितनी धांधलीबाजी या करप्शन (corruption) फैल सकता है और फसला रहेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि "or otherwise" शब्दों को डिलीट कर दिया जाय । ऐसी हालत में "Shall after ascertaining by summary enquiry." करना सेटलमेन्ट ऑफ़िसर के लिए लाजिम हो जाता है और दोनों पार्टियों को अपने हकों के सबूत पेश करना लाजिम हो जायगा और अपने हकों के

[श्री भीकसिंह]
सबूत में वे जो जो कागजात पेश करेंगे और उन कागजातों के आधार पर दोनों पार्टियों को अपने अपने केस की सफाई के लिए पूरा पूरा मौका मिलेगा। फिर किसी को यह कहने का अधिकार नहीं रहेगा कि मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिला।

ऐसी सूरत में किसी आदमी को यह कहने को गुंजाइश नहीं होगी कि सेटलमेन्ट ऑफिसर साहब ने कुछ धांधली की है, कुछ रिश्वत खाली है या और कोई मामला होगया या ऊपर से सिफारिश हो गई। ऐसी हालत में सेटलमेन्ट ऑफिसर के हाथ मजबूत होते हैं और गवर्नमेंन्ट के हाथ मजबूत होते हैं। अगर "otherwise" शब्द रखते हैं तो शब्द रखने से सेन्स (sense) बहुत वेग (vague) हो जाता है।

चौथा मेरा एमेन्डमेंट सब-क्लॉज (५) पर है और वह इस सिलसिले में है कि सेटलमेन्ट अफसर से या जो भी अफसर हो उस अफसर से वह जो पार्टी एग्रीव्ड (aggrieved) है, जो पार्टी यह महसूस करती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह पार्टी कहीं अपील करे और जो उसके साथ बेजाप्तगी हुई है तो उसको ठीक कराने के लिए सब-क्लॉज (५) रखा गया है जिसके लिए मैंने अमेन्डमेंट रखा है। वह यह है कि—"The word "revenue" be deleted form the fourth line occurring between the words 'competent' and 'court'.
यह 'रेवेन्यु' शब्द डिलीट करने का है। सब-क्लॉज (५) इस तरह रीड करता है:—

"Any person aggrieved by the decision of the Settlement Officer under sub-section (3) or sub-section (4) may bring in a competent revenue court a suit for the determination of his claim on the bais of title."
अगर उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो आखरी शब्द जो "Title" है, तो जो टाइटल केसेज होते हैं वे रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाते हैं, बल्कि सिविल कोर्ट्स् में जाते हैं और जो पजेशन के केसेज होते हैं वे रेवेन्यू कोर्ट मे जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि "Revenue" शब्द हटा देने से यह इस तरह हो जायगा "May bring in a competent court". फिर यह सारी क्लॉज इस मुताबिक रीड करेगी:—

"Any person aggrieved by the decision of the Settlement Officer under sub-section (3) or sub-section (4) may bring in a competent court a suit for the determination of his claim on the basis of title."

तो जो भी कॉम्पीटेन्ट कोर्ट होगी, उसमें जायगा। इससे कोई क्वेश्चन एराइज (arise) नहीं होता है। अगर किसी कॉम्पीटेन्ट कोर्ट (competent court) में नहीं जायगा तो अपने आप कानून के मुताबिक रह जायगा। उसे रेवेन्यू कोर्ट में ही जाने के लिए क्यों पाबन्द किया जाता है। "Title" का केस रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाता है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मने सब-क्लॉज (५) में यह अमेडमेंट मूव किया है।

Page No.39

श्री अध्यक्ष—Now Shri Bhairon Singh, Danta Ramgarh.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

'Substitute the word 'shall' for the word 'may' in line three of sub-clause (2)'

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा यह मालूम होता है कि जो भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त के लिए ली जाती है उस भूमि का माप किस प्रकार से कराया जाय । उसमें पांच प्रकार के तरीके रखे गये हैं । पहला तरीका तो फील्ड बुक और मेप जो हैं उनसे मालूम करने का है, दूसरा तरीका बीज से मालूम करने का है, तीसरा तरीका हलों से मालूम करने का है और चौथा तरीका यह है कि यदि काश्तकार और जागीरदार दोनों आपस में किसी माप को निश्चित कर लें कि इस जमीन का इतना माप है तो वह तरीका है । पांचवां तरीका यह है, जो पांचवीं सब-क्लॉज में कहा है कि इनमें से किसी एक या दो तरीकों पर दोनों पार्टियां रजामन्द हों तो उस बात के ऊपर माप का आधार बनाया जाय लेकिन यह भी लिखा गया है कि अगर इन पांच बातों पर भी दोनों पार्टियां किसी प्रकार से रजामन्द नहीं हों और सेटलमेन्ट ऑफिसर किसी निश्चित बात पर नहीं पहुंचता है कि उस भूमि का माप कितना है तो उस सेटलमेन्ट ऑफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वह यदि चाहे तो उस जमीन का सर्वे भी करा सकता है । इसी क्लॉज की सब-क्लॉज (१) में ऊपर लिखा है कि "the Settlement Officer shall determine" तो Shall शब्द का प्रयोग किया है, उसका मतलब यह है कि सेटलमेन्ट ऑफिसर इन चीजों में से किसी को आधार बना ले । इस तरह माप का आधार बनाने की सूरत में सेटलमेन्ट ऑफिसर सेटलमेन्ट करा सकता है । इसलिए 'may' शब्द इम्प्रेसिव (impressive) नहीं है । इसलिए "shall" शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि इससे लाजमी हो जायगा कि जमीन का वह सर्वे करा दें ताकि उस जमीन के माप का सही अन्दाजा मालूम हो सके । इसलिए मैंने यह एमेन्डमेन्ट रखा है ।

दूसरा एमेन्डमेन्ट मैंने रखा है :—

"Delete the words 'or otherwise' appearing after the word 'enquiry' in line 7 of sub-clause (4)."

और तीसरा एमेन्डमेन्ट मैंने रखा है :—

"Delete the word 'revenue' appearing in line four of sub-clause (5)."

इस संबंध में माननीय श्री राजहुजी ने काफी कह दिया है । मैं उन्हीं बातों को वापिस दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं उनके संबंध में इतना ही कहूंगा कि जो उन्होंने फरमाया है वह बिल्कुल उचित है और यह संशोधन उसी औचित्य को देखते हुए मन्जूर किये जाने योग्य हैं ।

श्री अध्यक्ष—Shri Harikrishna Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir. . . . .

Page No.40

श्री अध्यक्ष—There is only one Member to hear you.

(विरोधी दल की बैठकों पर केवल एक ही सदस्य)

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are some on the other side.

श्री अध्यक्ष—They are not affected.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is mainly addressed to the other side.

Sir, I beg to move the following amendments :—

"At the end of sub-clause (4) to clause 5, insert the following sub-clause (4)A.

"For purposes of sub-sections (3) and (4) of this Section if the estate holder or the State grantee is found in possession of them it shall be presumed, unless proved to the contrary that possession has been obtained by wrongful means."

माननीय अध्यक्ष, इस पूरी क्लॉज में पजेशन को काफी महत्व दिया गया है और बराबर इसका जिक्र किया गया है कि सेटलमेन्ट ऑफिसर पजेशन के आधार पर अपना फैसला करे। दूसरी बात जिसके आधार पर इस क्लॉज में महत्व दिया गया है वह है समेरी इन्क्वायरी। तो मेरी यह मन्शा है कि चूंकि पजेशन का इतना महत्व दिया गया है और समेरी इन्क्वायरी के जरिये भी तय करने के लिये मौका रखा गया है इसलिये उसमें एक अंग और होना चाहिये जिससे समेरी इन्क्वायरी भी आसान हो और प्रिन्सिपल्स का नेचुरल जस्टिस भी लिया गया है, और इसलिये भी यह सेटलमेन्ट रखा है कि यदि सेटलमेन्ट अफसर यह पाये कि जिस जमीन के बारे में झगडा हो उसमें पजेशन या तो स्टेट होल्डर का हो या स्टेट ग्रान्टी का हो तो यह मानकर चलना चाहिये कि वह पजेशन गलत तरीके से हासिल किया गया है unless proved to be contrary। यह पूरा करने का भार एस्टेट होल्डर या स्टेट ग्रान्टी पर होगा। मैंने यह एमेन्डमेन्ट क्यों रखा है? इसलिए कि आम तौर पर देहात में किसानों के लिये जमीन का कब्जा साबित करना और तरह तरह के कागजात तैयार करने में काफी कठिनाई हो जाती है और टेक्निकल या कानून की खामियों की वजह से कई बार उनके अधिकारों के छीनने या उनके अधिकारों के खतम होने का मौका आया है। इसके विपरीत जो एस्टेट होल्डर अथवा स्टेट ग्रान्टी हैं उनके पास साधन भी उपलब्ध होते हैं और मुमकिन हो अगर उनकी बात सही भी हो तो वह आसानी से सबूत करा दें। इसलिए इससे न्याय का पालन भी बराबर हो जायगा और नेचुरल जस्टिस भी हो जायगी। इसके पजेशन के आधार पर फैसला करना है तो पजेशन एक तरफ का हर प्रकार से वाजिब गिना ही जायगा unless proved to be contrary. और जिसका पजेशन वाजिब गिना जाय वह हो किसान का पजेशन। मेरे माननीय मित्र मेम्बर इन्चार्ज ऑफ दी बिल जो कि मुस्कुरा रहे हैं तो शायद वे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उनका इसको मन्जूर करने का इरादा होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—शुभ लक्षण हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि, माननीय अध्यक्ष, यह एमेन्डमेन्ट मैंने सिर्फ इसी एक बिल में प्रस्तुत किया हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार का एक क्लॉज राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स आर्डिनेन्स में है और जिसमें यह दर्ज है कि ऐसे एस्टेट होल्डर अथवा स्टेट जब्ती किसान के खेत में पाया जाता है तो it shall be presumed. कि वह बेदखल करने के इरादे से या कुछ न कुछ करने के इरादे से वहां पर आया है।

तो जब आर.पी.टी.ओ. में इस बात का प्रिजम्पशन (presumption) किया जा सकता है तो सेटलमेंट के कानून में ऐसे प्रिजम्पशन को और बढ़ाने में क्या हर्ज हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में यह अमेंडमेंट पेश करता हूं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं..........

श्री अध्यक्ष—You are officiating Mr. Mahar, I think.

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, can an Hon'ble Member speak twice on his amendment ?

श्री अध्यक्ष—No. He is opposing your amendment.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, अभी श्री एच. के. व्यास ने संशोधन प्रस्तुत किया उस वक्त चर्चा चली कि मंत्री महोदय कुछ शुभ लक्षण सदन में बता रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि वे इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लेंगे। इन शुभ लक्षणों के देखने से मेरा इरादा हुआ कि इस अमेंडमेंट के स्वीकार किये जाने के फल स्वरूप जो गंभीर हालत पैदा हो सकती है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

माननीय सदस्य ने बताया कि जागीरदार बड़े साधन संपन्न हैं और उन्होंने यह भी कहा कि वह यह सिद्ध कर सकते हैं कि उनका जमीन पर वाजिब कब्जा है। पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि जागीरदारों के साथ दूसरे लेंड होल्डर्स जो हैं साधन संपन्न नहीं हैं और उनकी दशा उन किसानों से भी खराब है जिनके कि फायदे के लिये माननीय मित्र यह अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं।

आर. पी. टी. ओ. का उन्होंने हवाला दिया है, जहां तक मैं समझता हूं यदि उसे कुछ गौर से देखा जाय तो मालूम होगा कि उसके लागू होने के बाद बेदखली का कोई सवाल ही नहीं रहता है। यदि किसी काश्तकार को बेदखल कर दिया है तो उसका संरक्षण इस कानून के अन्दर है। यदि बेजा तौर से बेदखली होती है तो एन्टी इजेक्टमेंट ऑफिसर के पास जाकर काश्तकार अपनी दलील पेश कर सकता है और यदि कब्जे का तनाजा हो तो सेटलमेंट ऑफिसर तनाजे के रूप में उसको डिसपोज ऑफ (dispose of) करेगा।

[श्री भैरूंसिंह (शांतारामगढ़)]

काश्त के बाबत खातेबन्दी होती है। पटवारी मौके पर जाकर एन्ट्रीज करते हैं और इसकी जांच ऑफिसर्स करते हैं, इसलिये जो काश्त बोई है उसके बाबत यदि कोई गलत बतावे तो इसे रेकर्ड से साबित किया जा सकता है।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन को मंजूर नहीं किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष मेरी मुस्कुराहट से माननीय सदस्य ने गलत अर्थ लगाया तथा एक और सदस्य बोलने खड़े हो गये यह और भी आश्चर्य की बात है।

श्री भैरूं सिंहजी ने क्लॉज ५ की सब-क्लॉज (२) में यह अमेंडमेंट रखा है, "Substitute the word 'shall' for the word 'may' in clause three of sub-clause two." मुझे इसे मंजूर करने में कोई ऐतराज नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकार करता हूं।

इनका दूसरा अमेंडमेंट है :—

"Delete the words 'or otherwise' appearing after the word 'enquiry' in line seven of sub-clause (four) of clause 5."

मुझे इसे भी मंजूर करने में कोई ऐतराज नहीं है इसलिये मैं इसे मंजूर करता हूं।

इन्हीं का तीसरा एमेंडमेंट क्लॉज ५ की सब क्लॉज ५ में 'Revenue' शब्द को डिलीट करने के विषय में है। इसे भी स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—If you have accepted so many amendments, I hope you will accept one of my amendments also.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके बाद जो हमारे माननीय सदस्य श्री एच. के. व्यास ने जस्टिस के आधार पर जिस अमेंडमेंट को मूव किया है वह यह है कि अगर कहीं पर लेंड होल्डर का कब्जा पाया जाय तो उसे अन्लॉफुल मान लिया जाय। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इक्विटी (equity) और जस्टिस के खिलाफ बात लाते हैं और उसको जस्टिस के नाम पर मनवाना चाहते हैं। अगर पजेशन गलत तरीके से किया गया है तो इसे मूव करना चाहिये कि यह अन्लॉफुल पजेशन है पर हर किसी में यह मान लिया जाय कि लेंड होल्डर का पजेशन अन्लॉफुल है, यह उचित मालूम नहीं होता। हो सकता है इस तरह के पजेशन्स अन्लॉफुल हों पर उस पर प्रिज्यूम (presume) करके चलना यह जस्टिस, फेअर प्ले और इक्विटी (justice, fair play and equity) के सिद्धान्त के खिलाफ है। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

मेरी मुस्कुराहट का अगर गलत अर्थ लगाया हो तो इसमें मेरा कुसूर नहीं।

Page No.43

श्री अध्यक्ष–You are not replying to Amendment No. 8 of Shri Bhim Singh ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I will request him to withdraw.

श्री भीमसिंह—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष–Is it the leave of the House to allow Shri Bhim Singh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृति प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री भीमसिंह—I withdraw.

श्री एच. के. व्यास—What about my amendment ?

श्री अध्यक्ष–I will put it to vote. But I can give you first chance if you want to withdraw.

(विराम)

The question is that Amendment No. 23 moved by Shri Bhairon Singh regarding substitution of the word "shall" for the word "may" in line 3 be accepted.

(स्वीकृत)

The Amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Amendments No. 9 by Shri Bhim Singh and Bhairon Singh respectively, which are identical, may be accepted.

(स्वीकृत)

The amendments are accepted.

(विराम)

Now the question is that Amendment No. 10 for the deletion of the word "revenue" be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Page No.44

[श्री अध्यक्ष]

The question is that Amendment No. 3 put in by Shri H.K. Vyas for insertion of additional clause to sub-clause (4) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that the clause 5, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 5, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 6. There are no amendments. So the question is..

श्री नाथूराम मिर्धा—Sir, I have put in an amendment.

श्री अध्यक्ष —This was received by me just now. This is for the insertion of a new clause 6(1) :—

"In areas where there exist assessment circles bearing circle rates, those very circles shall be used for verifying rent rates.

The existing sub-clause 6 (1) to be renumbered as (2) and the following words be added in the beginning 'Where there exist any assessment circles, the old rates.'

Sub-clause 6 (2) should be remembered as 6 (3) and the word 'new' be added before 'assessment circle' in the begining of the clause."

This is the amendment by Shri Nathu Ram Mirdha.

श्री रघुराजसिंह—On a point of order, Sir, is this amendment in order ?

श्री अध्यक्ष—This has been received just. You mean to refer to two days' notice ?

श्री रघुराज सिंह—Yes, Has two days notice been given ?

श्री अध्यक्ष—Have you any objection to it ?

Page No.45

श्री एच.के. व्यास–On a point of order, Sir, an amendment may be moved unless somebody objects. The Hon'ble Member wanted some information.

श्री रघुराजसिंह—I am objecting to it.

श्री एच. के. व्यास—No one can be provoked for objection ?

श्री रघुराजसिंह—It was a point of order and I objected to it earlier.

श्री हिम्मतसिंह—Sir, the question whether the amendment is in order, means objection. He is objecting to it.

श्री एच. के. व्यास—The words are "unless objected to."

श्री जवानसिंह–Sir, if the objection made by Shri Raghuraj Singh is not in order then I submit that I have an objection to this amendment. I object to the amendment. If the former objection does not prevail, then my objection prevails.

श्री अध्यक्ष—The relevant rule is 139. It reads :—

"If notice of a proposed amendment has not been given two clear days before the day on which the consideration of the clause to which the amendment proposed is commenced, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker, in his discretion, allows the amendment to be moved."

So I have just received the amendment while discussion on Clause 5 was going on, and if it is objected to, I am afraid I cannot give my consent to this. So this amendment fails.

(विराम)

The question is that Clause 6 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 7. We will first discuss Clause 7(1).

श्री भीमसिंह—I do not want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—I think there are no amendments to it.

Page No.46

श्री भैंरूसिंह---माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ७ पर मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :--

"Substitute the words 'Revenue Board' for the words 'State Government' in line three and delete the words 'through the Revenue Board' in line four of sub-clause (1)."

माननीय अध्यक्ष, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने सभी अमेन्डमेंट्स पर एक साथ ही बता दूं क्योंकि सब के सब का सार एक ही है ।

श्री अध्यक्ष---Yes.

श्री भैंरूसिंह---दूसरे एमेन्डमेंट इस प्रकार हैं:--

"Substitute the word 'will' for the word 'may' in line 1 of sub-clause (2)."

"Substitute the words 'Revenue Board' for the words 'State Government' in line 1 of sub-clause (2)."

"Delete the words 'or until......prescribed manner occuring after the word 'settlement' in line four of sub-clause (2)."

अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों को पेश करने की मेरी मंशा यह है कि जब सरकार की यह मंशा है कि जिस जमीन का अभी तक बन्दोबस्त नहीं हुआ है और उसके कारण जागीरदारों और काश्तकारों में आपस में झगड़े होते हैं और आपसी ताल्लुकात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं और इससे सरकार को भी काफी चिन्ता है तो इस चिन्ता को दूर करने के लिये गवर्नमेन्ट ने भूमि का समेरी सेटलमेन्ट करने का बिल सदन के सामने रखा है । संक्षिप्त बन्दोबस्त किस तरह से होगा, इस बात का सारा विश्लेषण इस बिल में कर दिया गया है । इसके अनुसार सेटलमेन्ट ऑफिसर नियुक्त कर दिया जावेगा और वह उस भूमि का नाप करेगा और जमीन को देख कर रेट्स निश्चित करके अपनी राय रेवेन्यू बोर्ड के पास भेज देगा । जब वह अपनी राय रेवेन्यू बोर्ड के पास भेज देगा तो रेवेन्यू बोर्ड को इस बात का अख्तियार है कि वह दोनों पार्टीज को बुलाने की जरूरत समझे, और बुला कर (objections) सुने । मुनासिब नहीं समझे तो नहीं सुने और रेट्स कायम कर दे । मगर फिर भी रेवेन्यू बोर्ड के लिये यह लिखा है कि रेवेन्यू बोर्ड को चाहिये कि वह स्टेट गवर्नमेन्ट से मंजूरी ले और स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि रेवेन्यू बोर्ड ने जो रेट्स मुकर्रर की है उनमें कमी या बेशी भी यदि चाहे तो करदे । यह सारा का सारा जो प्रोसीजर (procedure) बहुत लंबा प्रोसिजर है और हमें संक्षिप्त बन्दोबस्त करना है इसलिये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होना चाहिये जिसमें ज्यादा देर लगे । रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू साइड की हाइएस्ट ऑथोरिटी (Highest authority) है इसलिये उसके फैसले माने जाने चाहिये । इसके अलावा यह भी मंजूर किया जाता है कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले न्यायोचित होते हैं । जब सरकार इस बात को मानती है कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले न्यायोचित होते हैं तो फिर सरकार द्वारा यह स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजने की पाबन्दी क्यों लगाई जाती है ? फिर रेवेन्यू बोर्ड द्वारा रेन्ट जो लगाए जाते हैं उसमें हेर-फेर करने की क्या आवश्यकता

[भीमसिंह (दांतारामगढ़)]
पड़ती है ? रेवेन्यू बोर्ड का फैसला फाइनल होना चाहिये । इसलिये सारे कानून का, जिस प्रकार नाम से प्रतीत होता है कि संक्षिप्त बन्दोबस्त के नाम से यह कानून बनाया जा रहा है तो इसमें संक्षिप्त तरीकों से काम हो, इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है ।

दूसरी बात यह है कि सेटलमेंट होगा दो साल में । सरकार की यह मंशा है कि सारी भूमि का बन्दोबस्त हो जाए इन्हीं दो सालों में और इसलिये यह रेट दो साल तक के लिये रहेगी । यदि यह rates निश्चित होने के कागजात सेटलमेंट ऑफिस से निकल कर रेवेन्यू बोर्ड में जायेंगे और रेवेन्यू बोर्ड से स्टेट गवर्नमेंट के पास जायेंगे और वहां सुनवाई होगी तो इस तरह से बहुत समय लग जावेगा और जैसी इस संक्षिप्त बंदोबस्त की मंशा है कि कम से कम समय लगे, तो वह पूरी नहीं होगी । इसीलिये मैंने ये अमेन्डमेंट्स रखे हैं और अर्ज है कि रेट्स को निर्धारित करने के पोवर्स तो रेवेन्यू बोर्ड को दे दिये जावें । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे ।

श्री **अध्यक्ष**—श्री भीमसिंह

श्री **भीमसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री **अध्यक्ष**—श्री रामजी लाल यादव ।

श्री **रामजीलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां बन्दोबस्त हो चुका है और जहां अब बन्दोबस्त की कोई जरूरत नहीं है । किन्तु ऐसे हिस्से भी हैं जहां बन्दोबस्त नहीं हुआ है और जो कॉम्पेक्ट्स (compacts) के रूप में रह गए हैं यानि ऐसे हिस्से जो जागीरदार और माफीदारों के आधीन थे और जिनमें बन्दोबस्त नहीं हुआ । मेरा अमेन्डमेंट इस सेक्शन में यह है कि इन हिस्सों के बन्दोबस्त के लिए जो रेट्स सेटलमेन्ट विभाग द्वारा या सेटलमेन्ट ऑफिसर्स द्वारा रिकमन्ड किये जायें वह उन एरियाज के लिए जो कॉम्पेक्ट के रूप में पड़े हैं उनके आस-पास के एरियाज के लेन्ड रेवेन्यू से अधिक नहीं होना चाहिये । वहां सिर्फ बन्दोबस्त इस वजह से नहीं हुआ कि वह एरिया जागीर और माफी का है और वे रेट्स जागीरदार और माफीदार को खुद पे (pay) करने पड़ते थे, सरकार चाहती है कि सब जगह ऐसे ही रेट्स हों । अतः मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस प्रकार के लेन्ड के लिए उनके पड़ौसी भाई जो सदियों से, पुश्तों से लेन्ड रेन्ट देते आ रहे हैं उनसे वह लगान किसी सूरत में अधिक न हो । वजह यह है कि एक किसान जो खालसे की जमीन में रहता है अगर वह उदाहरण के रूप में एक रुपया लेन्ड रेन्ट देता है तो जागीर या माफी का किसान जो उसका पड़ौसी है वह क्यों अधिक लगान दे ? उसे भी एक रुपया ही देना चाहिये । अब जो समेरी सेटलमेन्ट होगा वह पिछले समेरी सेटलमेन्ट से कहीं अधिक खर्चीला होगा और लाजमी तौर पर पिछले सेटलमेन्ट की रेट्स से इसकी रेट्स अधिक होंगी । मेरा यह निवेदन है कि उन किसानों से जो पहले से ही पिसते चले आ रहे हैं किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं लेना चाहिये । ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वह किसान जो खालसा में खेती करता है और यह किसान जागीर इलाके में खेती करता है और अब चूंकि समेरी

[श्री रामजीलाल यादव]
सेटलमेन्ट होगा इस एरिया का, इसलिए हिसाब से जो लगान होगा वही लिया जावेगा । अतः मैं मेम्बर इन्चार्ज से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लें । मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है ।

"After Clause 7, the following proviso be added :
'Provided that the rent rates shall not exceed the rent-rates of cash rents or the land revenue rates prevailing in the area under summary settlement or in the neighbourhood thereof within a radius of fifteen miles.'

अतः उसके आस-पास के एरिया में या पन्द्रह मील के एरिया में जो रेट्स प्रिवेल (previal) कर रहे हों उससे किसी भी सूरत में अधिक नहीं होने चाहिए । मैं उम्मीद करता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट मान लिया जावेगा । अगर मिनिस्टर महोदय का इस सम्बन्ध में यह जवाब हो कि उन एरियाज़ में तो सेटलमेन्ट बीस-तीस साल पहले हुआ था और इस समय नए रूप से समेरी सेटलमेन्ट हो रहा है और प्रोसेस (process) को देखते हुए भी अधिक खर्च हो सकता है तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह समेरी सेटलमेन्ट तो केवल एडहॉक अरेन्जमेन्ट (ad hoc arrangement) है । यहां इस बात की जरूरत नहीं है कि जिस प्रकार सेटलमेन्ट में सब प्रकार के कन्सीड्रेशन्स (consideration) का खयाल किया जाता है उसी प्रकार इनमें भी किया जाय । मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है । जब आप इसको एडहॉक बेसिस पर करना चाहते हैं तो आस पास के एरिया में जो रेट्स प्रिवेल करते हैं वहां भी वे ही रेट्स लागू किए जायं । इससे गवर्नमेन्ट के process भी काफी बचेंगे । मैं इन शब्दों के साथ अपना अमेन्डमेन्ट पेश करता हूँ ।

श्री मुकिलाल मोदी—रामजीलालजी ने अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । उन्होंने यह बताया कि आसपास के जो सर्किल रेट्स हैं वे उन एरियाज़ के लिए भी लागू किए जायं ।

श्री अध्यक्ष—आप समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या (अमेन्डमेन्ट) रखा है ?

श्री मुकिलाल मोदी—उन्होंने यह (अमेन्डमेन्ट) रखा है कि आसपास के एरियाज़ में जो सर्किल रेट्स हैं वे ही लागू किए जायं और उनसे ज्यादा वसूल न किए जायं । मेरे एरियाज़ में भी ऐसा हुआ है और सर्किल रेट्स अलग अलग हैं और एक नहीं हैं, एक मील के एरिया में भी अलग अलग हैं और बैराठ तहसील में जागीर इलाके में अलग और खालसा में अलग हैं ।

वास्तव में राजस्थान के अन्दर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रेट्स हैं जो नहीं रखी जानी चाहिए थी । बैराठ तहसील के अन्दर तीन तरह की रेट्स रखी गई हैं और उसके पास ही जो सीकर इलाका पड़ता है उसकी रेट्स अलग हैं । बैराठ तहसील और अन्य तहसीलों की रेट्स उस एरिया की रेट्स से अलग रखी गई हैं । इससे काश्तकारों में वैमनस्य ज्यादा फैलता है और गवर्नमेन्ट को भी इसमें बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है । बैराठ तहसील की जो जमीन है उसमें बहुत कम अनाज पैदा होता है और जो सीकर की जमीन है उसमें दोनों फसलें पैदा होती हैं, जमीन भी अच्छी है । बैराठ की जमीन भी अच्छी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—सीकर और बैराट का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—सीकर वाले नाराज होरहे हैं कि कहीं मारे न जांय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस लिये मेरा निवेदन है कि सर्किल रेट एक साथ रखी जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—श्री रामजीलालजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और इस सिलसिले में जो बातें उन्होंने कही हैं मैं उनको दोहराने के बजाय ये एक-दो बातें, जो मुझे उनमें बढ़ानी है वे ही सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बायीं तरफ बैठने वाले मित्रों में कम से कम एक मित्र ऐसे जरूर हैं जिनको सन् ३८, ३९ और ४० के जमाने की कुछ बातें जरूर आज तक याद हैं। उन माननीय मित्रों को जो आज या तो सरकार की बेन्चों पर बैठे हैं या कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं यह तो मालूम है कि जो लगान नया लगता है और वह जो लगान पहले कृषि के लिए मुकर्रर है, आस पास की जनता पर जो पहले कृषि का टैक्स या लगान मुकर्रर होता है, उसी प्रकार मुकर्रर होता है। मेरे माननीय मित्र श्री रामजी लाल ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसकी मंशा यही है कि चाहे जिस तरह से आप हिसाब लगावें, चाहे जिस तरह से आज तखमीने तैयार किये जायं लेकिन सैद्धान्तिक जो बन्धन जरूरी होना चाहिये कि जिन पर लैन्ड रेट्स तैयार किये जांय वे आसपास के एरिया में जो मुकर्रर किये हुए हैं उसी अनुसार मुकर्रर होने चाहिये, ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होने चाहिये।

यह कम से कम, ऐसी बात है जो न सिर्फ न्याय-संगत ही है पर सरकार के काम को भी कम करने वाली है।

अगर रैंट रेट वहीं मिल जावे तो उसी आधार पर नये रैंट रेट तैयार करने का काम सरल हो जावेगा, समय की भी बचत होगी; श्रम भी बचेगा।

आज हम समेरी सैटलमेन्ट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो यह भी दिमाग में होना चाहिये कि पहले से ही जब हिसाब लगाई हुई रैन्ट रेट आस पास के क्षेत्रों में मौजूद है तो उसी रेट के लिये नई जांच करने और नये तरीकों से हिसाब किताब करने के बजाय जो पहले से ही मौजूद हैं उन्हीं को मुकर्रर करके आसपास के क्षेत्रों के लिये उसी को घोषित क्यों नहीं कर दी जावे। इससे समय का भी बचाव होगा और यह न्याय पूर्ण भी होगा। आज से बारह-बारह साल, बीस-बीस साल पहले न्याय पूर्ण तरीकों से ये रेट तय की गई थीं।

इसलिये और खास तौर से इसलिये भी कि उधर की बेंचों पर बैठे हुए मेरे मित्र श्री रामजीलाल ने यह संशोधन रखा है और मैं इसका जोरों से समर्थन करता हूं; इसलिये न सही, पर उधर के एक मित्र ने रखा है यही सोच कर इसे स्वीकार कर लें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—Better he will not take it into consideration because it is supported by you.

श्री भीमसिंह–श्री रामजीलाल यादव ने जो संशोधन रखा है उसके विरोध में कुछ बातें मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

उन्होंने जो यह रखा है कि आसपास के क्षेत्रों की ही रेट्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखा जावे बाहर की रेट्स नहीं रखी जावें, इससे क्या गलती हो सकती है यह मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

अगर आप क्षेत्रों का मिलान करते हैं तो पावेंगे कि एक इलाका गंगानगर है, एक बीकानेर है, उसके आगे चुरू है और अगर आप गंगानगर की रेट्स बीकानेर की रेटस से मुकर्रर करें और इससे नीचे रखें तो बीकानेर में तो जमीन टीबे ही टीबे की है, जहां गंगानगर में अच्छी है तो इससे कितना नुकसान होगा और अगर गंगानगर की रेट्स बीकानेर में मुकर्रर करते हैं तो यह कैसे ठीक होगा, जहां रेत का ही इलाका है। डिस्ट्रिक्ट में तो यह अन्तर है ही, तहसील में वहां की सोइल (soil) में फरक होता है। यही नहीं गांव-गांव और यहां तक कि खेतखेत में फरक हो सकता है ।

तो अध्यक्ष महोदय, एक तरफ रेत का मैदान है जिसे हम धोर कहते हैं। वहां अगर काली जमीन की रेट्स मुकर्रर करेंगे तो यह तो दोनों को एक डंडे से हांकना हो जावेगा । फिर तो वही कहावत चरितार्थ हो जावेगी कि 'टके सेर भाजी, टके सेर खाजा'। तो इस तरह से सबको १ डंडे से मत हांकिये। जहां पर जैसी जमीन है, रेत रेत में भी अगर फरक है; उसका भी क्लासिफिकेशन (classification) करिये और उसी के हिसाब से रट रेट तय करिये। यह मत करिये कि सबको एक ही नियम से बांध दें। यह बहुत ही कॉम्पलीकेटेड (complicated) हो जावेगा। मैं तो यह चाहता हूं कि यह मामला सैटलमेन्ट ऑफिसर पर ही छोड़ दिया जावे ।

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामजीलाल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके विरोध में सदन के समक्ष कुछ अर्ज करना है:

श्री रामजीलालजी ने अपने संशोधन द्वारा यह बताया है कि जिस भूमि का संक्षिप्त बन्दोबस्त किया जा रहा है उसमें रेट्स निश्चित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि उस भूमि के आसपास १५ मील के एरिये में जो लैन्ड रेवेन्यू है उससे वे रेट्स ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिये। यदि माननीय सदस्य को मालूम हो तो बजट डिस्कशन में माननीय मन्त्रीजी ने बताया था कि इस राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहां चालीस-चालीस, तीस-तीस और बीस-बीस साल से सैटलमेंट नहीं हुआ। चालीस-चालीस, तीस-तीस और बीस-बीस साल पहले जो रेट्स कायम की गई थीं, मैं समझता हूं उनमें और आज की रेट्स में जमाने के परिवर्तन के साथ साथ रात दिन का अन्तर है। उन भावों के अनुसार अगर आज की रेट्स तय की जावें और सस्ती रेट्स में किसी तरह की कमी बेशी नहीं की जावे तो यह किसी प्रकार उचित नहीं होगा ।

दूसरा यह संक्षिप्त बन्दोबस्त है, परमानेन्ट नहीं है। इसलिये जो संक्षिप्त तरीकों से रेंट रेट्स निश्चित की जा रही हैं उसका भी रिवीजन होगा और रिवीजन होने के कारण से Permanent

[श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)]
settlement में अपनाये गये तरीकों के आधार पर निश्चित rates पर अमल करना किसी प्रकार से ठीक नहीं है ।

राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं है जिसका रिवीजन समय निकल जाने के वक्त किया गया हो । अभी सारी भूमि ऐसी है जिसका रिवीजन होना लाजिमी है । उसका भी परमानेन्ट सैटलमेन्ट होगा तो इस तरह फिर आगे चल कर दोनों चीज एक साथ आवेगी । जब परमानेन्ट सैटलमेन्ट हो तभी इसकी आवश्यकता है, न कि संक्षिप्त बन्दोबस्त के समय ।

इसके अलावा एक चीज और है । परमानेन्ट सैटलमेन्ट के समय इन सब तथ्यों पर विचार किया जावेगा और इस संक्षिप्त बन्दोबस्त में वह नहीं किया जावेगा ।

अगर इन्हीं भावों के अनुसार आप अभी रैंट तय कर लेते हैं और बाद में जब परमानेन्ट बन्दोबस्त होता है तो आज के भावों पर कंसिडरेशन (consideration) करना पड़ेगा और तब लाजमी तौर से इनमें विशेष अन्तर होगा ।

इससे नुकसान क्या होने वाला है । काश्तकारों में असंतोष पैदा होगा । इस साल मानलो उसे एक रुपया बीघा देना पड़ता है तो बाद में रिवाइज होते समय तीन रुपया बीघा या दो रुपया बीघा हो गया । इससे असंतोष फैलेगा और इस असन्तोष के ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का मौका मिलेगा । इसलिये इस तरह इससे जनता में असन्तोष फैलने का मौका पैदा होगा ।

इसके अलावा इन रेट्स का जमीन से ज्यादा सम्बन्ध है । आर्थिक संकट का भी आपको सामना करना पड़ेगा । अगर आपने जमीन के अन्दर के हिसाब से रेट्स में अन्तर नहीं रखा तो वह भी ठीक नहीं होगा इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि आप इस संशोधन को मन्जूर फ़रमावेगें ।

श्री **हिम्मतसिंह (अटरू)**--दो शब्द में भी आपके प्रस्ताव पर अर्ज करना चाहता हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट को उन्होंने इतना अयोग्य समझा है कि वह अपना कर्तव्य करने में भी सफल नहीं होगा और इसलिये सैटलमेन्ट का यह काम एसेम्बली अपने हाथ में लेना चाहती है । यह सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट अपना कर्तव्य करेगा और ऐसी गलती नहीं करेगा कि सबको एक ही डंडे से हांके । एक खेत अच्छा है और दूसरा हल्का है तो उनमें वह अन्तर रखेगा, जिससे लोगों को शिकायत करने का मौका न मिले । इसमें आपको यकीन रखना चाहिये ।

श्री **रूपनारायण शास्त्री**—इसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । बात यह है कि शायद श्री रामजीलाल जी ने हमारी तरफ के खेतों को देखा ही नहीं है । वास्तव में अगर वे खेतों की स्थिति को जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते कि एक खेत वाला जो दे रहा है उसका पड़ोसी दूसरा खेत वाला भी उतना ही रैंट दे । यह उनका कहना वैसा ही है जैसे एक क्लास में दो लडके पढ़ते हों, क्लास में साथ साथ बैठें, साथ पढ़ें, दोनों साथ साथ परीक्षा में बैठें और उनके लिये कोई यह कहे कि क्योंकि वे साथ साथ पढ़, साथ साथ लिखे हैं और एक ही क्लास के हैं, अतः इम्तिहान में उनको बराबर ही नम्बर दिये जाने

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

चाहिये; दिमाग की तुलना न की जावे, यह कोई उचित बात नहीं है। यह कहना विवेक से परिपूर्ण नहीं है। वास्तव में तो कोई चीज जैसी है वैसी होनी चाहिये। इसी को कहते हैं सच्ची बुद्धि, सच्चा न्याय, सच्चा इन्साफ। इसका मुझे अनुभव है। मेरे ही खेत के पास एक खेत ऐसा है जो मुझ से दस गुना पैदा करता है। इसका कारण यह है कि उसकी भूमि मेरी भूमि से अधिक अच्छी है। अब अगर मेरा और उसके खेत का टैक्स एक सा ही लगाया जावेगा तो मुझे पूरी पूरी शिकायत रहेगी, यह मेरे साथ न्याय नहीं होगा और अगर आपने कम से कम रेट्स लगाई हैं तो सरकार को नुकसान होगा और तब भी उस अच्छे जमीन वाले के टैक्स के मुकाबले में मैं अपने लिये उस टैक्स को ज्यादा ही समझूंगा। उसे न्याय नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि यह कैसा अविवेक है। वास्तव में यह न्याय नहीं है।

एक बात मान भी लें कि एक पड़ोसी का, जिसका सैटलमेन्ट बीस साल पहले हुआ था और उसके पास वाले का नहीं हुआ है, अगर बीस साल पहले रैन्ट तय होते समय उसकी जमीन बंजर पड़ी थी और इस बीस साल के अरसे में आज उसने अपनी जमीन को सुधार लिया और आज अच्छी आमदनी हो गई है तब भी वह यह कहे कि बीस साल पहले जो लगान लेते थे उतना ही अब भी लें तो यह कितनी गलत बात होगी, जब कि मेरी जमीन आज भी बजर है और मुझसे भी इसी हिसाब से रेन्ट लिया जावेगा।

वास्तव में जो जमीन चाही बन गई है तो उसका वैसा ही रेट लिया जाना उचित कहलावेगा। देश-भाव और जमाने की परिस्थिति का भी आपको खयाल रखना चाहिये, तभी सैटलमेन्ट में आप सफल हो सकेंगे। इसलिये सैटलमेन्ट के इन मामलों में अगर हम अपनी सद्बुद्धि का उपयोग न भी कर सकें तो यह तो हमारे लिये उचित नहीं होगा।

इसलिये यह जो संशोधन पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। यह जो लोग समझते हैं कि हमने तो किसानों का टैक्स कम करने के लिये ऐसी तरमीम पेश की है, हमें तो प्रशंसा मिल ही जावेगी; इस तरह की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। यह चीज किसी के हित में नहीं होगी। इस तरह की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का मैं, इन शब्दों के साथ, विरोध करता हूं।

इस तरह से लोकप्रियता प्राप्त करना बुद्धिमत्ता नहीं है और न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि यह नियम न रखा जाय। सेटलमेन्ट ऑफिसर तय कर दे कि जमीन का क्या लगान लेना है, संक्षिप्त बन्दोवस्त में या पूर्ण बन्दोबस्त में। किसी भी कानून के अनुसार उनको बराबर कर दिया जाय, यह कदापि न्यायसंगत मालूम नहीं होता। इसलिये मैं इसके समर्थन में कदापि नहीं हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में कुछ अमेन्डमेन्ट माननीय श्री भैरूंसिंहजी ने इस आशय के पेश किये कि रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दिये जायं कि रेन्ट रेट्स सेंक्शन करने की ऑथोरिटी उनको हो जाय। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान भर में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
रेवेन्यू बोर्ड को सेटलमेन्ट ऑफिसर को फाइनल सेटलमेन्ट की दर तय करने का अधिकार दिया गया हो। संक्षिप्त बन्दोबस्त करने का यह कानून है। इसके साथ इसके अन्दर कई प्रकार के तरीके है, कई कानन है जिन तरीकों को बदल कर हम नहीं चल सकते। जो मानी हुई गवर्नमेन्ट की ऑथोरिटी है वे अधिकार दूसरों के हाथ में दिये जायं इस बात को वे स्वयं भी अनुभव करेंगे कि सरकार के हाथ में ही क़ानून चाहिये और वही उसका निर्णय करे। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

इसके बाद में श्री रामजीलाल यादव ने जो एक संशोधन प्रस्तुत किया उस संशोधन के बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान क्लॉज ८ ए की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि रेन्ट रेट्स तय करने के अन्दर पास के १५ मील के घेरे के अन्दर जो रेन्ट रेट्स प्रचलित होंगे उनका खयाल रखा जायगा। इसलिये यदि कोई यह कहें कि इस संशोधन से कोई नया आधार रखा गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं समझता हू कि माननीय सदस्यों की इच्छा है कि उचित तौर से इसको स्पष्ट कर दिया जा। जो आसपास का इलाका है, १५ मील के रेडियस में है, कैसे रेट्स वहां लागू है इससे यह जाहिर नहीं होता कि सभी जगह एक से ही रेट्स होंग। उस घेरे के अन्दर भी अलग अलग जमीन के लिये अलग अलग रेट्स हो सकती हैं इसी मंशा से यह रखा गया है।

यह अमेन्डमेन्ट धारा ८ वीं के सब-क्लॉज (ए) की नीति पर आधारित है। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह अमेन्डमेन्ट एक प्रकार से ८ वीं धारा के सब-क्लॉज ए में दिये हुए अधिकारों की पुष्टि करने वाला है, उसको ज्यादा स्पष्ट करने वाला है। मेरा खयाल है कि इसमें हमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। इसे स्वीकार करने में जनता के असन्तोष की कमी हो जाती है कि एक जगह एक ही रेन्ट हो, सभी जगह एक ही रेन्ट हो। जैसे कि अलवर जिले में कुछ इलाका ऐसा है जहां पर पांच-दस गांव सेटल्ड हैं वहां पर सेटलमेन्ट की रेटस निश्चित है, जिसे हमने पहले स्वीकार कर लिया है। यह हमारी पहले से ही तय की हुई नीति है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि सदन को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ)—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री ने अभी मेरे संशोधन के सम्बन्ध में यह बताया कि हिन्दुस्तान में किसी भी जगह इस प्रकार की चीज नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड को रेन्ट रेट निश्चित करने के आखिरी अधिकार दे दिये जायं। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताऊं कि हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं नहीं कि रेवेन्यु बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये रेन्ट रेट्स में गवर्नमेन्ट किसी प्रकार हेर फेर कर दे। इसके सपोर्ट में मैं जयपुर लेन्ड टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन ८० की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके clause 4 में लिखा है कि:—

"The Board with the approval of the Government shall either sanction the proposed assessment circles, soil classes and rent rates, or may, for reasons to be

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

recorded, santion therewith such modification as it thinks fit and the rates so sanctioned shall be the sanctioned rates"

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्दर सरकार ने एक विशेष अधिकार लिये हैं वे अधिकार यह हैं कि :-

"Such rates may be sanctioned by the state Government with or without modifications and shall, when so sanctioned remain in force until the completion of the regular settlement of the area under summary settlement or until they are revised earlier by the state Government in the prescribed manner.

इन दो धाराओं में काफी मतभेद है। आखिर में रेवेन्यु बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वे जो रेट्स निश्चित करना चाहें, करें। आप सेटलमेन्ट जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं और अधिकार सरकार ने अपने पास रखे हैं। गवर्नमेन्ट चाहेगी तो रेट्स में परिवर्तन कर सकेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह से सेटलमेन्ट करने में अधिक समय लगेगा। अगर रेवेन्यु बोर्ड को अधिकार दे दिये जाते तो मेरी समझ में कम समय लगता और गवर्नमेन्ट इसमें ज्यादा समय लेगी। यदि किसी आदमी को कुछ एतराज होगा तो वह गवर्नमेन्ट के पास भी अपने उजरात पेश कर सकता है और रेवेन्यु बोर्ड के पास भी अपने उजरात पेश कर सकता है। इस तरह से ज्यादा समय लगने की संभावना है। इस पर गंभीरता से विचार कर मेरे संशोधन को मन्जूर कर लेंगे तो ज्यादा उचित होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले ही बहुत सोच-विचार कर जवाब दिया था। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendments No. 26, 12, 27, 28 and 29 be accepted.

(मत दान के पश्चात् तथा संशोधनों की स्वीकृति के पक्ष में अधिक आवाजें होने पर)

'हां' पक्ष जीता।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया की ओर संकेत करते हुए)

You want Division.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—मेरे संशोधन सभी उधर के पक्ष वाले माननीय सदस्यों को मन्जूर हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—जी नहीं, मन्जूर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—I put the Question once more. The question is that Amendements No. 26, 12, 27, 28 and 29 be accepted ?

('हां' पक्ष की आवाज मुख्य थी और 'ना' पक्ष की आवाज बिल्कुल नहीं थी)

श्री अध्यक्ष—I put it once more.

That amendments Nos. 26, 27, 28 and 29 be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

श्री अध्यक्ष—Now the question is that Amendment No. 18 by Shri Ramji Lal be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

The 'Noes. have it.

कई आवाजें—"ना" पक्ष जीता ।

कई आवाजें—"हां" पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष—The noes voices are louder.

श्री हरिदेव जोशी—We claim Division, Sir.

(विभाजन की घण्टी बजी)

श्री अध्यक्ष—I will put the question again. The question is that the amendment by Shri Ramji Lal to Clause 7 be accepted.

(स्वीकृत)

संशोधन बहुमत से स्वीकृत हुआ

श्री जसवन्तसिंह—Where ignorance is bliss, folly is vice. So we give it.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 7, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

धारा ७ संशोधित रूप में सर्व सम्मति से स्वीकृत हुई ।

श्री अध्यक्ष—Shri Abani Kumar.

श्री अवनीकुमार—I do not want to move my Amendment to sub-clause 8(1). I have put in two amendments, one to 8(1) and the other to section 8(2). I want to move the second amendment.

श्री अध्यक्ष—Let us finish sub-clause 8 (1), and all its parts (a), (b), (c), (d), (e)......

(विराम)

Shri Ramji Lal

श्री रामजीलाल—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में मेरा अमेन्डमेन्ट एक मामूली सा है और वह यह है कि क्लॉज (ए) के वर्ड्स "the rent rates of cash rents" के साथ यह और जोड़ दिया जाय "or the land revenue rates" क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि रेन्ट रेट्स मुकर्रर हों और किसी एरिया में लैन्ड रेवेन्यू रेट्स मुकर्रर हों और जहां रेन्ट रेट्स और लेन्ड रेवेन्यू रेट्स मुकर्रर हों तो और किसी एरिया में लैंड रेवेन्यू रेट्स मुकर्रर हों और जहां रेन्ट रेट्स मुकर्रर हों तो लैन्ड रेवेन्यू रेट्स को कन्सीडर (consider) करें। इन लब्जों के साथ में अपना अमेन्डमेन्ट रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ८ की सब-क्लॉज (१) में मेरे दो एमेन्डमेन्ट हैं। पहला एमेन्डमेन्ट सब-क्लॉज (१) के पार्ट (डी) में है। वह इस प्रकार है:

"Substitute the word 'ten' for the word 'twenty' in part (*d*) of sub-clause (1), line three."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के द्वारा यह बताया गया है कि संक्षिप्त बन्दोबस्त में रेट्स निश्चित करते समय किन आधारों पर विचार किया जायगा, उनमें इस सब क्लॉज के पार्ट (डी) में यह दिया गया है :—

"(*d*) the value of such produce, at the average of the prices thereof during the twenty years preceding the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 3, excluding such years as the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, declare to be abnormal."

जिस वक्त यह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस वक्त राजस्थान के रेवेन्यू विभाग ने इस पर अच्छी तरह से विचार किया और विचार करने के पश्चात् इसी नतीजे पर पहुँचा कि प्राइसेस को मुकर्रर करने के सम्बन्ध में, प्राइसेस के एवरेज के मुकर्रर करने के सम्बन्ध में यदि दस साल का एवरेज लिया जाय तो ज्यादा ठीक है। इसलिये जिस वक्त बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने दस साल रखा, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जाने के पश्चात् उसमें यह परिवर्तन हुआ कि दस साल की जगह २० साल कर दिये गये। २० साल के बारे में मुझे कुछ अर्ज करना है। २० साल रख कर प्राइसेज का एवरेज (average) मुकर्रर करने में कितनी गलत फहमी हो सकती है? जहां तक मुझे याद है संवत् २००० से सवत् २००७ तक के समय को गवर्नमेन्ट ने एबनॉर्मल इयर्स (abnormal years) माना है। आज संवत् २०१०

[श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)]

तक २० साल का जो पीरियड है वह १९९० से सवत् २०१० तक का होगा और २००० से सवत् २००७ तक का एबनॉर्मल पीरियड इन २० साल में माना है तो ७ साल का पीरियड एबनॉर्मल हो गया। वह एबनॉर्मल पीरियड इसी कारण से माना कि उस वक्त भाव ज्यादा महँगे हो गये। तो संवत् १९९० से लेकर संवत् ९८ तक के भावों को आप देखगे कि जिस प्रकार यह मंहगाई में एबनॉर्मल भाव हैं तो उसी प्रकार वह भाव भी सस्ताई के एबनॉर्मल भाव हैं। यदि सरकार को निश्चित तौर पर काम करना है, प्राइसेज् का एवरेज निकालना है तो एवरेज में, सस्ताई के भावों को छोड़ती है और मंहगाई के भावों को छोड़ती है। यदि सरकार इन ७ सालों को एबनॉर्मल भाव मंहगाई के कारण से मानती है तो संवत् ९० से ९८ तक का पीरियड जब कि एक रुपये की २५ सेर बाजरी थी, एक रुपये के २२ सेर गेंहू थे, २७ सेर जौ थे, तो उन ईयर्स को भी एबनॉर्मल मानना चाहिये। चूंकि वह इनको एबनॉर्मल ईयर्स नहीं मानती है और इन्हीं मंहगाई के समय को एबनॉर्मल ईयर्स मानती है तो जो बीच की दरें सरकार तय करेगी उनसे कोई सही एवरेज मालूम नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि २० साल के बजाय १० साल रखा जाय। राजस्थान में जयपुर लेन्ड रेवेन्यु एक्ट में १० साल का ही एवरेज लिया जाता है। आजकल भूमियों का जो सेटिलमेन्ट हो रहा है, जिनमें जो दरें निश्चित की जाती हैं तो उसमें भी भावों का १० साल का एवरेज लिया जाता है। इसलिये २० साल की जगह १० साल का एवरेज लिया जाना चाहिये ताकि सस्ताई और मंहगाई के भाव संक्षिप्त बन्दोबस्त करने के सम्बन्ध में मालूम किये जा सकें।

दूसरा मेरा एमेन्डमेन्ट है:—

"Add one more part to sub-clause (1) as follows and it should be numbered as part (*f*):

"(*f*) the result of crop-cutting experiments in the local area for which rates are proposed".

क्लॉज ८ में जो बातें रखी गई हैं जिनके आधार पर कि रेन्ट रेट्स निश्चित किया जायगा, उनमें यह चीज बिल्कुल जरूरी है। इसकी जरूरत होने के कारण से ही राजस्थान सरकार ने अभी जो टीनेन्सी बिल इन्ट्रोड्यूस करके सदन में रखा है उसमें रेंट रेट्स कायम करने का जो क्लॉज बन गया है क्लॉज ७२ में यह रखा है:—

"the result of crop-cutting experiments in the local area for which rates are proposed or in other parts of the State;"

अध्यक्ष महोदय, हमें अगर भूमि के संक्षिप्त बन्दोबस्त में जल्दी से जल्दी इस निर्णय पर पहुँचना है कि किस प्रकार संक्षिप्त बन्दोबस्त हो, किस प्रकार से रेट्स रखे जांय तो आजकल जगह जगह क्रॉप एक्सपेरिमेन्ट (crop experiment) हो रहा है, एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के आदेशों के अनुसार हर तहसील में हर किस्म का क्रॉप एक्सपेरीमेन्ट होकर इस बात का निर्णय निकाला जाता है कि इस साल तहसील में किस किस तरह की क्रॉप हुई, हर गांव व तहसील की एवरेज इनकम क्या हुई आदि आदि।

Page No.58

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

मेरे कहने का मतलब यह है कि हर तहसील में क्या पैदावार हुई हर एक का एक्सपेरिमेन्ट करें, तो रेट्स निश्चित करते समय इसका काफी उपयोग होगा और जो ऑफिसर्स इस काम के लिये मुकर्रर किये जायेंगे उनको भी यह काफी उपयोगी होगा ।

फसल को काट कर निश्चित यह कर सकते हैं कि इस जमीन की इतनी पैदावार है जिससे वह सही नतीजे पर पहुँच सकेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन विचार करने योग्य है, इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री अवनिकुमार—मेरा संशोधन क्लॉज ८ के सब क्लाज (२) पर है...

श्री अध्यक्ष—You have not moved it.

श्री अवनिकुमार—Because you stated that the amendments are being taken as already moved.

मेरा संशोधन यह है--

"The following be substituted for sub-clause (2) of the clause:

'The rent rates so proposed shall represent such share not exceeding one sixth of the value of the produce in respect of irrigated lands and one fourth of the value of the produce in respect of unirrigated lands arrived at in accordance with clause (c) of sub-section (1) "

जयपुर टिनेन्सी एक्ट, १९४५ व Jaipur states grant land tenancy Act, 1947 में इस बात का प्रोविजन है । उनमें इसे मान लिया गया है कि अनइरिगेटेड लेन्डस का १।३ और इरिगेटेड लेन्ड्स का १।४ हिस्सा के बेसिस पर रेन्ट रेट्स का निर्णय होगा । मेरा कहना यह है कि जब Regular सेटलमेन्ट में इस उसूल को स्वीकार किया गया है तो समेरी सेटलमेन्ट में इसे क्यों नहीं स्वीकार किया जाता । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन पेश किया है वह एक fair कॉम्प्रोमाइज (compromise) है । इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस कॉम्प्रोमाइज को मद्देनजर रखते हुए इस संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री एच के. व्यास--संशोधन इस प्रकार है:—

"In sub-clause (2) at the end add the following proviso: 'provided that if information under such sub-clause (1) (a) is available then the rent rates proposed and sanctioned under clause 7 shall not exceed such rates."

Mr. Speaker, Sir, I move my amendments. I need not repeat it; becau

[श्री एच. के. व्यास]

मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, वह अब मेरा खयाल है कि कोन्सीक्वेन्शियल (Consequential) अमेन्डमेन्ट हो जाता है ।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Mr. Speaker, Sir, Shri H. K. Vyas has not moved his amendment.

श्री एच. के. व्यास–Mr. Speaker, Sir, I move my amendments. I need not repeat it. It is consequential to amendment to clause 7 moved by Shri Ramji Lal Yadav.

श्री अध्यक्ष—Is it not redundant now?

श्री एच. के. व्यास—No Sir, otherwise I would have moved it.

और यह क्यों कोन्सीक्वेन्शियल है और रिडन्डेन्ट (redundant) नहीं है, इसके लिये मेरा यह कहना है कि श्री रामजीलाल के संशोधन में १५ मील की दरें ऐसी निश्चित कर दी गई हैं, उसमें लिखा है कि:—

"in the neighbourhood thereof within a radius of fifteen miles."

यह दोनों एक ही सिद्धान्त के आधार पर चलते हैं कि इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिये। जब हमने प्रीवीयस अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिया और फिर सेटलमेन्ट ऑफीसर ने कहा कि इन इन चीजों के रेन्ट्स तय करो तो उसके वहां १५ मील के रेडियस के रेन्ट रेट्स जब एवेलेबल (available) हैं तो इस पर ऐसा स्पेसिफिक नहीं रखते तो यह क्लॉज रिडिक्युलस (ridiculous) होता है। एक तरफ तो आपने बन्धन डाल दिया है और दूसरी तरफ यह करते हैं कि अमुक-अमुक चीजों पर विचार किया जाय।

इसी को क्लेरिफाई (clarify) करने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। बाकी के जो अमेन्डमेन्ट्स मूव हुए हैं उनके बारे में मैं दो शब्द कहूँगा। खास कर श्री भैरूसिंहजी ने अमेन्डमेन्ट रखा है कि २० साल की एवज में दस साल कर देने चाहिये, उसके बारे में मैं कहूँगा। उन्होंने इसके लिये यह दलील दी है कि जैसे लड़ाई के बाद के अर्से में कीमतें ज्यादा थीं तो वसे लड़ाई के कुछ साल पहले कीमतें कम थीं। ऐसा कहते समय वे यह भूल गये कि सेटलमेन्ट आने वाले २० साल के लिये कर रहे हैं, २० साल तक आज की मुकर्रर की हुई दरें रहेंगी। अभी २० वर्ष के भविष्य के बारे में न तो मैं कह सकता हूं, न वह कह सकते हैं और न कोई दूसरा ही कह सकता है। ऐसी सूरत में जो २० वर्ष का समय रखा गया है वह केवल उचित ही नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कारण यह है कि लड़ाई के बाद बहुत एबनॉर्मल प्राइसेज रहीं, वह केवल अनाज की ही रही हों, ऐसी बात नहीं है, जीवनोपयोगी हर चीज और कृषि के दूसरे साधनों की भी कीमतें बढ़ीं। अनाज की कीमतें बढ़ीं तो साथ साथ बैलों की भी कीमतें बढ़ीं, हलों की भी कीमतें बढ़ीं हलवाइयों की कीमतें भी

[श्री एच. के. व्यास]
नहीं। तो केवल इसी वजह से कहना कि एवरेज कम किया जाय यह ठीक नहीं है। इसलिये जो २० साल का समय रखा है वह वैसा का वैसा ही रखना चाहिये।

तीसरा अमेन्डमेन्ट श्री अवनीकुमारजी ने रखा है कि अनइरिगेटेड लेंड का १।४ रेन्ट रखा जाय।

कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने कायदा बनाया था और उस कायदे के मुताबिक यह गैर कानूनी बात है कि कोई भी लेन्ड होल्डर १।६ हिस्से से ज्यादा ले। जब एक ओर कोई चीज गैर कानूनी बनाई जाती है और दूसरी ओर दूसरे कायदे में प्रोवीजन करना चाहते हैं कि उस गैर कानूनी चीज के आधार पर रेट मुकर्रर करें तो ऐसा करके माननीय मित्र यह चाहते हैं कि सेटलमेन्ट ऑफिसर पर ऐसे मुकद्दमें चलें कि उन्होंने कानून के खिलाफ छठे बांटे से ज्यादा रेंट लिया। और इसके साथ ही साथ हम दुनियां के लिये हंसी के पात्र बनें कि हमने पहले पास किये हुए कानन को ताक में रख कर चौथे बांटे का कानून लागू कर दिया।

यह एक नई चीज होगी और इसलिये में मेरे मित्र श्री अवनिकुमार जी ने जो संशोधन रखा है उसका भी विरोध करता हूं। अन्त में बराबर इस बात पर जो जोर दिया जाता है कि खेत खेत में फर्क होता है और एक हिस्से और दूसरे हिस्से में फर्क होता है और मेरे मित्र जो यह समझते हैं कि मुझे और श्री रामजीलाल को कुछ देहातों की हालत का इल्म नहीं, मैं मेरे माननीय मित्र को यह बता देना चाहता हूं कि रेंट रेट को निकालने की जानकारी मेरी उनसे बहुत ज्यादा है। रेंट रेट एक एक खेत की नहीं निकाली जाती है वह तो सरकल के आधार पर निकालते हैं और फिर अलग अलग होल्डिंग्ज के खेत्र होते हैं उन पर लागू होती है। यदि एक खेत अच्छा है और दूसरा बुरा तो उसकी भी सोइल (soil) अलग अलग होगी। इसलिये खेतों के एक हिस्से को अच्छा और दूसरे को खराब की दलील दी गई है, वह ठीक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैंने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेण्ट को रखा है। इसको मन्जूर करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैंने अपनी राय सदन के सामने प्रस्तुत की है और आशा करता हूं कि मेरा यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जायगा। मैंने यह अपना अमेन्डमेन्ट वैधानिक अमेन्डमेन्ट के रूप में रखा है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज के बारे में जो बातें श्री भैरूंसिहजी ने २०साल के बजाय १० साल करने का अमेन्डमेंट मूव किया है इससे मैं सहमत नहीं होता और इसकी वजह बहुत स्पष्ट है कि पिछले २० वर्षों में जितने उतार-चढ़ाव भावों में आये इन सारी बातों को खयाल में रखते हुए कुछ ऐसे साल जिनमें कि भाव बढ़े होंगे और कुछ ऐसे साल जब भाव कम थे; दोनों का कंसिडरेशन हो जावेगा। इस बात को सिलेक्ट कमेटी ने काफी बहस के बाद सोच विचार कर १० वर्ष के बजाय २० वर्ष किया था। वह सिलेक्ट कमेटी ने ठीक ही किया क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाव कम हो रहे ह। इन सब बातों को देखते हुए सेटलमेंट में २० वर्ष के बजाय १० वर्ष करने की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है।

दूसरा एमेन्डमेंट उन्होंने जो मूव किया है वह क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट (crop cutting experiment) के बारे में है। मैं समझता हूं कि क्रॉप कटिंग एक्सप्रिमेंट को आधार बना कर सेटलमेंट में

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

नहीं चल सकते । आमतोर से हमें तो एवरेज को देखना होगा।कई जगह क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट को मेग्जिमम पोइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाता है और कहीं नहीं । इस लिये रेन्ट रेट कायम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं जाती । हम बगैर क्रोप कटिंग एक्सपेरीमेंट के रेन्ट रेट कायम कर सकते है।

श्री रामजीलाल ने जो एमेन्डमेंट रखा है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं। इसको स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं।

इसके बाद श्री अवनि कुमार ने जो एमेन्डमेंट मूव किया है वह सरकार की निश्चित नीति जो है, उसके विरोध में है । संरकार की यह निश्चित नीति है कि १।६ हिस्सा ही लिया जाए। जब यह निश्चित नीति है तो फिर १।४ या १।५ की बात पर सोचना ही असंभव है । इस एमेन्डमेंट को लाने का मतलब यही है कि १।६ हिस्से की लटाई की नीति में परिवर्तन किया जावे, जिसको हम करने के लिये तैयार नहीं ।

इसके साथ साथ श्री एच. के व्यास ने जो एमेन्डमेंट रखा है उसके अन्दर १५ मील की रेडियस के अन्दर सेम रेट (same rate) की बात है । उसके आधार को मंजूर करता हूं । बाकी दूसरी बातें मैं समझता हूं कि श्री रामजीलाल के एमेन्डमेंट को मंजूर किया है वह भी इसी बात को जाहिर करता है और श्री रामजीलाल के एमेन्डमेंट को मंजूर करने के बाद म समझता हूं कि इस एमेन्डमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती । म समझता हूं कि क्लॉज ७ के एमेन्डमेंट को स्वीकार कर लें, उसके बाद इस एमेन्डमेंट को प्रेस नहीं करेंगे । इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री एच. के. व्यास—I do not want to press my amendment. I beg leave of the House to withdraw it.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मैंने अपने जो दो संशोधन रखे थे उनके सबन्ध में माननीय मन्त्रीजी ने दो बातें बताई हैं । मंत्री महोदय ने यह बताया कि इस २० वर्ष के अर्से में भावों में काफी उतार चढ़ाव होगा और इस कारण से १० वर्षों के भावो को लेकर एवरेज रेट कायम करना असंभव है ।

श्री एच. के. व्यास ने इस सबन्ध में बताया कि जब हम भूमि का बन्दोबस्त करने जा रहे हैं तो इसमें २० वर्ष होने चाहिये और उन्होंने यह भी बतलाया कि मैंने १० साल का अर्सा जो बतलाया है उसमें गलती की है म समझता हूं कि मैंने गलती नहीं की है वल्कि उन्होंने समझने में गलती की है। यह बात कही जाती है कि संक्षिप्त बन्दोबस्त होगा । यदि यही परमानेन्ट सेटलमेंट होता तो २० वर्ष की बात ठीक होती । मगर यह परमानेन्ट सेटलमेंट नहीं है । यह सेटलमेंट दो साल या चार साल और ज्यादा से ज्यादा ५ साल के लिये हो सकता है । बाद में इसको परमानेन्ट सेटलमेंट के रूप में करना होगा । हमें चाहिये कि जितने सालों का अन्दाजा लगावें उससे ज्यादा से ज्यादा दूने साल

[श्री भैरोंसिह]

लेलें। हम यह अन्दाजा लगाते हैं कि इसमें ५ साल का ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। जब हम पांच वर्ष का अन्दाजा लगाते है तो हमें ज्यादा से ज्यादा १० साल का average लेना चाहिये। १० साल के एवरेज के लिये भावों के चढ़ाव-उतार के सबन्ध में मंत्री महोदय ने फरमाया कि जिस वक्त भाव सस्ता था उस समय काश्तकारों की हालत खराब थी क्योंकि लगान देने के बाद जो धान बचता था उसकी मारकेट वेल्यू (market value) बहुत कम थी। लेकिन जिस वक्त भाव में मंहगाई हुई उस वक्त उनकी प्रोड्यस की मारकेट वेल्यू बढ़ी। मगर उनका लिविंग स्टेन्डर्ड (living standard) जो पहले था वही रहा, लिविंग स्टेन्डर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा और उनको जो फायदा हुआ उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई।

श्री एच के व्यास—What about the cost of production.

श्री भैरू सिह—मंहगे भाव में भी काश्त करते थे और अब भी काश्त करते हैं। इन दो बातों को लेकर मैं निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त बन्दोबस्त करते समय १० वर्ष को ध्यान में रखा जावे और मंत्री महोदय इस पर फिर विचार करें।

श्री अवनीकुमार—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने जो बातें मेरे संशोधन के संबन्ध में कही हैं उसके उत्तर में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैंने जो संशोधन रखा उसके अन्दर यह बात थी कि जमीन की आमदनी की जांच करके उसके अनुसार रेन्ट रखा जावे। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि हम इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं, हमने जो कानून १।६ का बना दिया है उसके अनुसार कार्य करेंगे। इस सिलसिले में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी तक प्रोड्यूस रेन्ट रेगूलेटिंग एक्ट की वैधता फाइनली (finally) तय नहीं हुई है और हय भी ठीक तरह से पता नहीं कि यह कानून बनाने का हक सदन को है या नहीं। इसलिये यह कहना तो प्रीमेच्योर (premature) है। इसके अलावा यह एक्ट तो सिर्फ कल्टीवेटर्स (cultivators) को इन्टेरिम रिलीफ (interim relief) देने के लिये बनाया गया है, कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। इसलिये इनके आधार पर ऐसा किया जाना वाजिब नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि इस पर वे पुनः विचार करें। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, इस संबन्ध में मैंने पहले कह दिया है। श्री अवनिकुमारजी इस मामले को सब-जुडिस (sub-judice) बताते हैं, मगर मैं तो यह कहूंगा कि सरकार की नीति तो निश्चित है। कोर्ट जो फैसला देना चाहे, दे। सरकार की जो अपनी स्पष्ट नीति है वह जाहिर कर दी है। इसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री रामजीलाल ने पेश किया उसको माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि श्री रामजीलाल यादव का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि श्री भैरू सिंह के सब-क्लॉज (१) पर के संशोधन स्वीकार किये जावें ।

(अस्वीकृत)

दोनों संशोधन नामंजूर हुए ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ का सब-क्लॉज (१) मंजूर किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लाज (१) स्वीकार किया जाता है ।

(विराम)

सब-क्लॉज २ पर जो श्री अवनिकुमार का संशोधन है वह मंजूर किया जावे ।

(अस्वीकृत)

श्री अवनिकुमार का संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I ask for leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Vyas to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष—Now the question is that sub-clause (2) to Clause 8 be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clause (2) is also accepted. So clause 8, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now clause 9. Motion moved.

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय,.. . ....

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रोन ए पोइन्ट ग्राफ ऑर्डर, सर, जब कि मेम्बर इन्चार्ज खुद ही सदन में हाजिर नहीं तो फिर किस लिए और किसके सामने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया जा रहा है ? इस प्रकार कार्यवाही सदन में कैसे चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—हाउस के सामने ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—When the Member-in-charge, Sir, has left the House it becomes difficult for us to carry on. Should we not issue a direction ? The other Members may not be present, but the Member-in-charge ought to be present; otherwise who will hear us ?

श्री उपाध्यक्ष—हाउस सुनेगा ।

श्री एच. के. व्यास—But the Member-in-charge must be for the whole period in the House unless he has left a Deputy behind.

श्री चन्दनमल वैद—I am just behind him.

श्री भीमसिंह—[क्लॉज ९ (१) पर संशोधन इस प्रकार है:

"The word 'October', be substituted for the word 'July' and the word 'April,' be substituted for the word 'January' "]

अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट को रखने की मेरी मंशा यही थी कि यदि मिनिस्टर साहब इसको सुनें तो मंजूर कर सकें, किन्तु जब मिनिस्टर साहब नहीं सुनेंगे तो इसको मंजूर करही कैसे सकेंगे? यह अमेन्डमेन्ट मंजूर करने लायक है । अतः मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मिनिस्टर साहब आवें तब ही अमेन्डमेन्ट को रखा जाय।

("आ गये है" इस प्रकार की सदन में आवाज)

अध्यक्ष महोदय, क्लाज ९ में रेंट का हवाला देकर बाद में रेन्ट कब पेएबिल (payable) होगा यह अखीर में जाकर दिखाया गया है। इसमें दो टाइम निश्चित किए गए हैं, जिनको पढ़कर सुनाता हूं:

"The cash rent so fixed shall be payable from the first day of July or the first day of January next following the date of such fixation."

ये दोनों ही महीने, मैं समझता हूं कि किस समय फ़सलें हार्वेस्ट (Hervest) होती हैं और किस समय फ़सलें कट कर बाजार में अनाज बिकने को आता है, इन दोनों बातों को मद्दे नजर नहीं रखते हुए, रखे गये हैं। फिर भी आप गौर फ़रमावेंगे तो आपको मालूम होगा कि जुलाई के महीने में

[श्री भीमसिंह]

तो खरीफ़ की फ़सल होती ही नहीं। उसको लेते हुए महीना भर होता है और जब ये फ़सलें हार्वेस्ट हो पाती हैं तो ऐसी सूरत में जो रैन्ट पेएबिल (payable) जुलाई में रखा गया है वह वाजिब नहीं है। काश्तकार जब फ़सलों को हासिल ही नहीं करता है तो वह कहां से रैन्ट पे (pay) करेगा। यह उम्मीद करना कि काश्तकार के पास पैसा होता है और इकट्ठी की हुई पूंजी में से लगान दे देगा, यह नावाजिब है और नामुमकिन सी बात है। अमूमन खरीफ़ फ़सल सितम्बर में हार्वेस्ट होती है और अक्टूबर में जाकर बाजार में बिकने आती है और उस समय ही काश्तकार के पास रक़म आती है। जुलाई का टाइम रखा गया है जब कि अक्टूबर का समय रखा जाना चाहिये था और इसीलिये मैंने यह अमेन्डमैन्ट रखा है कि :—

"The word 'October' be substituted for the word 'July' and the word 'April' be substituted for the word 'January'".

इसी तरह की भूल मैं समझता हूं कि रबी फ़सल के लिये भी की गई है। रबी फ़सल अमूमन मार्च के महीने में हार्वेस्ट होनी शुरू हो जाती है। मार्च के अखीर तक या अप्रेल में बाजार में आ जाती है और इसके लिये भी जनवरी का महीना रखा गया है। जनवरी महीने में तो फ़सल में अन्न लगना शुरू होता है। अक्सर अक्तूबर महीने में वह बोई जाती है और जनवरी महीने में उसमें धान पड़ना शुरू होता है और मार्च में वह फ़सल पक कर तैयार होजाती है और अप्रेल में बिकने के लिये आती है; जनवरी का महीना रेन्ट को पे (pay) करने के लिये रखना ग़ैर वाजिब है, काश्तकार के लिये इस प्रकार का टाइम रखा जाना उपयुक्त नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह वाजिब बात है और इसी मंशा से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। "अप्रेल" शब्द रबी फ़सल के लिये है।

मैं समझता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे और कोई ग़लत फ़हमी हो गई हो तो उसको दुरुस्त फ़रमावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं निश्चित रूप से जो इस बारे में सदन के सामने जरूर नहीं कह पाऊंगा पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ग़लत फ़हमी तो नहीं हो रही है। इसमें ऐसा लिखा है।

"The cash rent so fixed shall be payable from the first day of July or the first day of January."

अर्थात् एक बार जब कैश रेन्ट मुक़र्रर हो जावेगा तो जिस तारीख से वह किसान चाहेगा उसी तारीख से और बाक़ी दूसरी तारीखों से रेन्ट देना वाजिब होगा।

यदि आप उसे अक्तबर के बजाय अप्रेल करेंगे तो ऐसा भी मुमकिन है कि तबतक फ़सल तैयार हो जावेगी और यों भी कह लीजिये कि लटाई का समय आ जावेगा।

लटाई के रूप में देंगे या कैश रेन्ट के रूप में देंगे; इसलिये जब कैश रेन्ट मुकर्रर हो गया तो जुलाई के बाद से उसके ऊपर वह जिम्मा होजाता है कैश रेन्ट देने का और इसलिये बीच में लटाई का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
प्रश्न नहीं उठता । अथवा जुलाई के पहले पहले अगर मुकर्रर नहीं होता और जनवरी से मुकर्रर होता है तो वह कैश रेन्ट उसके लिये प्रीएंबल होजाता है।

तो शायद अक्तूबर और अप्रेल करने से कैश रेन्ट और काइन्ड रेन्ट का कॉम्प्लिकेशन (Complication) होकर जिस उद्देश्य से यह अमेन्डमेन्ट रक्खा गया है उसकी भी पूर्ति नहीं होगी और एक साल के लिये नक़द के बजाय काइंड में देना पड़े।

माननीय गोपीलाल जी के अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं........

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफ़ीकेशन कर दूं। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि उनको भी समझने में कम आया है।

श्री उपाध्यक्ष--After......................................

श्री भीमसिंह—इसके दूसरे क्लॉज़ के सब क्लॉज़ पर दूसरा अमेन्डमेन्ट है इसको पेश कर रहा हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब क्लॉज़ (१) पर ही बहस चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--We are dealing with sub-clause (i) only.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इसमें जो माननीय मानसिंहजी ने कहा कि किसानों के लिये ज्यादा दिक्कत पैदा हो जावेगी. वह कहां से लगान देगा, इससे ऐसा मालूम होता है कि उनकी लगान देने की दिक्क़त की दृष्टि से स्पष्टीकरण की इच्छा है।

लेकिन यह जुलाई और जनवरी रक्खा गया है। दर असल एग्रीकल्चरल ईयर इसी वजह से शुरू होता है इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा रक्खा गया है और जुलाई में ही पे (pay) करना पड़ेगा लगान, ऐसा नहीं है; वह जुलाई से लागू होगा। खरीफ़ की क्रोप के लिये जुलाई से लागू होता है यह जब ड्यू (due) हो तब पे कर सकता है और रबी का पैसा जनवरी के बाद पे कर सकता है। यह पेमेन्ट का हिसाब है। तब से लागू होकर पर्टिक्युलर क्रोप के लिये यह रक्खा गया है ऐसा नहीं बल्कि एग्रीकल्चर ईयर के हिसाब से यह रक्खा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—"payable" शब्द से यह साफ़ हो जावेगा।

श्री भीमसिंह—'पेएबल' शब्द तो मेरे ध्यान में था। वह श्री एच. के. व्यास के ध्यान में नहीं आया है।

मैंने लटाई के बारे में कहा था। लैन्ड रेन्ट कैश में तो है और वह जुलाई में पेएबल कर दे; पर अगस्त में आगे चल कर बरसात चालू हो जाती है और इसके बाद में सितम्बर और अक्तूबर।

[श्री भीमसिंह]

देने में उसको सहूलियत हो सकती है। पर यह तो जुलाई में पेएबल हो जाती है। फ़सल के तैयार होकर बेचने और उसकी आमदनी मिलने से पहले ही आपका लगान पेएबल हो जाता है। तो इसके लिये वह कब तक पे कर सकता है इसकी अवधि भी निश्चित हो जाना ज़रूरी है। यह प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी (practical difficulty) इसमें आती थी इसलिये मैंने यह अर्ज़ किया था।

पहले हमारे यहां जयपुर टीनेन्सी एक्ट में भी खरीफ़ फ़सल १५ नवम्बर से पेएबल थी और रबी की अप्रेल तक थी। तो इस ख़याल से अक्तूबर से चल कर नवम्बर तक तो हर हालत में फ़सल बिक ही जाती है और तब तक वह पे कर सकता है। तो यह सही चीज़ है।

फिर बाद में रेम्युनरेशन (remuneration) का प्रश्न कैसे एराइज़ (arise) होगा? इसमें आगे जाकर उलझन पड़ जावेगी। पहले जितनी भी चीजें हैं फ़सल खराब होने की, नुक़सान हो जाने की; ये सारी स्टेजेज़ (stages) भी पास हो जावेंगी। इसलिये मेरा संशोधन उचित ही है कि अक्तूबर में जाकर लगान कैश रेन्ट के रूप में लिया जावे और रबी के लिये अप्रेल में लिया जावे। रेम्युनरेशन का यह क्वेश्चन, गवर्नमेन्ट को रेन्ट पेएबल होता है, उसके पहले पहले का है। बाद में हुआ तो इसका रेम्युनरेशन कैसे कौन देगा? यह दिक्कत पेश आती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"The cash rent so fixed shall be payable from the first day of July or first day of January next following the date of such fixation". रेन्ट फ़िक्स हो जाने से रेम्युनरेशन लिया ही नहीं जाता है, यह बात नहीं है। इसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह लगान लगाने से और पेएबल होने से उस रोज़ ही दे देना पड़ेगा और इस तरह सारा का सारा मामला वहीं तय हो रहा हो, इससे यह मतलब नहीं है। आगे भी रेम्युनरेशन मिल सकता है। यह तो बाद में ही फ़िक्स की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है,

Delete Sub clause (2)

इस बिल में यह मेरा आख़िरी अमेंडमेन्ट है और यह इस प्रकार है अमेन्डमेन्ट का जिसे ज्यादा दलीलें देकर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।

एक ओर तो सरकार यह कहती है कि हमने लाग–बाग को बन्द कर दिया है पर दूसरी तरफ़ इस बिल में ज़िक्र करती है "Cesses not being in the nature of rent" कहते हैं कि बेगार लागबाग हमने बन्द कर दी है, गैर क़ानूनी कर दी है और इस दृष्टि से किसान को राहत देदी है पर दूसरी ओर सैटलमेन्ट आफ़ीसर के ज़िम्मा यह काम दिया है कि वह इस प्रकार की जितनी दूसरी सैसेज हैं, रेन्ट के तौर पर नहीं दूसरी तरह की; वे सब दर्ज कर ली जावें। यह काम सैटलमेन्ट ऑफिसर का है, हो नहीं। वह क्यों दर्ज करे और इस प्रकार दर्ज करने के बाद फिर फ़िवोलस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(frivolous) के ज़रिये, लोकल फेबल्स के जरिये अपने राइट्स को पूरा करे और इससे आगे जाकर किसान को तंग होना पड़े तो इस प्रकार के काम करने के लिये अफ़सर को क्यों कहा जावे?

रेन्ट के तौर पर जो वसूल होता था वह तो कैश रेन्ट में आ गया, ऐसा मान लिया गया है। रेन्ट को छोड़कर बाकी जो सेसेज हैं उनकी फ़िकर सैटलमेन्ट विभाग के लिये करने की चीज ही नहीं है।

पंचायतें उसके बारे में सोचेंगी या कोई दूसरी लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट सोचेगी या फ़िक्र करेगी सैटिलमेन्ट विभाग को इसके बारे में कोई गौर करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिये यह जो सब क्लॉज दो है वह डिलीट कर दिया जाना चाहिये। इसकी न सिर्फ़ आवश्यकता ही है बल्कि इसके रखने का नतीजा यह होगा कि रेकार्ड तैयार हो जावेगा कि अमुक अमुक लागें ली जाती हैं जो फिर आगे चलकर एक सिस्टम के रूप में आ जावेंगी। इसलिये पैनल्टी के रूप में उसको जस्टिफ़ाई करके किसानों से और और लागें लेने की गुन्जाइश पैदा होगी।

इस दृष्टि से सब क्लॉज (२) को हटा दिया जाय, इसलिये मैं अपना अमेंन्डमेन्ट सदन के सामने इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करता हूं। हालां कि मंत्री महोदय दूसरे कामों में मशगूल हैं फिर भी मेरी बातों को पूरी तरह से समझ पाये होंगे और मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मशगूल होते हुए भी मैंने आपकी बातों को सुना है क्लॉज इस प्रकार है:

"The Settlement Officer shall also determine and record such other matters, including the levy of any cesses not being in the nature of rent, as may be prescribed."

किन्तु सरकार आमतौर पर जो सैसेज हैं, जैसे पटवारी सेस जो अभी तक खालसे के इलाकों में चालू है दूसरी भी और तरह की सैसेज जो चालू हैं उनका रेकार्ड सैटलमेन्ट ऑफ़ीसर करेंगे। उनको ध्यान में रखते हुए सैटलमेन्ट ऑफ़ीसर रेन्ट लागू करेंगे। He will record it. रेन्ट रेट को शरीक करने के अन्दर उसे जस्टिफाइ करना होगा कि किन किन सेसेज को इन्वल्यूड करना है और कौन कौन सी सेस इन्वल्यूड करने लायक हैं।

श्री एच. के. व्यास—डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं अपने संशोधन को विथड्रा नहीं करूंगा, इस अमेन्डमेन्ट का विथड्रा करने में मुझे कोई तथ्य नहीं मालूम हुआ है। इस प्रकार के रेकार्ड आखिरकार ये क्यों बनवाना चाहते हैं। जब सरकार की मन्शा सेस लेने की नहीं है तो उसका रेकर्ड क्यों बनवाया जा रहा है? इससे कुछ न कुछ सेस लेने की मंशा मालूम देती है। चाहे वह रेवेन्यु विभाग की ओर से भले ही न ली जाय, पंचायत विभाग इस पर टूट पड़ेगा कि फ़लां फ़लां लाग आप पहले देते थे यह माफ़ी लाग है, म्युनिसिपल लाग है; आप लोगों को म्युनिसिपल लाग के रूप में देना होगा। हो सकता है कि राजस्थान सरकार पंचायत एक्ट के मातहत आदेश जारी कर देगी इतने सालों से जो लाग चालू है व

[श्री एच. के. व्यास]

पंचायतों के जरिये वसूल की जाय या आय आगे जाकर वसूल करना चाहते हैं। जो यह सेसेज के रूप में not in the nature of rent rate बार बार किसानों को नये बोझ से लादने की कोशिश की जा रही है इस प्रकार के रेकर्ड तैयार करके। अगर सही मायने में आप लोग इच्छुक हैं कि इस प्रकार की लागें-बागें बन्द कर दी जांय तो फिर सैसेज को in the sense of rent लें और इसका सिर्फ न रेकर्ड ही तयार करें बल्कि इस बारे में बात करने की भी आवश्यकता नहीं। इसलिये इस पूरे क्लॉज़ को डिलिट कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इस वर्ष भी खालसे इलाके के अन्दर जिसको हम करीब करीब सब जानते हैं, पटवारी सेस आदि चालू हैं, जो कल्टिवेटर्स के इन्टरेस्ट के लिये चालू रक्खी जाती हैं, इस चीज को हटा देना या बन्द कर देना कोई मायने नहीं रखता। आज दिन तक जो कायम हुए हुए हैं इन सब चीजों को एक्जामिन (examine) करके इस चीज को रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई हैं। इसलिये इस अमेन्डमेन्ट पर कन्सिडर (consider) करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके लिए यह कहा जाना कि रेकार्ड ही तैयार न किया जाय, इस पर इतनी बन्दिश लगाना उपयोगी मालूम नहीं होता।

श्री भीमसिंह—मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह सदन की अनुमति है कि श्री भीमसिंह जी को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री भीमसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास का संशोधन मंजूर किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन नामंजूर हुआ।

(विराम)

दूसरा कोई संशोधन नहीं है इसलिए यह प्रश्न रखता हूँ कि क्लॉज ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड १० तथा ११ पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है कि यह दोनों खण्ड विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड १० तथा ११ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किये गये।

(विराम)

खण्ड १२. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज १२ में इस प्रकार है······

श्री उपाध्यक्ष—पहले श्री भीमसिंह अपना संशोधन पेश करें।

श्री भीमसिंह—संशोधन इस प्रकार है—

"The whole clause be substituted by the following :

'All expenses incurred in the completion of summary Settlement in any area, under this Act, shall be borne by the state"

अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज १२ जो रखी गई है कि यह समेरी सेटलमट का खर्च कौन बरदाश्त करे, इस बारे में रखी गई है। मैंने जो यह संशोधन रखा है वह इसलिए रखा है कि सेटलमेंट ऑपरेशन्स (settlement operations) खासकर वास्तव में जो दूसरे खर्चे और होते है जिनका काम प्रान्त में सुचारूरूप से करने के लिए सरकार का फर्ज होता है कि वह उसे करे। उसी मुताबिक सेटलमेंट भी सरकार के डेली रूटीन (daily routine) का एक फ़र्ज होता है। जैसा लॉ एन्ड ऑर्डर कस्बों के अन्दर, टाउन्स के अन्दर और जो मकान हैं तो मकानदार और किरायेदार के बीच में जो झगड़ा होता है तो उसको आपस में तय कराना गवर्नमेंट का फर्ज होता है; दूसरे कामों को करना जिस प्रकार गवर्नमट की ड्युटीज होती है उसी मुताबिक गवर्नमेंट का फर्ज यह भी हो जाता है। ऐसी हालत में जब कि गवर्नमेंट का फर्ज है तो किसी पार्टी पर चाहे वह काश्तकार हो या कोई हो तो उससे खर्चा लिया जाना या लगाया जाना नावाजिब है। जहां तक मेरी जानकारी है पहले बीकानेर रियासत में भी सेटलमेन्ट का खर्चा गवर्नमेन्ट ही करती थी। जोधपुर में भी बहुत सा खर्चा कुछ गवर्नमेन्ट पर और कुछ पार्टी पर होता था। ऐसी सूरत में अब यह खर्चा स्टेट ग्रान्टी या लेन्ड होल्डर पर लाद दिया जाय, मैं समझता हूं कि नावाजिब चीज है, खासकर उस हालत में जब कि गवर्नमेन्ट इन्टरमीडीयेटरीज (intermediataries) को हटाने जा रही है, वह खर्चा लगाने का प्रोवीजन रख रही है। उन पर जिन्हें कोई फायदा नहीं होने जा रहा है ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि खर्चा लेन्ड होल्डर्स पर लगाना एक ज्यादती की चीज होगी। खर्चा गवर्नमेन्ट करे। गवर्नमेन्ट तो उनसे पैसा ले जिन्हें फायदा होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि सेटलमेंट का वास्तविक फायदा काश्तकारों को होता है या बहुत हद तक फायदा होता है तो सरकार को। सरकारी अफसरों को दौरे पर जाने का जो सिरदर्द रहता था वह सेटलमेन्ट होने से रुक जाता

[श्री भीमसिंह]

है। बहुत से ऑफिसरों को जो इस संबंध में दौरे करने पड़ते थे उन दौरों में कमी होती है। इससे सरकार उनको जो डेली एलाउन्स व ट्रेवलिंग एलाउन्स देती है उनमें कमी आयेगी। वह फायदा सरकार का होगा। काश्तकारों से खर्चा लिये जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। यह गवर्नमेन्ट की ड्यूटी है वह हरेक के लिए प्रबन्ध करे। यह टैक्स चाहे काश्तकार से, चाहे लेण्ड होल्डर से लिया जाता है तो मैं यह महसूस करता हूं कि उसका लिया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि यह करीब करीब वैसी ही सूरत होजायगी जैसी कि शहरों और कस्बों में मकान मालिकों और किरायेदारों की होती है। उसी तरह गांवों में लेन्ड होल्डर और स्टेट ग्रान्टी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जब शहर के अन्दर रेन्ट कन्ट्रोलर मुकर्रर करती है, और जो रेन्ट कन्ट्रोलर फैसला करता है, मकान मालिक व किरायेदार के बीच का झगड़ा जब रेन्ट कन्ट्रोलर के सामने लाया जाता है वही सारे नियम, वही सारा सेटलमेन्ट का तरीका कायम करते वक्त होता है। क्या सरकार उसमें यह बात रखती है कि खर्चा कितना मकान मालिक से लिया जायगा? उसमें किरायेदार और मकान मालिक से खर्चा नहीं लिया जाता है। सरकार उस सब खर्चे को बरदाश्त करती है कस्बों के अन्दर और शहरों के अन्दर, तो फिर देहात के अन्दर गांव के रहने वालों के ऊपर इस तरह का खर्चा सरकार पार्टी पर लाद देती है, यह कहां तक वाजबी है? मैं समझता हूं कि यह नावाजिब चीज है। रयुरल एरिया और अरबन एरिया में यह डिस्क्रिमीनेशन, (discrimination) यह फर्क रखा गया है जो सरकार को नहीं रखना चाहिए। सरकार का यह फर्ज है कि जो वाजिब तरीका हो, जो वाजिब कानून प्रान्त के अन्दर हों तो वह आम टॅक्सेशन पर होना चाहिए, आम खर्चा जो गवर्नमेन्ट लेती है उसी पर यह होना वाजिब है। खास तौर से जब कि लेन्ड होल्डर्स को सरकार एलिमिनेट (elimenate) करने जा रही है। उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है तो फिर आप कैसे अपने आप को जस्टीफाइ (justify) करते हैं कि उनसे खर्चा लिया जाना वाजिब है। इन्टरमीडियेटरीज का पहले सिस्टम था। उस तरीके को चालू रखते हैं तो हम यही समझ सकते कि उनका सिरदर्द कम हो क्योंकि उनका हाल रेन्ट रियलाइजेशन (rent realization) में गवर्नमेन्ट का सा है, जैसा कि खालसे के अन्दर के खुद गवर्नमेन्ट बर्दाश्त करती है। ऐसी सूरत में जब कि गवर्नमेंट इन्टरमीडियेटरीज को रिप्लेस करने जा रही है, उनकी जगह वह लेने जा रही है तो उनकी जगह जो आने वाला है उसी से खर्चा लिया जाना चाहिए। ऐसी सूरत में मैंने जो संशोधन रखा है वह उचित है। मिनिस्टर महोदय उस पर विचार करेंगे। मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"The whole clause be substituted by the following:—

"All expenses incurred in the completion of Summary Settlement in any area, under this Act, will be borne by the State."

श्री खेतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना एमेन्डमेन्ट रखता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मुझे श्री भीमसिंह जी के संशोधन के संबंध में कुछ शब्द कहने हैं। यह जो सेटलमेन्ट के खर्चे का सवाल आ रहा है यह वास्तव में छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर देखा जाय और उस पर विचार किया जाय तो इसके अन्दर

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं । इसमें समय भी काफी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता हूं । मोटी २ बातें और खास २ बातें ही में अर्ज करूंगा । यह जो सेटलमेन्ट किया जाता है, जब बन्दोबस्त करते हैं तो यह बन्दोबस्त दरअसल में क्या चीज है, क्यों आवश्यकता इसकी पैदा होती है, इसका मूल कारण है अधर्म । इन बातों में जब धर्म नहीं रहता है तो बन्दोबस्त करने की आवश्यकता होती है । दूसरा कारण, राज्य अपनी सहूलियत के लिये वन्दोबस्त करता है । यह दोनों मुख्य कारण सेटलमेन्ट के हैं । सेटलमेन्ट, वैसे कहा जाता है कि अकबर बादशाह के वक्त में हुआ था इससे पहले भी यह हुआ हो तो पता नहीं । राजा हर्ष, गुप्तवंश या अशोक के जमाने में भी शायद यह हुआ हो, इसका कोई रेकार्ड नहीं है । धर्म के नहीं होने से सेटलमेन्ट की बात पैदा होती है ।

सबसे बेस्ट तरीका राज्य के भाग लेने का यही होता है कि पैदावार में से अपना बटवारा ले । पैदावार के बटवारे में, लाग-बाग धर्म छोड़ देने के कारण यह सेटलमेन्ट की व्यवस्था पैदा हुई है । मैं गवर्नमेन्ट के सुझाव के विषय के बाहर जरूर हूं, लेकिन मैं यह बात अर्ज कर दूंगा कि आपने जब पुराने तरीके अख्त्यार किये हैं, ग्राम पचायतें चालू की हैं तो यह बन्दोबस्त का तमाम मसला तय हो जाता है यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय तो राज्य का इतना सभी खर्च बच जायगा । यह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत वाले चला लेंगे । जितना राज्य में पैदा होगा उसम जितना राज्य का भाग होगा वह राज्य के पास भेज देंगे । इस तरह से आसानी से मामला हल हो जाता है ।

अब रहा सवाल उनका जो कि ग्रान्टीज (grantees) हैं तो ग्रान्टीज के ऊपर टेक्स का प्रॉवीजन रखा गया है। यह लॉ आफ डिस्क्रिमिनेशन (discrimination) सिर्फ ग्रान्टी के ऊपर ही क्यों रखा जाय, अन्य और आदमियों के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाय ? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना वाजिब नहीं है । यह तो राज्य की ही ड्यूटी यानि कर्तव्य है कि यदि ऐसे समेरी काम के लिये, जो कि एक सहूलियत के लिए किया जाता है कुल खर्चा राज्य को ही बरदाश्त करना चाहिए, न कि काश्तकारों से लेना चाहिये और न लेन्ड होल्डर से जिसको ग्रान्ट दी गई है । मैं समझता हूं कि आपका (श्री भीमसिंह जी का) प्रस्ताव जो है वह बिल्कुल वाजिब है । इसको एक्सेप्ट करने में मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, श्री भीमसिहजी के प्रस्ताव के अनुमोदन में २ शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं । जैसी कि मौजूदा धारा है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो खर्चा स्टेट ग्रान्टी के ऊपर रखा गया है उसकी आखिर जस्टिफिकेशन क्या है ? क्या हमारी सरकार जो एक सिद्धान्त के ऊपर कायम है कि हमें इन्टरमीडियेटरीज को खत्म करना है तो मुझे ऐसा शक होने लगता है, और यह शक इस धारा को देखने से पुष्ट होता है। क्या सरकार इस सिद्धान्त को छोड़कर कुछ छोटे-मोटे इन्टरमीडियेटरीज रखना चाहती है ? अगर उस सिद्धान्त पर हमारी सरकार चलती है कि हमें इन्टरमीडियेटरीज को खतम करना है तो फिर ऐसी धारा क्यों रखी जाय कि जिसमें यह खर्चा उन

[श्री जवानसिंह]

इन्टरमीडियेटरीज से वसूल किया जाय ? आप इस चीज को कबूल करते हैं कि हमें इनको खतम करना है और साथ में ही उस समाप्ति के साथ ही उनको पिनेलाइज (penalise) किया जा रहा है। तो क्या यह खिलाफ कानून नहीं होगा। जब यह चीज होती है तो फिर आप उनके ऊपर किसी सेटलमेन्ट का खर्चा क्यों डाल रहे हैं ? उसका फल उनको कतई नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में सेटलमेंट होने के पश्चात् स्टेट ग्रान्टीज़ (state grantees) को कतई फायदा होता तो इस धारा की उपयोगिता को समझते, लेकिन ऐसी सूरत तो पैदा होगी ही नहीं।

क्योंकि आप उसको खत्म भी कर देंगे और सेटलमेंट कराने का खर्चा भी उनसे वसूल करेंगे तो यह तो उचित नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी धारा रखने से कोई मतलब हल नहीं होता बल्कि स्पष्ट मालूम होता है कि आप उनके साथ ज्यादती करते हैं, उन्होंने इतने वर्षों तक उस जमीन का फल भोगा इसलिये आप उन पर यह पेनल्टी लगा रहे हैं।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस खन्ड को ऐसा ही नहीं रखा जाय और इस संशोधन को अवश्य स्वीकार किया जाय।

श्री **खेतसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:—

"The following be substituted for the proviso to sub-clause (1) 'provided that the State Government may remit all such expenses or a portion thereof in deserving cases."

उपाध्यक्ष महोदय, श्री भीमसिंहजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसे यदि माननीय मंत्री महोदय मंजूर करलें तो मैं अपने इस अमेंडमेंट को विदड्रा करने को तैयार हूं और अगर उसको नहीं मानते हैं तो इससे अच्छा अमेंडमेंट और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिये इस अमेंडमेंट को तो वह मान ही लें। तो डिज़र्विंग केसेज़ (deserving cases) में सारा खर्चा माफ कर देना चाहिये। जैसे जैसलमेर का इलाका समेरी सेटलमेंट से अफेक्ट होने वाला है। जैसलमेर में माइल्स तक जमीन बंजर पड़ी है वह जागीरदारों के लिये बर्डन (भार) है। वैसे ही वह जमीन उनके लिये बर्डन है उन पर यह खर्च का बर्डन और रखना कहां तक उचित है ? जहां जमीन की खास कीमत हो, बड़ा भीड़ भड़क्का हो, बेदखलियां हो रही हों तब तो आप कह सकते हैं कि किसानों को बडा नुकसान हो रहा है, इसलिये हमने सेटलमेंट किया, इसलिये पैसे दीजिये, लिहाजा जागीरदारों को खर्चा देना पडेगा। परन्तु वहां तो जमीन की कोई खास कीमत नहीं, कोई भीड़ भडक्का नहीं है, कोई बेदखलियां नहीं हो रही हैं, एस.डी.एम की अदालत में एक भी मुकदमा बेदखली का नहीं है, इस पर भी अगर यह खर्च का बर्डन डालेंगे तो इससे बढ़ कर और जुल्म क्या होगा ? ५००० तो क्या १०० रुपये से भी कम आमदनी की जागीरें वहां हैं। जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं, काश्त होती ही नहीं, पशु चराने अर्थात् चरागाह के तौर पर वह जमीनें काम में लेते हैं। वैसी हालत में उन पर अगर समेरी सेटलमेंट का बर्डन लगाया गया तो उनके जिम्मे थाउजेंन्डस (thousands) का खर्चा आयेगा, जिसे वे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे इस अमेंडमेंट को अवश्य स्वीकार करें।

श्री भैरूंसिंह--श्री भीमसिंहजी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह इस क्लॉज में निगेटिव फोर्म (negative form) का है इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस पर अपनी राय जाहिर करदें तो बाद में हम इसे एफर्मेटिव फोर्म पर ही बोलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--माननीय उपाध्यक्ष, इस वक्त तक इस क्लाज पर २ अमेंडमेंट पेश हुए हैं। श्री भीमसिंह जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जागीरें समाप्त होने वाली हैं इसलिये सेटलमेंट का भार उन पर डालना इस स्टेज में उचित प्रतीत नहीं होता और श्री खेतसिंह जी ने अपने अमेंडमेंट में इस बात को रखा है कि डिजर्विंग केसेज़ के मामलों में गवर्नमेंट को अपने खर्चे पर सेटलमेंट कराना चाहिये या कुछ पोर्शन (portion) खर्च का माफ करना चाहिये। जहां तक डिज़र्विंग केसेज़ (deserving cases) का सवाल है कि किसी पर ज्यादा एक्सपेन्सेज़ (expenses) का भार नहीं पड़े गवर्नमेंट ने इस बिल में प्रोवाइड किया है कि:--

"Provided that the State Government may remit a portion of such expenses in deserving cases."

आपने इसमें एडिशन (addition) सारे खर्च का कर दिया है।

श्री भीमसिंह जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको स्वीकार करने में मैं अपने आपको असमर्थ पाता हूं। पर खेतसिंह जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको ऑलरेडी (already) इस बिल में रखा गया है, उसको मैं स्वीकार कर सकता हूं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२ के सब क्लाज (१) मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:--

"Insert the words 'with an income exceeding rupees 5,000/-' after the word 'area' and before the word 'shall' in line fifth of sub-clause (1) of clause 12."

उपाध्यक्ष महोदय, श्री भीमसिंहजी, ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए बताया था कि जागीरदारों से या उन भू-स्वामियों से, जिनकी भूमि का संक्षिप्त बंदोबस्त किया जाय, उसका सर्फा उनसे वसूल नहीं करना चाहिये। माननीय मंत्रीजी ने उनके मत से इन्कार करते हुए बतलाया कि यह सर्फा उनसे अवश्य वसूल होना चाहिये। जहां तक मैं समझ पाया हूं किस वजह से यह खर्चा भू-स्वामियों से वसूल किया जाता है, तो उसकी वजह यही नजर आती है कि जो जिस वक्त ऐसा कानून बनाया गया कि हमें बन्दोबस्त करना है तो उस समय इस कानून के बनाने वाले के दिमाग में यह कल्पना थी कि जिनके लिये यह भूमि का बन्दोबस्त कर रहे हैं और जो वर्षों तक इस भूमि से फायदा उठावेंगे वे ही लोग इस भूमि के बन्दोबस्त के खर्चे को भी अपने ऊपर लें। पर अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो लोग इस भूमि का फायदा उठाने वाले हैं वह अब ज्यादा दिनों तक इस भूमि का फायदा उठा सकेंगे नहीं, जागीरें जल्द समाप्त होने वाली हैं। बडी जागीरें खत्म होंगी। इनके नीचे यानि पांच हजार के नीचे की जागीरें भी समाप्त होंगी, हालांकि इस एक्ट में यह प्रोविजन रखा है कि ५ हजार से नीचे की जागीरें अभी समाप्त नहीं की जावेंगी। पर सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि उन्हें भी समाप्त करना है।

[श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)]

बड़ी बड़ी जागीरें खत्म होंगी, उनको मुआवजा मिलेगा; पर जहां तक मैं इस स्थिति को समझ चुका हूं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुमकिन है कि बड़े बड़े जागीरदारों को मुआवजा मिल जाय और छोटे छोटे भू-स्वामियों को मुआवजा मिलना भी मुश्किल है । गवर्नमेंट जो वातावरण बना रही है उससे मुझे ऐसा लगता है कि छोटे भू-स्वामियों को मुआवजा नहीं मिलेगा । ऐसी सूरत में जागीरदारों से जागीर के बन्दोबस्त का खर्चा वसूल करना किसी भी हालत में उचित नहीं हो सकता ।

बाद में इस सदन में कई दफा जागीरदारों के प्रश्न पर जब माननीय मंत्री से प्रश्न किया जाता है या इस पर कभी कभी गरम वातावरण बन जाता है उस समय वातावरण को शांत करने के लिये यह कहा जाता है कि जागीरदारी प्रथा जल्दी से जल्दी खत्म की जावेगी और यह निश्चित भी है कि जागीरदारी नहीं रह सकेगी; यह समेरी सेटलमेंट होगा उससे पहले शायद जागीरदारी समाप्त हो जावे ऐसी संभावना है । जब जागीरदारी नहीं रहेगी, जागीरदार नहीं रहेंगे, जब यह संक्षिप्त भूमि बन्दोबस्त हो रहा है उसके दौरान में ही जागीरदारी खत्म हो जावेगी तो ऐसी सूरत में उस बन्दोबस्त का खर्चा जागीरदारों से लेना बहुत ही अनुचित है । आपने यह फरमाया कि इसम खर्च लगेगा । खर्चा लगेगा इस बात को हम मंजूर करते हैं । मगर बड़े बड़े वे जागीरदार जिनकी माली हालत बहुत अच्छी हो उनसे खर्चा लिया जावे । वे खर्चे को बर्दाश्त कर सकते हैं । छोटे छोटे भू-स्वामी जिनकी आमदनी बहुत कम है, ५००० से कम है, वे इस प्रकार के खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । इसलिये उनको इससे मुक्त रखा जाए । पहले राजस्थान में जो रियासतें थीं उस समय भी सेटलमेंट हुआ तब सरकार ने अपना खर्चा बरदाश्त किया, क्योंकि छोटे २ भू-स्वामियों की हालत बहुत खराब है । यदि कानून बनाने वाले उनकी हालत को ध्यान में रखते तो उनको मालूम होता कि ५ हजार के भू-स्वामी से सेटलमेंट का खर्चा लेना न्यायोचित नहीं है ।

अब मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान, श्रीमन् राजप्रमुख के इस सदन में जागीर उन्मूलन के संबन्ध में हुए भाषण पर जो धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्री चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण में आश्वासन दिये थे, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं । चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया था कि छोटे छोटे भू-स्वामियों के हित में जागीर उन्मूलन है । उनके असली शब्द तो मैं आपके सामने क्वोट (Quote) नहीं कर सकता क्योंकि उनके भाषण की कॉपी मेरे पास नहीं है । मगर उनका एक आशय यह था कि छोटे-छोटे भू-स्वामियों की रक्षा सरकार अवश्य करेगी ।

इन दो बातों के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे सारे के सारे खर्चे को बरदाश्त करना मंजूर नहीं करते हैं तो कम से कम उन्हें ५ हजार से नीचे के जागीरदारों को तो इससे मुक्त कर देना चाहिये । मेरा यही संशोधन है और मैं निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को मंजूर किया जावे ।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, चाहे समेरी सेटलमेंट हो और चाहे परमानेन्ट सेटलमेंट; दोनों सूरतों में सेटलमेंट होने पर खर्चा तो अवश्य लगेगा ही; चाहे छोटे छोटे जागीरदार हों, चाहे बड़े बड़े जागीरदार हों या भोमिये हों । मगर यह कोई छोटे और बड़े जागीरदारों का प्रश्न नहीं

Page No.76

[श्री जसवन्तसिंह]

है, यह प्रश्न है उसूल का। अगर जागीरें रहती हैं और जागीरदार रहते हैं तो यह खर्चा उनसे लिया जाता तो यह कहा जाता कि उस सेटलमेंट का फायदा जागीरदारों पर पड़ता है और खर्च होता है; तो कुछ हद तक यह ठीक होता। लेकिन किसी भी रियासत में ऐसे सेटलमेंट जहां कहीं भी होते हैं तो ऐसे सेटलमेंट का खर्चा लिया नहीं जाता। यह सेटलमेंट सब लोगों के फायदे के लिये होता है और खास कर किसानों के फायदे के लिये। इसलिये यह रियासत का ही फर्ज है कि वह सेटलमेंट मुफ्त में करे। बीकानेर में यह रिवाज था कि जितने सेटलमेंट राजस्थान बनने से पहले हुए सबका खर्चा बीकानेर रियासत द्वारा बर्दाश्त किया गया। बीकानेर रियासत ने न तो छोटे जागीरदारों से लिया, न बड़े जागीरदारों से; यह सिद्धान्त की बात है। यह सिद्धान्त की बात होने से रियासत ही इसका खर्च करे। मगर कुछ ऐसी रियासतें भी ध्यान में आई हैं जहां सेटलमेंट का खर्चा जागीरदारों से लिया गया था। इसका खर्चा कितना पड़ेगा ? हम लोगों को इस बात का अनुभव है कि इसका खर्चा इतनी बड़ी तादाद में बढ़ेगा कि बहुत से जागीरदार इसके खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। जोधपुर के संबन्ध में मेरा खुद का अनुभव है, वहां सेटलमेंट रिसेंटली (recently) तय किया है और वहां का खर्चा करीब करीब छोटे जागीरदारों की सालाना आमदनी के बराबर हो जाता है यदि जागीरें रहती हैं तो जागीरदार किसी तरह से दे भी सकता है और जैसा कि इस सदन को भली भांति मालूम है कि अभी राजस्थान सरकार और जागीरदारों के साथ बातचीत चल रही है और जागीरदार देश और प्रान्त के हित के लिये त्याग करने को तैयार हैं तो ऐसी हालत में जागीरदारी रहने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हमारा सेटलमेन्ट कुछ समय लेगा और हमें भी समय के अनुकूल ही चलना है। हम इस बात को मानते हैं कि करीब करीब इसी साल में जागीरों के संबन्ध में जागीरदारों के साथ सरकार का समझौता होकर जागीरें रिज्यूम हो जावेंगी। एक तरफ तो जागीरें जा रही हैं और दूसरी तरफ सेटलमेन्ट का इतना कोस्टली खर्चा सरकार द्वारा लिया जाए, यह तो उचित नहीं।

श्री खेतसिंह—यह तो आपने माना है कि जागीरें समाप्त होंगी। इसमें ५ हजार से ज्यादा को खर्चा देना माना है या कम को भी माना है ?

श्री जसवन्तसिंह—यह बात कोई ५ हजार, १० हजार, लाख या ५०० पर लागू नहीं होगी; जागीर चाहे पांच रुपये की ही हो। यह तो जनरल सवाल है और जनरल प्रश्न पर ही मैं बोल रहा हूं।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जागीरदारी उन्मूलन के सिद्धान्त को हम मान चुके हैं। इसमें ५ हजार का कोई सवाल नहीं रहता है। एक तरफ जागीरदारी जा रही है, दूसरी तरफ सेटलमेंट का खर्चा उनको बर्दाश्त करना होगा; यह कहां तक वाजिब है ? इन सबको देखते हुए यह वाजिब होगा कि सरकार इस खर्चे को बरदाश्त करे। जागीरदारी रिज्यूम (resume) होने से पब्लिक को राहत मिलेगी। इन सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों का खयाल है कि सरकार इस खर्चे को बर्दाश्त करे और माननीय श्री ...तसिंहजी द्वारा जो अमेंडमेन्ट पेश किया गया था और माननीय मंत्री जी इस अमेंडमेन्ट को मा

[श्री जसवन्तसिंह]

के लिये तैयार होंगे कि डिस्क्रीशनरी पॉवर्स सरकार को दी गई है और यदि सरकार उस डिस्क्रीशनरी पॉवर्स को भी काम में लगावेगी तो इससे सब को फ़ायदा पहुंचेगा और छोटे भोमियों के लिये, जैसे हमारे मित्र श्री भैरूंसिंहजी अभी बोल रहे थे कि छोटे भोमियों की हालत को देखते हुए सैटलमेन्ट के चारजेज़ बिल्कुल ही नहीं लिये जाने चाहिये और यदि लिये जावेंगे तो उन पर बड़ा भारी बोझ रहेगा, इन सिद्धान्तों को मद्देनज़र रखते हुए जागीर जब जा रही हैं और सरकार को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स हैं, तो ऐसी हालत में सैटलमेन्ट का खर्चा नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जो अमेन्डमेन्ट श्री भीमसिंहजी ने मूव किया था उसका मतलब यह है कि खर्चा स्टेट को बर्दाश्त करना चाहिये।

श्री **जवानसिंह**—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जब भीमसिंहजी ने यह संशोधन सदन के समक्ष पेश किया था उस समय इसके सम्बन्ध में जिनको विरोध करना था उन्होंने इसका विरोध किया और जिनको इसका समर्थन करना था उन्होंने इसका समर्थन किया और इसका राजस्व मंत्री ने भी जवाब दे दिया था। मेरे खयाल से उसके पश्चात् किसी भी सदस्य को इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री **उपाध्यक्ष**—बहस संशोधन पर समाप्त नहीं हुई है इसलिये उनको बोलने की इजाज़त दी गई है।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—माननीय उपाध्यक्षजी, यह संशोधन सदन के सामने आया था कि सैटलमेन्ट का खर्चा लेन्ड होल्डर्स न दें। यह माननीय भीमसिंहजी का संशोधन था और उसके बाद खेतसिंहजी ने यह प्रस्ताव रखा कि उन इलाक़ों में, जहां कि जागीर की आमदनी कम है और भूमि बेकार है उसके डेवलपमेन्ट के लिये खर्चा जो वाजिब समझा जाय वह दिया जाय। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस सदन में जब कभी कुछ पैसों का सवाल आता है और उसका असर माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों पर आता है तो वे ऐसा रुख अख्तियार करते हैं कि यह समझा जाय कि सरकार के पास जो पैसा है उसकी कोई सीमा नहीं है।

श्री **भीमसिंह**—ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर, मेरे संशोधन पर हाउस का अधिक समय लग रहा है, ऐसा मालूम होता है। मैं मेरे अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं। बाक़ी दूसरे क्लॉजेज़ भी हैं।

श्री **तेजसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, पांच हज़ार से नीचे के जो जागीरदार हैं उन पर सैटलमेन्ट का खर्चा नहीं होना चाहिये। यह वाजिब है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को मंजूर करलें। जागीरी (Resumption) का सवाल पांच हज़ार से नीचे के

Page No.78

[श्री तेजसिंह]

जागीरदारों के लिये अभी नहीं है और summary settlement से भी उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। जब उनको कोई फायदा ही नहीं होगा तो बेकार उन पर क्यों फाइनेन्स का बर्डन डाला जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा—I was in possession of the floor of the House. One Member raises a point of order and another Member begins speaking without a decision of the Chair.

श्री उपाध्यक्ष—I thought you were not inclined to speak any further.

श्री नाथूराम मिर्धा—I was speaking when a point of order was raised.

श्री उपाध्यक्ष—Do you want to speak on the general amendments ?

श्री नाथूराम मिर्धा—The amendment that was lastly moved by Shri Bhairon Singh.

श्री उपाध्यक्ष—Continue.

श्री नाथूराम मिर्धा—बार बार इस सिद्धान्त को विरोधी पक्ष के सदस्यगण द्वारा दोहराया जाता है कि उन्होंने जागीर खत्म करने के सिद्धान्त को मान लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिजम्पशन एक्ट एक साल पहले पास होगया था और समझौते की बातें करके इसको आगे चलाया जा रहा है और संभव है कि यह कुछ और टाइम ले ले। ऐसी सूरत में जैसा आप महसूस करेंगे कि खर्चा किया है और आगे जाकर वह रिज्यूम होजायगा तो यह तय किया जा सकता है कि जागीरें समाप्त कर दी जायं। जागीरों से खर्चा वसूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। श्री खेतसिंहजी का अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिया गया है और अब कोई डिफिकल्टी नहीं रहती है। जो नया संशोधन भैरूसिंहजी की तरफ़से रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

(१२ बज कर २० मिनिट पर पुनः श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाडिया को संकेत करते हुए) Reply.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें तो अपने विचार प्रकट करने का मौक़ा ही नहीं मिला। हम इस पर बहुत बहस करना चाहते थे। यह बड़ा अहम मसला है हमारे लिये। इसका असर ४ हज़ार भोमियों पर, माफ़ीदारों, ठेकेदारों आदि पर पड़ने वाला है। इन पर सैटलमेन्ट का खर्चा लागू किया जा रहा है; जिनकी जागीरें ली जारही हैं उन पर भी यह लागू किया जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस पर अमेन्डमेन्ट जो है वह एक्सेप्ट कर लिया गया है।

श्री खेतसिंह–मेरे अमेन्डमेन्ट से भी दूसरा अमेन्डमेन्ट जो है वह महत्व का है और उस पर भी मेरा बोलने का विचार है।

श्री अध्यक्ष––इस पर भी आप बोलना चाहते है ?

श्री खेतसिंह––मैं भी और मूवर साहब भी।

श्री अध्यक्ष–Wnen it is accepted I think there will be no recommendation to me for the other Members. When it has been accepted, than you need not make a speech.

श्री हिम्मतसिंह––भैरोंसिहजी का अमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट नहीं किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया––मैं समझता हूं कि सबके विचार बहुत स्पष्ट हैं।

श्री खेतसिंह––सबके विचार बहुत स्पष्ट नहीं मालूम होते हैं। जो मामूली सी बातें भी हम कहते हैं तो वह भी आप नहीं सुनते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया––आप तो सब-कमेटी में भी थे।

श्री खेतसिंह–अभी जो जागीरदारों और कांग्रेस के बीच में समझौते की बात चल रही है उसमें छोटे जागीरदारों के हित को कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है।

श्री जसवन्तसिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी जागीरों का तो कोई मसला अधिक नहीं है। सबसे कठिन छोटी छोटी जागीरों का ही प्रश्न है और उसके बारे में पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह–तो फिर अभी जो व्यास जी द्वारा कमेटी बनाई गई उसमें किसी भी भोमिये या छोटे जागीरदार को क्यों नहीं लिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास––माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातें सदन के बाहर ही की जाएं तो अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार––माननीय अध्यक्ष महोदय; मैं दो-तीन मिनिट ही बोलूंगा। समेरी सेटलमेन्ट के बारे में मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं था लेकिन हमारे मित्र एक्स शिक्षा मंत्रीजी ने जो कुछ विचार प्रकट किये उन पर मैं भी अपनी कुछ राय प्रकट कर दूं। ऐसा मुझे लगा, इसलिये मैं सदन के सामने दो-चार बातें कहने को खड़ा हो गया हूं।

श्री जसवन्तसिंह––आपने जोर देकर एक्स मन्त्री कहा या एक्सट्रा मंत्री ?

श्री **मानसिंह महार**—(जारी) यह तो मंत्री जी स्वयं ही बता देते तो अच्छा होता पर मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ फरमाया उसके जवाब में यही कह सकता हूं कि आज तक जागीरदारों और कांग्रेस में समझोते की जो बातचीत चल रही थी उसमें ये रोड़े थे सबसे बड़े आपकी कैबिनेट में। अब हट गये तो रास्ता साफ हो गया है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना सदन के सामने उचित नहीं है।

श्री **मानसिंह महार**—यह बात जल्दी ही तय हो जावेगी। यह तय हो जाने के बाद समेरी सैटलमेन्ट के खर्चे का प्रश्न आता है वह फिर उठता ही नहीं है।

लेकिन मैं यह बताऊं कि अभी तक पांच हजार से कम की जागीरों का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस सूरत में यह बात कंसीडर करने की बहुत आवश्यकता हो जाती है कि पांच हजार से कम वाली से खरचा लिया जावे या नहीं। और ये चन्द शब्द कहकर मैं कहूंगा कि भैरोंसिहजी का अमेन्डमेन्ट जो है उसको सरकार को गुडविल की नियत से एक्सेप्ट करना चाहिये और इस बिल को आगे बढ़ाना चाहिये।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय अध्यक्षजी, इस बारे में पहले दो अमेन्डमेन्ट मूव किये गये थे और इस सम्बन्ध में अपने विचार जाहिर किये। इसके बाद विरोधी पक्ष के नेता माननीय जसवन्तसिंहजी ने इस बारे में कुछ बातें रक्खीं और खास तौर से इस बात की ओर इशारा किया कि क्योंकि जागीरें जल्दी से जल्दी रिज्यूम (resume) होने वाली हैं इसलिए यह खर्चा उन पर पड़ना उचित प्रतीत नहीं होता। मैं समझता हूं कि खेतसिंहजी के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया गया है और उसमें जो डिजर्विंग केसेज के बारे में बात रखकर फैसला किया गया है उससे यह स्पष्ट होना चाहिये कि जो डिजर्विंग केसेज होंगे उनमें सरकार खर्चे के बारे में उचित ही निर्णय करेगी और इस बात की कल्पना करने का किसी को अवसर नहीं देंगे। इस तरह की शंका वे न करें और कोरी शंका के आधार पर अच्छे वातावरण को खराब न करें, यह मेरा निवेदन है।

जागीरों के रिज़म्प्शन (resumption) के बारे में उस तरफ से कई तरह की बातें कही जाती हैं और शंकाएं भी पैदा की जाती हैं। इस बारे में भी सदन को सूचना देना मैं उचित समझता हूं कि जो बातचीत चल रही है वह निर्णयात्मक स्टेज पर है और उस पर बहुत जल्दी ही अमल होगा और उसके अमल होने के बारे में शंकापूर्ण वातावरण पैदा करने और उस वातावरण में भ्रम और शंकाओं को बढाने जैसी स्थितियों को पैदा नहीं करना चाहिये। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा अच्छा वातावरण हो और अच्छी परिस्थितियां बनें, इसकी आवश्यकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान के हित में इसका जल्दी से जल्दी अच्छा हल निकले, अच्छे ढंग से फैसला हो जिससे सबको सन्तोष हो; वही ज्यादा अच्छा है।

श्री भैरोंसिहजी ने इस बात की ओर इशारा किया है कि जो छोटे छोटे भोमिये हैं उनको ज्यादा तकलीफ होगी, उन पर सेटलमेन्ट के खर्च का भार ज्यादा पड़ने वाला है। मैं समझता हूं कि

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

श्री खेतसिहजी का जो अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया है और पहले भी प्रपोजल (proposal) इसके सम्बन्ध में आये थे वे इसी के सम्बन्ध में थे। उनसे उनको अब कोई शिकायत नहीं रहेगी और इनको मान लेने के बाद इसमें शक करने का कोई आधार नहीं रह जाना चाहिये कि ये तो बड़े जागीर-दारों के बारे में फंसते हैं छोटों को राहत मिलने वाली नहीं है, ऐसी बात नहीं है इस तरह की शिकायतें उदयपुरवाटी के मेरे कुछ साथियों ने की हैं और इस तरह के पक्षपात होने की शका उनके दिमाग में आई थी। इसके लिये मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी एक खास बडे तबके को फायदा पहुंचाना और छोटे को नुकसान पहुंचाने का दृष्टिकोण इसमें कतई नहीं है बल्कि सबका खयाल रखते हुए उचित निर्णय करना, यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से काम किया जा रहा है।

सेटलमेंट में खुदकाश्त का भी प्रश्न आता है। सरकार की नीति इस बारे में भी बिलकुल स्पष्ट है कि किसी आदमी को अगर हम इन नये सुधारों की वजह से वह एडजस्ट न हो सकें और हमें उसे आज तक चली आ रही परिपाटी से अलग करें और अलग करके उसे इस स्थिति पर पहुंचा दें कि वे कहीं के न रहें, बेरोजगारी हो जावे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी बसाना और काम देना सरकार अपना कर्तव्य समझती है। तो ऐसी चीज जब सरकार स्वयं सोच रही है तो इतने अविश्वास और शंका-सन्देह का कोई सवाल ही नहीं आता इसमें।

इन सबको देखते हुए इस प्रकार का कोई भार सरकार नहीं डालना चाहती है या जो भार डालने की बात कही जा रही है वह उचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए जो भार सामने वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते इन सब बातों का ध्यान इस बिल में रखा गया है। डिजर्विंग केसेज (deserving cases) उनको ध्यान में रखते हुये सेटलमेंट के चार्जेज होंगे उनका ध्यान रखा जायगा। इन सब बातों का कन्सीडरेशन (consideration) करते हुए यह काम किया जाय। विरोधी पक्ष को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको विश्वास में लेकर सरकार ने इस तरह का कार्य किया है। सरकार का कभी यह दृष्टिकोण नहीं है कि बड़े जागीरदारों को विशेष फायदे दिये जायं। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट आवश्यक प्रतीत नहीं होता। जो प्रोविजो श्री खेतसिहजी का मन्जूर किया गया उससे यह प्रकट होता है कि उनमें आपके द्वारा कही हुई बातों का समावेश हो जाता है। इसलिये भैरूंसिहजी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस लेलें। जिस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया है उसके अनुसार परिवर्तित धारा को आप स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन के उत्तर में माननीय मन्त्री ने यह फरमाया कि श्री खेतसिह के संशोधन को मन्जूर करने के पश्चात् यह चीज रह जाती है कि सरकार डिजर्विंग केसेज में यदि चाहे तो सेटलमेन्ट का खर्चा वापिस कर सकती है, लेकिन जो भाषा श्री खेतसिह के अमेन्डमेन्ट की है वह एक प्रकार से ऑब्लीगेटरी (obligatary) है। यदि यह मेरा संशोधन मन्जूर कर लिया जाता तो इस भाषा के ऑब्लीगेटरी होते हुए भी ५ हजार से कम के भूस्वामी जो हैं उनको राहत मिल जाती। एक तरफ किसानों के लिये बाहर की जनता

Page No.82

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]
के लिये इस पक्ष की ओर से, सरकारी पक्ष की ओर से, इस सदन में इस प्रकार की आवाज बुलन्द की जाती है कि वे अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के कारण वे अपना रिप्रेजेन्टेशन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। उस हालत में उन अशिक्षित लोगों में ५ हजार से ज्यादा आमदनी वाले भू-स्वामी भी आते हैं, लेकिन डिजर्विंग केसेज का मतलब मैं समझता हूं कि सरकार के पास यदि कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आये तो सरकार की ओर से कोई कमी नहीं की जाने वाली है। इसलिये ५ हजार से कम आमदनी वाले भू-स्वामियों को इस खर्चे से मुस्तसा कर दिया जाय।

दूसरी चीज मन्त्री महोदय ने फरमाई नगोशियेशन (negotiation) के सम्बन्ध में। उसमें मुझे अवश्य शिकायत है और उस शिकायत का एक कारण यह है कि जिस प्रकार जागीरदारी को समाप्त किये जाने के लिये जो नगोसियेशन्स किये जा रहे हैं उन नीगोसियेशन्स में बड़े बड़े जागीरदारों का ही प्रतिनिधित्व है, उनमें छोटे छोटे जागीरदारों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें छोटे भूस्वामियों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण आज राजस्थान के छोटे भू-स्वामियों का इन नीगोशियेन्शन में कतई विश्वास नहीं। यद्यपि मन्त्री महोदय ने इसको मन्जूर नहीं किया है तब भी मैं उनके इस आश्वासन पर कि डिजर्विंग केसेज में छोटे भू-स्वामियों के केसेज है, वे लिये जावेंगे, मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सेक्शन चाहता हूं।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बिल्कुल मामुली बात जो है वह यह कि यह जो कहा गया है माननीय श्री भैरूंसिहजी द्वारा कि छोटे जागीरदारों के लिये यह जो नीगोसियेशन्स किये जा रहे हैं उनमें कुछ नहीं किया जा रहा है तो यह माननीय राजस्व मन्त्रीजी खुद इस बात को जानते हैं कि भोमियों के लिये जो खुदकाश्त की जमीनें दी जा रहीं हैं उन पर हमारे द्वारा कितना जोर दिया जा रहा है।

श्री खेतसिंह—तो छोटे जागीरदारों को क्यों नहीं रखा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि यह बातचीत सदन के बाहर ही हो जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—Order ! I now put it to vote.

(विराम)

The question is that amendment of Shri Bhim Singh to clause 12 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Shri Bharion Singh wants to withdraw his amendment. Is it the leave of the House to allow the withdrawal of amendment No.32 to clause 12?

(स्वीकृत)

leave is granted.

श्री भैरूंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—The question is that amendment moved by Shri Khet Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 12, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 12, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १३

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह ।

श्री जसवन्तसिंह—It will not benefit anybody. We are tired and will not be able to advance. We should not rush like this.

श्री अध्यक्ष—No question of rushing. The amendments are there and I do not think it requires much discussion. They are not important, 12-clauses have been passed by the House. Only Repeal, Saving and Interpretation clauses remain. I think we can go through it. Yes Clause 13.

श्री जसवन्तसिंह—It will take, Sir, at least half an hour.

श्री अध्यक्ष—Usually we should sit according to the Central Parliament which sits from 8.15 to 1. If the House wants we can adjourn early but the Hon'ble Member should take it that usually we sit here from 8.15 to 1 P.M. I can take rest of the clauses tomorrow but the Hon'ble Members should take it that we ordinarily meet here from 8.15 A.M. to 1 P.M.

श्री जसवन्तसिंह–So far as my information goes the House adjourns at 12.30 throughout the year. It is at 12.30 always that the House has been dispersing regularly.

श्री अध्यक्ष–Take it from today that we have been meeting from 8.15 A.M. to 1 P.M.

श्री जसवन्तसिंह–No, Sir, usually from 8.15 to 12.30.

श्री अध्यक्ष–Unless the Hon'ble Members depart earlier, I have no objection. So I want to know the sense of the House whether the Hon'ble Members want to proceed with the rest of the clauses today or not.

(समस्त सदस्य—"नहीं")

Then tomorrow.

प्राक्कलन तथा जन-लेखा समिति के मनोनीत सभापति

Before we adjourn I want to make an announcement about the Committees. I nominate Rawal Shri Sangram Singh of Samod as Chairman of the Estimates Committee and Shri Kapildeo Agarwal as Chairman of the Public Accounts Committe.

We now adjourn till tomorrow morning.

(सभा की कार्यवाही १२.३८ बजे, कल प्रातःकाल ८.१५ बजे तक के लिये स्थगित की हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
२२ अप्रेल, १९५३।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न संख्या १४

श्री कंवरलाल जेतिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे –

(अ) कोटा डिवीजन में सन् ५२-५३ के बजट के आधार पर लघु सिंचाई में कौन कौन से जिले की कौन कौन सी तहसील में किन किन तालाबों की दुरुस्ती व नये तालाब खुदवाने की स्वीकृति दी गई व कितनी कितनी रकम की व कुल कितनी रकम की ?

(ब) कोटा डिवीजन में सन् ५२-५३ की स्वीकृत कार्यों में कौन कौन से जिले की कौन कौन सी तहसील में कौन कौन से तालाब दुरुस्त व नये तालाब के कार्य पूरे किए जा चुके हैं व कौन कौन से कार्य अधूरे रह गये हैं, ये किन कारणों से अधूरे रहे हैं ?

(स) कोटा डिविजन में सन् ५१-५२ के बजट के आधार पर लघु सिंचाई में तालाब दुरुस्त कराने व खुदवाने में कितनी रकम किस किस जिले की, कौन कौन तहसील में, कितनी कितनी खर्च की गई ?

उत्तर

(*a*) In the Budget Estimates for 1952-53 allotment for only two tanks was sanctioned under the head of E. and I. and Adhoc grant. The rest of the tenks were repaired from the lump-sum grant of maintenance works worth Rs. 2,46,000/- and A-works (minor Irrigation works) worth Rs. 1,43,000/-

Sl.	Account Head	Distt.	Tehsil	Name of work	Amount sanctioned
	From Rajasthan Funds.—				
1.	Extention & Improvment.	Bundi	Talera	Ghora Pa-Pachar.	5,150/-.
2.	A-works (Minor Irrigation works)	Bundi	for all tehsils in Bundi District.	Minor Irrigation works.	50,000/-.
3.	-do-	Kotah	For all Tehsils in Kotah District.	-do-	50,000/-.
4.	-do-	Jhalawar	For all Tehsils in Jhalawar District.	-do-	50,000/-.
5.	Maintenance & Repairs	For the full Kotah Division.			2,46,000/-.
6.	A-works Adhoc Grant	Kotah	Ladpura	Mandargarh tank.	15,000/-.
					4,16,150/-.

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(b) No new tanks have been constructed. Only the existing ones have been repaired during 1952-53, out of the above lump-sum provisions as per list attached. Only one work of repairs to Mandargarh tank remained incomplete. This was surveyed and estimated very late by the S.D.O. and thus was sanctioned late. Therefore for this reason particularly and for other difficulties at site it could nto be completed during the year.

(c) During the financial year 1951-52, the expenditure done on repairs to existing tanks and digging new tanks, district Tehsilwise, is as under:—

(a) Repairs to Tanks in 1951-52:—

Sl.	District.	Tehsil.	Expenditure	Total.
1.	Kotah	Ladpura	65,864/-	
		Kishanganj	31,647/-	
		Shahbad	16,168/-	
		Etawa	7,442/-	
		Barod	13,459/-	
		Digod	13,980/-	
		Baran	5,217/-	
		Ramganjmandi	12,249/-	
		Antah	11,091/-	
		Mangrol	875/-	
			1,77,974/-	1,77,974/-
2.	Bundi	Hindoli	4,188/-	
		Talera	3,899/-	
		Bundi	47,464/-	
		Patan	20,503/-	
			76,054/-	76,054/-
3.	Jhalawar	Patan	7,839/-	
		Aklera	1,357/-	
		Pirawa	7,781/-	
		Bakani	4,784/-	
		Chhipabarod	4,776/-	
			26,537/-	26,537/-

Total expenditure on repairs to Tanks during 1951-1952. 2,80,565/-

(b) Construction of new Tanks. Nil.

[श्री कंवरलाल अ'लिया]

List of tanks repaired during 1952-53 districtwise and tehsilwise in Irrigation Division, Kotah.

(1) *District. Bundi.*—

Name of Tahsil	Name of tank	Cost of repairs	Total
Bundi	1. Dayalpura	37,157/-	
	2. Ramnagar	3,928/-	
	3. Ramganj	5,121/-	
	4. Bheronpura	4,693/-	50,899/-
Hindoli	1. Hindoli	951/-	951/-
Talera	1. Kandila	2,809/-	2,809/-
Nenwa	1. Gangasagar	1,469/-	
	2. Khanpol	967/-	2,436/-
	Total expenditure of Bundi Distt.		Rs. 57,095/-

(2) *District Kotah.*—

Name of Tahsil	Name of tank	Cost of repairs	Total
Kishanganj	1. Badipura	8,118/-	
	2. Umedsagar	3,966/-	12,084/-
Ladpura	1. Chaterbilas	8,577/-	
	2. Jhelasagar	1,371/-	
	3. Abhera	2,933/-	
	4. Ranpur	434/-	
	5. Umedganj	582/-	
	6. Raipura	914/-	
	7. Soorsagar	925/-	
	8. Mandargarh	5,573/-	21,309/-
Baran	1. Thunsra	383/-	383/-
Ramganjmandi	1. Julmi	775/-	775/-
Antah	1. Sorsan	6,003/-	
	2. Kachri	5,642/-	11,645/-
Shahbad	1. Ratai	2,006/-	
	2. Rajpura	5,700/-	
	3. Kheria	639/-	8,345/-
	Total expenditure of Kotah Distt.		Rs. 54,541/-

[श्री कंवरलाल जेलिया]

Name of Tehsil.		Name of Tank.	Court of repairs.	Total.
(3) *District Jhalawar.—*				
Pirawa	1.	Sherpur	3,598/-	3,598/-
Patan	1.	Durgputa	5,233/-	
	2.	Chandrasarowar	8,797/-	
	3.	Madansarowar	6,158/-	
	4.	Khandia	4,804/-	
	5.	Mundlakheri	3,721/-	
	6.	Nayatalab	2,058/-	
	7.	Mandewar	159/-	30,930/-
Bakani	1.	Molkia	7,213/-	7,213/-
Aklera	1.	Aklera	1,880/-	1,880/-
Pachpahar	1.	Ghatod	3,314/-	3,314/-
Chipabarod	1.	Rentank	3,502/-	3,502/-
		Total expenditure of Jhalawar District	Rs.	50,437/-
		Grand Total of the Division	Rs.	1,62,073/-

प्रश्न संख्या १५

श्री धर्मपाल—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५२ में राजस्थान के हरिजन छात्रों और बेकवर्ड क्लास के छात्रों को अलग अलग कितनी रकम जिले वार छात्रवृत्ति में दी गई और जातिवार हर जिले में कितने कितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिली और मन्जूरशुदा रकम सारी खर्च हो गई या कुछ लेप्स भी हो गई ?

(२) हर डिविजन के सरकारी हरिजन छात्रावास में किन किन जातियों के कितने कितने छात्र इस समय उपस्थित है ?

(३) हर छात्रावास का मासिक खर्च क्या है ?

(४) छात्रों को भोजन किस प्रकार का मिलता है ?

(५) क्या कभी विशेष भोजन भी बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या बनाया जाता है और उस पर क्या खर्च आता है ?

[श्री धर्मपाल]

(६) सन् १९५२ में आदिवासियों के लिये कितना रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से और कितना रुपया राजस्थान सरकार से मिला ?

(७) यह रुपया किस प्रकार खर्च किया गया ?

उत्तर—

(१) यह सूचना प्राप्त करने के लिये समय की आवश्यकता है ।

(२) इस कार्यालय के आधीन डिविजनल हेड क्वार्टरों पर यानि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में पांच बेकवर्ड क्लास वेलफेयर छात्रावास हैं । छात्रों की जातिवार संख्या निम्न प्रकार है:—

(१) **बेकवर्ड क्लास वेलफेयर होस्टल,** जयपुर—चमार १२, बलाई ८, रेगर ७, कोली १, बनजारा १, व जाटिया १ । कुल छात्र संख्या ३० है ।

(२) **बेकवर्ड क्लास वेलफेयर होस्टल, जोधपुर**—महतर ७, चमार १, मेघवाल १, यादव १, रेगर १, व भील ३ । कुल छात्र संख्या १४ हैं ।

(३) **बेकवर्ड क्लास वेलफेयर होस्टल, बीकानेर**—मेहतर ५, चमार १५, मेघवाल २, रेगर १, व धानक २ व नायक १ । कुल छात्र संख्या २६ हैं ।

(४) **बेकवर्ड क्लास वेलफेयर होस्टल, कोटा**—जाटव ६, मेहतर ३, जटिया १, कोली २, बलाई ३, कलाल १, मेघवाल १, लोहार १, भील १ खटीक १, मीना १, चान्डाल १ । कुल छात्र संख्या २२ हैं ।

(५) **बेकवर्ड क्लास वेलफेयर होस्टल, उदयपुर**—यादव २, सालवी १, साधू १, रेगर १३, मोची १, जटिया १, बरवा १, बलाई ३, मीना ३, भील २, भंगी ७ और मेघवाल २ । कुल छात्र संख्या ३४ हैं ।

(३) यह सूचना प्राप्त करने के लिये समय की आवश्यकता है ।

(४) व (५) छात्रों को भोजन दोनों समय ताजा बना कर खिलाया जाता है । भोजन में प्राय: सब्जी, दाल और रोटी होती है और महीने में एक दो समय स्पेशल डाइट जिसमें मीठा होता है दिया जाता है । स्पेशल डाइट का आनुमानिक खर्च प्रति छात्र एक डेढ़ रुपया प्रति डाइट पड़ता है ।

(६) केन्द्र सरकार से कोई सहायता आदिवासियों के लिये नहीं दी गई सिर्फ ६,७०,०००) रुपया शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही दिया गया, जिसमें कुछ आदिवासी भी शामिल हैं ।

राजस्थान सरकार से ४,२६,६००) रुपया कुल बेकवर्ड क्लासों के लिए दिया गया जिसमें आदिवासी व अन्य जातियां शामिल हैं ।

[श्री धर्मपाल]

(७) यह द्रव्य शिड्यूल ट्राइब्स व दीगर बैकवर्ड क्लासों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये सरकार से स्वीकृत भिन्न भिन्न योजनाओं में व्यय किया गया।

प्रश्न संख्या १६

श्री जयचन्द्र मोहिल--क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) इस चालू वर्ष में कुल कितनी रकम बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थियों को छात्रवृति के रूप में दी गई ?

(२) हरिजन, आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को कितनी कितनी रकम दी, अलग अलग धन-राशि का योग बतावें ?

(३) कितनी कितनी रकम किस किस जिले में किन किन जातियों के विद्यार्थियों को दी गई एवं यह भी बतलाने की कृपा करें कि किस किस जिले में सबसे ज्यादा और किस जिले में सब से कम रकम दी गई ?

उत्तर—

1. 75,000/-
2. Harijans.—28,891. Adivasi.—16,108. Backward classes.—30,000.
3. Udaipur Division.—19,170. Jaipur.—27,870. Kotah.—3,928. Jodhpur.—5,385. Bikaner.—4,197.

जिलेवार रकम के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। डिविजन के ऊपर बताये गये हैं। अलग अलग जातियों के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं। सबसे अधिक रकम जयपुर को दी गई है। यह आबादी पर निर्धारित है।

प्रश्न संख्या १७

श्री जयचन्द्र मोहिल--क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में कितने हरिजन, आदिवासी और बैकवर्ड की जन-संख्या है ?

उत्तर— यह सूचना उपलब्ध नहीं है।